

मैनुअल-3

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम,
विनियम,अनुदेश, निर्देशिका
और अभिलेख

Manual-3

**Rules, Regulations, Instructions,
Manual and Records, for
Discharging Functions**

**उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975)
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश ,2002**

अभिलेख का नाम : उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं
प्रकार

सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975)अनुकूलन
एवं उपान्तरण आदेश ,2002

अभिलेख का अनुदेश

निम्न में से किसी एक प्रकार को चुने
(नियम ,विनियम ,अनुदेश, निर्देशिका ,
अभिलेख , अन्य)

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :- उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्य एवं दायित्वों की
प्रबन्धकीय व्यवस्था

नियम ,विनियम, अनुदेश ,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां उपलब्ध है ?

पता:

कार्यालय मुख्य
उत्तराखण्ड जल संस्थान
जल भवन ,बी-ब्लॉक ,
नेहरू कालोन
देहरादून

महाप्रबन्धक

दूरभाष :- 2676260,

फैक्स :- 2676177

ई0 मेल0

अन्य ..

नियम ,विनियम ,अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की
प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

वांछित अभिलेख की फोटो कापी का वास्तविक मूल्य

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 नवम्बर, 2002 ई०

कार्तिक 16, 1924 शक रामवत्

उत्तरांचल शासन

पेयजल अनुभाग

संख्या 2231/नौ-2(12 अधि०)/2001

देहरादून, 07 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन कथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक व समाचीन हो, तथा चूंकि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल राहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रावधानों के अध्वधीन लागू रहेगा :-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975)

अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

(i) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहा जाएगा।

1 संक्षिप्त शीर्षक,
विस्तार एवं
प्रारम्भ

(ii) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(iii) यह अधिसूचित होने की तिथि से लागू होगा।

धारा 2 का
संशोधन

2 (i) मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (12) में उल्लिखित शब्द "नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, क्षेत्र समिति और गांव सभा" निम्नवत् पढ़ी जाएगी:-

"नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत"

(ii) मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (15) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी:-

(15) "निगम" का तात्पर्य "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम"

धारा 3 का
संशोधन

3 (i) मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में "उत्तर प्रदेश जल निगम" शब्द के स्थान पर "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम" रख दिया जाएगा।

(ii) मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) में शब्द "लखनऊ" के स्थान पर "देहरादून" रख दिया जाएगा।

धारा 4 का
प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में निम्न व्यवस्था समझी जाएगी:-

4 (1) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त निगम का एक अध्यक्ष होगा, जो सचिव, पेयजल विभाग - पदेन अध्यक्ष होगा।

4 (2) अध्यक्ष से भिन्न सदस्य निम्नलिखित व्यवस्था से नियुक्त समझे जाएंगे:-

(क) राज्य सरकार द्वारा, अर्हित अभियन्ता जिनके पास प्रशासनिक अनुभव तथा जल सम्भरण एवं सीवर कार्य से संबंधित अनुभव हो, प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाएगा, तथा जिसे इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो, इस पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह होगा।

(ख) राज्य सरकार का वित्त सचिव - पदेन सदस्य।

(ग) राज्य सरकार का नियोजन विभाग का सचिव – पदेन सदस्य।
 (घ) राज्य सरकार का नगर विकास विभाग का सचिव – पदेन सदस्य।
 (ड.) राज्य सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक – पदेन सदस्य।

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वित्त निदेशक जिसे वित्त एवं लेखों का ज्ञान एवं अनुभव हो।

(छ) राज्य सरकार द्वारा नामित, एक नगर निगम से सम्मिलित करते हुए, कुल चार स्थानीय निकायों के, निर्वाचित प्रधान – सदस्य।

(ज) उत्तरांचल जल संस्थान का मुख्य महाप्रबंधक – पदेन सदस्य।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जाएगी।

(4) उपधारा (2) के उपबन्ध (ख),(ग) एवं (घ) में इंगित सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने की दशा में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी तथा उपबन्ध (ड.) में इंगित सदस्य के स्थान पर अपर निदेशक प्रतिभाग कर सकेगा। इन सदस्यों को बैठकों की कार्यवाही पर प्रतिभाग करने एवं मतदान का अधिकार होगा।

5 (i) मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द “योजनाएँ तैयार कराया जाना” तथा “निष्पादन कराना” के बीच में “निर्माण” शब्द रख दिया जाएगा।

(ii) मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के बाद धारा 14 (1), (14) से पहले निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाएगा:—

“निर्माण संस्था राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा राज्य से बाहर भी निर्माण एजेन्सी के रूप में कार्य कर सकेगी”।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 निरसित समझी जाएगी।

धारा 16
का निरसन

7. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नवत प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा:—

धारा 20 का
प्रतिस्थापन

(i) मूल अधिनियम की धारा 18 कि अन्तर्गत कुमायूं तथा गढ़वाल जल संस्थान के एकीकरण के फलस्वरूप गठित “उत्तराखण्ड जल संस्थान” की सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में अधिकारिता है, जिसका पदेन अध्यक्ष सचिव, पेयजल होगा, जो उपबन्ध (2) में इंगित सदस्यों से अतिरिक्त होगा।

(ii) उपधारा (1) में उल्लिखित पदेन अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे :—

(क) मुख्य महाप्रबंधक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अर्हित अभियंता जिनके पास प्रशासनिक तथा जल सम्भरण एवं सीवरेज कार्य से संबंधित अनुभव हो, नियुक्त किया जाएगा, एवं इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो, इस पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह होगा।

(ख) राज्य सरकार का वित्त सचिव – पदेन सदस्य।

(ग) राज्य सरकार का नियोजन विभाग का सचिव – पदेन सदस्य।

(घ) राज्य सरकार का नगर विकास विभाग का सचिव – पदेन सदस्य।

(ड.) राज्य सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक – पदेन सदस्य।

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वित्त निदेशक जिसे वित्त एवं लेखों का अनुभव हो।

(छ) राज्य सरकार द्वारा नामित, एक नगर निगम से सम्मिलित करते हुए, कुल चार स्थानीय निकायों के, निर्वाचित प्रधान – सदस्य।

(ज) उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकाय एवं निर्माण का प्रबन्ध निदेशक – पदेन सदस्य।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जाएगी।

(4) उपधारा (2) के उपबन्ध (ख),(ग) एवं (घ) में इंगित सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने की दशा में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी तथा उपबन्ध (ड.) में इंगित सदस्य के स्थान पर अपर निदेशक प्रतिभाग कर सकेगा। इन सदस्यों को बैठकों की कार्यवाही पर प्रतिभाग करने एवं मतदान का अधिकार होगा।

8 (i) मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6) में निम्नवत पढ़ा जाना :—

उपधाराओं में वर्णित “निगम” शब्द के स्थान पर “राज्य सरकार” रख दिया जाएगा।

धारा 25 का
संशोधन

(ii) मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (8) में “निगम” शब्द का प्रतिस्थापन कर “राज्य सरकार” पढ़ा जाना समझा जाएगा।

9. मूल अधिनियम की धारा 30 में वर्णित शब्द “निगम” के स्थान पर “राज्य सरकार” पढ़ा जाएगा।

धारा 30 का
संशोधन

कर्मचारी हो जाएगा” के स्थान पर शब्दावली” उत्तर प्रदेश जल निगम जिसे तत्कालीन पर्वतीय उपसंवर्ग का सदस्य होने के कारण उत्तरांचल राज्य आवंटित हो अथवा उत्तराखण्ड राज्य में कार्य करने हेतु विकल्प दिया हो, नियत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में आदेश पारित किया गया हो, नियत तिथि से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के कार्मिक माना जाएगा” प्रतिस्थातित कर दी जाएगी।

मूल अधिनियम की
धारा 43 का
संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा 1 में शब्द “निगम” के पश्चात एवं “उत्तराखण्ड जल संस्थान जोड़ा जाएगा।

(पी0के0महान्ति)
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor of Uttaranchal is pleased to order publication of the following English version of notification no. 2231/Nine-2(12 Adhi.)/2001, dated November 07, 2002 for general information.

No. . 2231/Nine-2(12 Adhi.)/2001,
Dated Dehradun November 07, 2002

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

Whereas under Section 87 of the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2002, the Uttaranchal Government may by an order make such adaptations and modifications of the law by way of repeal or amendment as necessary or expedient;

And whereas under Section 86 of the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2002, the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 is in force in the State of Uttaranchal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred Under Section 87 of the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000 (Act No- XXIX of 2000) the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 shall have applicability to the state of Uttaranchal subject to the provision of the following order:-

Short title extent and commencement.	1 (i) This order may be called the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act 1975) Adaptation and Modification Order, 2002. (ii) It extends to whole of Uttaranchal excluding Cantonment areas. (iii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette. (4) A member referred to in clause (b), (c) and (d) of subsection (2) may, instead of attending a meeting of the Nigam himself, depute an officer, not below the rank of Joint Secretary in his department, and not below the rank Additional Director in case of a member referred to in clause (e) to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceeding of the meeting and shall also have the right to vote.”
Amendment of Section 14	5. (i) In Section 14 (1) between the words “the preparation” and “execution” the word “construction” shall be inserted. 5.(ii) After Section 14(1)[iii] and before 14(1)(xiv) the following subsection shall be added, namely:- “To function as Construction Agency for other Departments of the State Government and also out side the State.
Repeal of Section 16	6. Section (16) of the Principal Act is repeals.
Substitution of Section 20	7. For Section 20 of the Principle Act, the following section shall be substituted, namely:- “20,(1) A Jal Sansthan, to be known as “Uttaranchal Jal Sansthan” constituted under Section 18 of the Principal Act having jurisdiction throughout the State of Uttaranchal by amalgamation of “Garhwal Jal Sansthan” and “Kumaun Jal Sansthan”, shall have Chairman who shall be the Secretary of the Pey Jal Vibhag to the Government <u>Ex-Officio</u> , besides the members specified in sub-section (2). 20,(2) The Member other the Chairman shall be as follows:- (a) A Chief General Manager to be appointed by the State Government, who shall be qualified engineer having administrative experience of Water Supply and Sewerage works. (b) Secretary to the State Government in the Finance Department <u>ex-officio</u> . (c) Secretary to the State Government Department of planning <u>ex-officio</u> . (d) Secretary to the State Government Department of Urban development <u>ex-officio</u> . (e) Director General Medical and Health Services, Uttaranchal Government <u>ex-officio</u> . (f) Director Finance to the appointment by the State Government, who shall have experience of matters relating to finance and accounts. (g) Four elected Heads of Local Bodies including one Nagar Nigams to the nominated by the State Government.
Constitution of Uttaranchal Jal Sansthan	

(h) Managing Director of Uttaranchal Pey Jal Nigam ex-officio.

20.(3) Members other than ex-officio members shall be notified in the Official Gazette.

20 (i) In Subsection (12) of Section 2 of the Principal Act for the words “Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee, Notified Area Committee, Zila Parishad, Kshettra Samiti, or a Gaon Sabha” the following subsection shall be substituted, namely:-

“Nagar Nigam, Nagar Palika Parishad, Nagar Panchyat, Zila Panchyat, Kshettra Panchyat, or a Gram Panchyat”.

(ii) In subsection (15) of Section 2 of the Principal Act for the words “The words “the Uttar Pradesh Jal Nigam” the following words shall be substituted, namely :-

“The Uttaranchal Pey Jal Sansthan Vikas Avam Nirman Nigam”

3(i) In subsection (1) of Section 3 of the Principal Act for the words shall be substituted, namely:-

“The Uttaranchal Pey Jal Sansthan Vikas Avam Nirman Nigam”

3(ii) In subsection (4) of Section 3 of the Principal Act for the word “Lucknow” the word “Dehradun” shall be substituted.

4. For Section 4 of the Principal Act for the following section shall be substituted, namely:-

4(1) The Nigam shall consist of a Chairman, who shall be Secretary of Pey Jal Vibhag **Ex officio**, besides the members specified in subsection (2).

(2) The members, other than the chairman shall be as follows, namely:-

(a) Managing Director to be appointed by the State Government, who shall be full time qualified engineer having administrative experience and also the experience of Water Supply and Sewerage works.

(b) Secretary to the State Government in the Finance Department ex-officio.

(c) Secretary to the State Government Department of planning ex-officio.

(d) Secretary to the State Government Department of Urban development ex-officio.

(e) Director General Medical and Health Services, Uttaranchal Government ex-officio

(f) Director General Finance to be appointed by the State Government, who shall have experience of matters relating to finance and accounts.

(g) Four elected Heads of Local Bodies including one from Nagar Nigam to be nominated by the State Government.

(i) Chief General Manager of Uttaranchal Jal Sansthan ex-officio.

(3) Members other than ex-officio members shall be notified in the official Gazette.

20, (4) A member referred to in clause (b), (c) and (d) of subsection (2) may, instead of attending a meeting of the Nigam himself, depute an officer, not below the rank of Joint Secretary in his department, and not below the rank Additional Director in case of a member referred to in clause (e) to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote.”

8(i) In subsection (6), of section 25 of the Principal Act for words “Subject to approval of the Nigam” the words “subject to approval of the State Government” shall be substituted.

8(ii) In subsection (8), of section 25 of the Principal Act for word “Nigam”, the words “State Government” shall be substituted.

9. In Section 30 of section 25 of the Principal Act for word “Nigam” the word “State Government” shall be substituted.

10(1) In Section 37(1) of the Principal Act after the words Local Self Government Engineering Department of the State Government” the words “Uttar Pradesh Jal Nigam who are allotted Uttaranchal State on account of being a member of hill sub-cadre, or an option for Uttaranchal State or on account of any decision of a competent court of law, shall on and from the appointed day become employee of the “Uttaranchal Pey Jal Sansadhan Vikas Avam Niram Nigam” shall be substituted.

Amendment of
Section 25

Amendment of
Section 30.

Amendment of
Section 37

In Section 43(1) of the Principal Act between the words “Nigam” and for the purposes” the words “Uttaranchal Jal Sansthan” shall be inserted. Amendment of Section 43

(P.K.Mohanty)

Secretary

The
U.P. Water Supply and Sewerage
Act, 1975

along with

Jal Sansthan (Assessment of Annual Value of
Premises) Rules, 1981

Jal Sansthan (Radius Regarding Levy
of Water Tax) Rules, 1993

and

NOTIFICATIONS

EASTERN BOOK COMPANY
LUCKNOW

CONTENTS

1. The UP. Water Supply and Sewerage Act, 1975	1-39
			pages

CHAPTER I PRELIMINARY

1	Short title, extent and Commencement	1
2	Definitions	2

CHAPTER II

ESTABLISHMENT, CONDUCT OF BUSINESS, FUNCTIONS AND POWERS OF THE NIGAM

3	Establishment of the Nigam	4
4	Constitution of the Nigam	4
5.	Disqualification for being Chairman or other member	5
6.	Terms of office of Chairman and other members	6
7.	Other provisions regarding office of the Chairman and other members	6
8.	Appointment of employees	6
9.	Supervision and control over employees	6
10	Authentication of orders and other instruments of the Nigam	6
11	Delegation of powers	6
12	Disqualification for participation in proceedings of the Nigam on account of interest	6
13	Acts not to be invalidated by informality, vacancy etc	7
14	Functions of the Jal Nigam	7
15	Powers of the Jal Nigam	8
16	Power to call for reports and information	8
17	Supervision and centage charges	9

CHAPTER III

ESTABLISHMENT, CONDUCT OF BUSINESS, FUNCTIONS AND POWERS OF JAL SANSTHANS

18	Establishment of Jal Sansthans	9
19	Jal Nigam as Jal Sansthan	9
20	Constitution of Jal Sansthan	10
21	Disqualifications	11

Sections	Pages
22. Term of office	11
23. Remuneration	11
24. Functions of a Jal Sansthan	11
25. Powers of a Jal Sansthan	12
26. Delegation of powers	12
27. Creation of posts and appointment of employees	12
27-A Centralisation of services	13
28 Authentication of orders and other instruments of the Jal Sansthan	13
29 Act not to be invalidated by informality, vacancy, etc	13
30 Disputes with consumers	13

CHAPTER IV

VESTING OF PROPERTIES, ASSETS, LIABILITIES AND OBLIGATIONS AND TRANSFER OF EMPLOYEES

31 Vesting and transfer of property to Nigam	14
32 Decision of the State Government on the vesting of property to be final	14
33 Vesting of existing water supply and sewerage services in Jal Sansthans	15
34 Jal Sansthan to assume obligations of local authority in respect of matters to which this Act applies	15
35 Co-ordination of activities of Jal Sansthan and other local bodies	15
36 Special powers of Nigam in relation to its re-lending operations	15
37 Transfer of employees to Nigam	15
38 Transfer of employees to Jal Sansthan	17

CHAPTER V

PROPERTY, CONTRACT, FINANCE, ACCOUNTS AND AUDITS

39 Execution and registration of contracts, etc.	19
40 Nigam's Funds	19
41 Jal Sansthan's Fund	19
42 General principles for Jal Nigam's Finance	19
43 Grants and subventions to the Nigam and Jal Sansthan	19
44 General principles for Jal Sansthan's Finance	19
45 Loans to the Nigam	19

Sections	Pages
46 Power of the Jal Nigam to borrow and re-lend	19
47 Depreciation reserve	20
48 Government Guarantor	20
49 Direct management by Nigam	20
50 Accounts and audit	21
51 Surcharge	22
CHAPTER VI	
TAXES, FEES AND CHARGES	
52 Taxes leviable	22
53 Assessment of annual value	23
54 Appeal against assessment	24
55 Restriction on levy of taxes	24
56 Liability for payment of taxes	24
57 Consolidation of taxes	24
58 Application of certain provisions of U.P. Act 2 of 1959	24
59 Cost of water	25
60 Cost of disposal of waste water	25
61 Meter Rent	25
62 Security	25
63 Fees	25
64 Recovery of taxes and other sums due	25
CHAPTER VII	
WATER SUPPLY	
65 Definition of supply of water for domestic purposes	25
66 Supply of water by Jal Sansthan	26
67 Water supply for domestic purposes not to be used for non-domestic purposes	26
68 Provision of fire hydrants	26
69 Power to provide water meters	27
70 Licensed plumbers	27
71 Prohibition of wastage of water	27
72 Power to cut off water supply	27
73 Prohibition of certain acts	28

Sections	Pages
CHAPTER VIII	
SEWERAGE	
74 Right of owner or occupier to obtain sewer connection	29
75 Power to require owner to have sewer connection	29
76 Prohibition of connection with sewer	29
77 Prohibition of construction of building over sewer	29
78 Power to affix shaft etc., for ventilation of sewer cesspool	29
79 Power to examine and test sewer etc., believed to be defective	29
80 Prohibition of certain acts	30
81 Power of entry, survey etc.	30
82 Power to disinfect tanks, pools and wells	31
CHAPTER IX	
PENALTIES AND PROCEDURE	
83 Cognizance of offences	31
84 General penalty	31
85 Offences by companies	31
86 Power to arrest person refusing to give his name and address	32
87 Composition of offences	32
88 Duties of police officers and employees of the local bodies	32
CHAPTER X	
EXTERNAL CONTROL	
89 Directions to the Nigam on questions of policy	32
90 Annual report, statistics, returns and other information by the Nigam	33
91 Direction to a Jal Sansthan on questions of policy	33
92 Annual reports, statistics, returns and other information by a Jal Sansthan	33
CHAPTER XI	
MISCELLANEOUS	
93 Duty of local bodies to assist	33
94 General power to pay compensation	34
95 Protection for acts done in good faith	34

Sections

Pages

CHAPTER XII

RULES, REGULATIONS AND BYE-LAWS

96	Power to make rules	34
97	Regulations	34
98	Bye-laws	35

CHAPTER XII

TRANSITORY PROVISION AND REPEAL

99	Transitory Provision	36
100	Repeal and amendment	36
100-A	Dissolution of Jal Sansthan and the consequences thereof	36
101	Water Supply and Sewerage Fund	37
102	Removal of difficulties	37
103	Repeal and saving	38
II.	The Jal Sansthan (Assessment of Annual Value of Premises) Rules, 1981	39-41
1	Short title, extent and commencement	39
2	Definitions	39
3	Preparation of assessment list: Section 53(2)	39
4	Publication of the list	39
5	Objections of entries in the list	40
6	Authentication and custody of the list	40
7	Revision and duration of list	40
8	Finality of the entries	40
9	Power of the Assessing Authority	40
III.	Jal Sansthan (Radius Regarding Levy of Water Tax) Rules, 1993				42
	NOTIFICATIONS	43-45

The U.P. Water Supply and Sewerage Act, 1975

[U.P. Act 43 of 1975]

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

An Act to provide for the establishment of a Corporation, authorities and organisations for the development and regulation of water supply and sewerage services and for matters connected therewith

It is hereby enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh excluding cantonment areas.

¹[(3) It shall be deemed to have come into force on June 18, 1975.]

The Government in Swayatta Shashan Anubhag-4 Notification 125/9-4(W.B.S.)-75, dated January 15, 1976 appointed September 8, 1975 for the coming into force of this Act in exercise of the powers under old sub-section (3) of Section 1 of the Act. The said sub-section was as follows:

"(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Gazette appoint in that behalf, and different dates may be appointed in respect of different provisions."

Now the said notification stands repealed automatically with the substitution of the old sub-section (3) of Section 1 and the Act shall be deemed to have come into force on 18-6-1975 instead of 8-9-1975.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires---

- (1) "cesspool" includes a settlement tank or other tank to receive or dispose of foul matters from any premises;
- (2) "communication pipe" means any pipe or system of pipes along with all fittings thereto, by means of which water is supplied to any premises from the main and includes a connection pipe, service pipe, meter or other fittings;
- (3) "connection pipe" means any water pipe from a ferrule to stop-cock connecting the main of the local body, Jal Sansthan or Nigam, as the case may be, with the service pipe;
- (4) "consumer" means any person getting the benefit of any water supply or sewerage service from the local body, Jal Sansthan or the Nigam, as the case may be;
- (5) "domestic sewage" means waste water from residences, boarding and lodging houses, hostels, hotels, public places, offices and all other such

1. Subs. by V.P. Act 28 of 1978.

establishments as are not a part of any trade or industry, and arising out of personal and normal human activities such as drinking, bathing, ablution, washing and cooking;

- (6) "drain" includes a sewer, tunnel, pipe, ditch, gutter or channel or a cistern, flush-tank, septic tank, or other device for carrying off or treating sewage, offensive matter, polluted water, sullage waste-water or sub-oil water, and also includes any culvert, ventilation shaft or pipe or other appliances or fittings connected with such drain, and any ejectors, compressed air mains, sealed sewage mains and special machinery or apparatus for raising, collecting, expelling or removing sewage or offensive matter from any place;
- (7) "ferrule" means a ferrule connecting the connection pipe with the main;
- (8) "General Manager" means General Manager of a Jal Sansthan appointed under clause (c) of sub-section (2) of Section 20;
- (9) "Jal Sansthan", means a local authority constituted by the State Government under Section 18 to perform its functions under this Act in one or more local areas;
- (10) "Local Self-Government Engineering Department" and "Community Development Department" means the departments with these names under the State Government;
- (11) "Local area" means the area falling within the jurisdiction of a local body;
- (12) "local body" means a Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee, Notified Area Committee, Zila Parishad, Kshettra Samiti, or a Gaon Sabha;
- (13) "main" means a pipe laid by the local body, Jal Sansthan or Nigam, as the case may be, for the purpose of giving a general supply of water as distinct from a supply to individual consumers, and includes any apparatus used in connection with such a pipe;
- (14) "Managing Director" means a Managing Director of Nigam, appointed under clause (a) of sub-section (2) of Section 4;
- (15) "Nigam" means the Uttar Pradesh Jal Nigam established under Section 3;
- (16) "occupier" in relation to any premises includes the following-
 - (a) any person for the time being paying or liable to pay rent or any portion thereof to the owner in respect of those premises;
 - (b) an owner who is in occupation of those premises;
 - (c) a tenant of those premises who is exempt from payment of rent; (d) a licensee who is in occupation of those premises; and
 - (e) any person, who is liable to pay damages to the owner in respect of use and occupation of those premises;
- (17) "owner" in relation to any premises means the person who receives the rent of the said premises or who would be entitled to receive the rent thereof if the premises were let, and includes-
 - (a) an agent or trustee who receives such rent on account of the owner;
 - (b) an agent or trustee who receives the rent of, or is entrusted with the management of, any premises devoted to religious or charitable purposes;

- (c) a receiver or manager appointed by any court of competent jurisdiction to have the charge of, or to exercise the rights of an owner of the said premises; and
(d) a mortgagee-in-possession;
- (18) "premises" means any land or building;
- (19) "prescribed" means prescribed by rules;
- (20) "prescribed authority" means any authority appointed by the State Government, by notification in the Gazette, to perform all or any of the functions of the prescribed authority;
- (21) "private street", "public street" and "street" in relation to any local area, have the same meanings as in law relating to the local body having jurisdiction over that local area;
- (22) "regulations" means regulations made under this Act;
- (23) "rules" means rules made under this Act;
- (24) "service pipe" means any pipe other than the connection pipe beyond the stop-cock by means of which the water is supplied to any premises;
- (25) "sewage" means night-soil and other contents of water closets, latrines, privies, urinals, cess-pools, or drains, and polluted water from sinks, bathrooms, stables, and other like places, and includes trade effluent;
- (26) "sewer" means a closed conduit for carrying sewage, offensive matter, polluted water, waste water or sub-soil water;
- (27) "sewerage" means a system of collection of waste water from a community from its houses, institutions, industry and public places, the pumping treatment and disposal of such waste water, its effluent, sludge, gas and other end products;
- (28) "stock-cock" means a stop-cock fitted at the end of connection pipe away from the main for the purpose of switching off and regulating the water supply to any premises;
- (29) "trade effluent" means any liquid either with or without particles of matters in suspension therein, which is wholly or in part produced or discharged in the course of any trade or industry, including agriculture and horticulture, but it does not include domestic sewage;
- (30) "water connection" includes-
- (a) any tank, cistern, hydrant, stand-pipe, meter or tap, situated on any private property and connected with a main or other pipe belonging to Jal Sansthan; and
(b) the water pipe connecting such a tank, cistern, hydrants, stand-pipe, meter or tap, with such main or pipe;
- (31) "water supply" means a system of providing water to a community for meeting its requirement for drinking and other domestic uses, industry, recreation and various public uses;
- (32) "waterworks" includes water channel (including stream, lake, spring, river or canal, pump, galleries, reservoir, cistern, tank) duct, whether covered or open, treatment units sluice, supply main, culvert, engine, water-truck, hydrants, stand pipe, conduit and machinery, land, building or other things for supplying or used for supplying water or for protecting sources of water supply or for treatment of water.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT, CONDUCT OF BUSINESS, FUNCTIONS AND POWERS OF THE NIGAM

3. Establishment of the Nigam.-(1) The State Government shall, by notification in the Gazette and with effect from a date to be specified therein, constitute a corporation by the name of the Uttar Pradesh Jal Nigam.

(2) The Uttar Pradesh Jal Nigam shall be a body corporate by the said name, having perpetual succession and a common seal, and shall sue and be sued by the said name and have the power to acquire, hold or dispose of property.

(3) The Nigam shall for all purposes be deemed to be a local authority.

(4) The Nigam shall have its head office at Lucknow and may have offices at such other places as it may consider necessary.

4. Constitution of the Nigam.-(1) The Nigam shall consist of a Chairman appointed by the State Government besides the members specified in sub-section (2).

(2) The members other than the Chairman shall be as follows, namely:

- (a) a Managing Director ²to be appointed by the State Government, who shall be a qualified engineer having administrative experience and also the experience of water supply and sewerage works;
- (b) a Finance Director (to be appointed by the State Government), who shall have experience of matters relating to finance and accounts;
- (c) the Secretary to the State Government in the Finance Department, ex officio;
- ³[(d) the Secretary to the State Government in-charge of the Water Supply Department, ex officio;
- (dd) the Secretary to the State Government in the Planning Department, ex officio;]
- (e) the Director of Local Bodies, Uttar Pradesh, ex officio;
- (f) the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh, ex officio;
- (g) ⁴[five] elected heads of local bodies in the State, to be nominated by the State Government.

⁵[(2-A) Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Control Over Public Corporations Act, 1975 or in any direction issued thereunder, the member referred to in clause (a) of sub-section (2) shall be appointed from amongst the persons possessing such qualifications and experience and in accordance with such manner as may be prescribed.]

2. Brackets *deleted* by U.P. Act 2 of 2002, S. 2 (w.e.f. 27-6-2002).

"3. *Provisions with respect to existing vacancy.*-Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, the provisions of the principal Act as amended by this Act, shall apply also in respect of a vacancy in the post of Managing Director, existing from before the commencement of this Act.

Explanation.- The expression 'Managing Director' shall have the meaning assigned to it in the principal Act."

3. *Subs.* by U.P. Act 5 of 1984 (w.e.f. 12-12-1983).

4. *Subs.* by U.P. Act 28 of 1978 (w.e.f. 1-8-1978).

5. *Ins.* by U.P. Act 2 of 2002, S. 2 (w.e.f. 27-6-2002).

(3) The appointment of the Chairman and members other than ex officio members shall be notified in the Gazette.

⁶[(4) Instead of attending a meeting of the Nigam himself, a member referred to ⁷[in clause (c), (d) or clause (dd)] of sub-section (2) may depute an officer not below the rank of Deputy Secretary in his department, a member referred to in clause (e) of that sub-section may depute an officer not below the rank of Deputy Director in his department and a member referred to in clause (j) of that sub-section may depute an officer not below the rank of Joint Director in his department, to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote].

5. Disqualification for being Chairman or other member.-A person shall be disqualified for being chosen as and for being the Chairman or other member of Nigam if he-

- (a) has been convicted of an offence involving moral turpitude;
- (b) is an undischarged insolvent;
- (c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (d) holds, except as provided in Sections 6 and 7, any office of profit under the Nigam;
- (e) has, directly or indirectly by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment with, by or on behalf of the Nigam; or
- (f) is a director or secretary, manager or other officer of any company which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Nigam:

Provided that a person shall not be disqualified under clause (e) or clause (j) by reason only of his or the company of which he is a director, secretary, manager, or other officer, having a share or interest in-

- (i) any sale, purchase, lease or exchange of immovable property or any agreement for the same;
- (ii) any agreement for loan of money or any security for payment of money only;
- (iii) any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of the Nigam, is published;
- (iv) the occasional sale to the Nigam up to a value not exceeding ten thousand rupees in anyone year, of any article in which he or the company regularly trades.

6. Terms of office of Chairman and other members.-(1) The Chairman of the Nigam, unless appointed ex officio, shall hold office for three years unless his term is determined earlier by the State Government by notification in the Gazette, and shall be eligible for reappointment.

(2) A person nominated under clause (g) of sub-section (2) of Section 4 shall, unless his term is determined earlier by the State Government hold office for a period of three years or until the expiry of his term of office as elected head of the local body concerned, whichever is earlier, but shall be eligible for reappointment.

6. Subs. by U.P. Act 28 of 1978 (w.e.f. 1-8-1978).

7. Subs. by U.P. Act 5 of 1984 (w.e.f. 12-12-1983).

(3) The members appointed under clause (a) and clause (b) of sub-section (2) of Section 4 shall hold office on such terms and conditions as the State Government may, by order, specify.

(4) The Chairman or any other member as aforesaid may at any time by writing under his hand addressed to the State Government resign his office, and on such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

7. Other provisions regarding office of the Chairman and other members.-(1) The Chairman and the members appointed under clauses (a) and (b) of sub-section (2) of Section 4, shall be paid from the Nigam's fund such remuneration, if any, as may be fixed by the State Government.

(2) If the Chairman or any other member as aforesaid is by infirmity or otherwise rendered temporarily incapable of carrying out his duties or is absent on leave otherwise in circumstances not involving the vacation of his appointment, the State Government may appoint another person to officiate for him and to carry out his functions under this Act.

8. Appointment of employees.-(1) Subject to the provision of sub-section (2), the Nigam may appoint such employees as it considers necessary on such terms and conditions as it thinks fit for the efficient performance of its functions:

Provided that the appointment of such employees as the State Government may, by general or special order specify, shall be made in their terms and conditions shall be determined with the approval of the State Government.

(2) The Nigam may, with the previous approval of the State Government, appoint a servant of the Central Government or the State Government as an employee of the Nigam on such terms and conditions as it thinks fit.

9. Supervision and control over employees.- Subject to the superintendence of the Nigam, the Chairman shall have the general control and direction over, and subject thereto, the Managing Director shall have control over, all other employees of the Nigam.

10. Authentication of orders and other instruments of the Nigam.-(1) All proceedings of the Nigam shall be authenticated by the signature of the Chairman and all orders and other instruments of the Nigam shall be authenticated by the signature of the Managing Director or such other officer of the Nigam as may be authorised in this behalf by regulations.

(2) The Nigam may invite any person to attend a meeting of the Nigam for the purpose of assisting or advising it on any matter, and the person so invited may take part in any proceedings of the Nigam but shall have no right to vote.

11. Delegation of powers.- Subject to the provisions of this Act, the Nigam may by general or special order, delegate, either unconditionally or subject to such conditions, including the condition of review by itself, as may be specified in the order, to any committee appointed by it or to the Chairman or the Managing Director or any other officer of the Nigam such of its powers and duties under this Act as it deems fit, not being its powers and duties under Sections 46, 49 and 50.

12. Disqualification for participation in proceedings of the Nigam on account of interest.-(1) The Chairman or any other member of the Nigam or of a committee appointed by the Nigam who--

(a) has any share or interest of the nature described in clause (e) or clause (f) of Section 5 in respect of any matter, or

(b) has acted professionally, in relation to any matter on behalf of any person having therein any such share or interest as aforesaid,

shall not notwithstanding anything contained in the proviso to Section 5, vote or take part in any proceeding (including any discussion on any resolution or question) of the Nigam or any committee thereof relating to such matter.

(2) If any member of the Nigam or of a Committee appointed by the Nigam has directly or indirectly any interest in any area in which it is proposed to acquire land for any of the purposes of this Act, he shall not take part in any meeting of the Nigam or any committee thereof in which any matter relating to such land is considered.

(3) Nothing in sub-section (1) or sub-section (2) shall prevent any member of the Nigam or any committee thereof from voting on, or taking part in the discussion of any resolution or question relating to any subject other than a subject referred to in those sub-sections.

13. Acts not to be invalidated by informality, vacancy etc.- No Act done or proceeding taken under this Act by the Nigam or a committee appointed by the Nigam shall be invalidated merely on the ground of-

(a) any vacancy or defect in the constitution of the Nigam or any committee thereof; or

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as a member thereof; or

(c) any defect or irregularity in such act or proceeding, not affecting the substance.

14. Functions of the Jal Nigam.-The functions of the Nigam shall be the following, namely:

(i) the preparation, execution, promotion and financing the schemes for the supply of water and for sewerage and sewage disposal;

(ii) to render all necessary services in regard to water supply and sewerage to the State Government and local bodies, on request to private institutions or individuals;

(iii) to prepare State plans for water supply, sewerage and drainage on the directions of the State Government;

(iv) to review and advise on the tariff, taxes and charges of water supply in the areas of Jal Sansthans and local bodies which have entered into an agreement with the Nigam under Section 46;

(v) to assess the requirement for materials and arrange for their procurement and utilisation;

(vi) to establish State standards for water supply and sewerage services;

(vii) to perform all functions, not stated herein which were being performed by the Local Self-Government Engineering Department before the commencement of this Act;

(viii) to review annually the technical, financial, economic and other aspects of water supply and sewerage system of every Jal Sansthan or local bodies which have entered into an agreement with the Nigam under Section 46;

(ix) to establish and maintain a facility to review and appraise the technical, financial, economic and other pertinent aspect of every water supply and sewerage scheme in the State;

- (x) to operate, run and maintain any waterworks and sewerage system, if and when directed by the State Government, on such terms and conditions and for such period as may be specified by the State Government;
- (xi) to assess the requirements for manpower and training in relation to water supply and sewerage services in the State;
- (xii) to carry out applied research for efficient discharge of the functions of the Nigam or a Jal Sansthan;
- (xiii) any other functions entrusted to the Nigam by or under this Act; and
- (xiv) such other functions as may be entrusted to the Nigam by the State Government by notification in the Gazette.

15. Powers of the Jal Nigam.-(1) The Nigam shall, subject to the provisions of this Act have power to do anything which may be necessary or expedient for carrying out its functions under this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, such power shall include the power-

- (i) to inspect all water supply and sewerage facilities in the State by whomsoever they are operated;
- (ii) to obtain such periodic or specific information from any local body and operating agency as it may deem necessary;
- (iii) to provide training for its own personnel as well as employees of the local bodies;
- (iv) to prepare and carry out schemes for water supply and sewerage;
- (v) to lay down the schedule of fees for all services rendered by the Nigam to the State Government, local bodies, institutions or individuals;
- (vi) to enter into contract or agreement with any person, firm or institution, as the Nigam may deem necessary, for performing its functions under this Act;
- (vii) to adopt its own budget annually;
- (viii) to approve tariffs for water supply and sewerage services applicable to respective local areas comprised within the jurisdiction of Jal Sansthans and such local bodies as have entered into an agreement with the Nigam under Section 46;
- (ix) to borrow money, issue debentures to obtain subventions and grants and manage its own funds;
- (x) to disburse loans to local bodies for their water supply and sewerage schemes;
- (xi) to incur expenditure and to grant loans and advances to such persons or authorities as the Nigam may deem necessary for performing the functions under this Act.

16. Power to call for reports and information.-(1) The Nigam may call for such reports and information from a Jal Sansthan or local body as the Nigam may consider necessary and after considering them, issue such directions to such Jal Sansthan or local body as may be considered necessary.

(2) (a) The directions so issued shall be complied with by the Jal Sansthan or local body concerned as speedily as possible.

(b) In case such Jal Sansthan or local body disagrees with such direction or experiences any difficulty in complying with the same, it shall refer the matter to the State Government whose direction thereon shall be final.

17. Supervision and centage charges.-The Nigam may include in the cost of any scheme or work the execution or further execution whereof is undertaken under clause (i) of Section 14, supervision and centage charge at such rate not exceeding such limit as may be prescribed, as it may determine under clause (v) of sub-section (2) of Section 15.

CHAPTER III ESTABLISHMENT, CONDUCT OF BUSINESS, FUNCTIONS AND POWERS OF JAL SANSTHANS

18. Establishment of Jal Sansthan.- (1) If in the opinion of the State Government, local conditions so require and it is considered necessary or expedient for the improvement of water supply and sewerage services in any area, it may constitute a body to be known as Jal Sansthan for that area.

(2) A Jal Sansthan shall be constituted by notification in the Gazette and with effect from the date specified therein.

(3) A Jal Sansthan⁸ [not being a Jal Sansthan referred to in sub-section (1) or sub-section (2) of Section 20] may be constituted under sub-section (1) to have jurisdiction over the local area or any part thereof, of one or more local bodies as the State Government may specify in the said notification.

(4) A Jal Sansthan shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the name of "(short name of the area specified in the said notification) Jal Sansthan" and have the power to acquire, hold, or dispose of property.

(5) Jal Sansthan shall for all purposes be deemed to be a local authority.

(6) A Jal Sansthan shall have its head office at the place specified in the notification under sub-section (1).

(7) A Jal Sansthan may also have sub-offices at such place within its jurisdiction as it may consider necessary.

(8) The State Government may, where it considers necessary or expedient in the public interest so to do, by notification in the Gazette, and with effect from the date specified in the notification-

(a) include any area in or exclude any area from, the area of a Jal Sansthan specified in the notification under sub-section (1);

(b) divide the area of a Jal Sansthan specified in the notification under sub-section (1) into area of two or more separate Jal Sansthan;

(c) amalgamate the areas of two or more Jal Sansthans specified in the notification under sub-section (1) into the area of one Jal Sansthan; or (d) declare that any part in the area of a Jal Sansthan specified in the notification under sub-section (1) shall cease to be such area.

⁹**[19. Jal Nigam as Jal Sansthan.**- The State Government may, by notification, direct that in such rural areas as are specified in the notification, for which no Jal Sansthan has been established under Section 18, all or any of the powers, duties

8.*Ins.* by U.P. Act 28 of 1978 (w.e.f. 1-8-1978).

9.*Subs.* by U.P. Act 28 of 1978 (w.e.f. 1-8-1978).

and functions of a Jal Sansthan under any provisions of this Act shall be exercised, discharged or performed by the Jal Nigam; and thereupon for the purposes of exercising, discharging or performing such powers, duties or functions the Jal Nigam shall be deemed to be the Jal Sansthan and the date of such notification shall be deemed to be the date of constitution of the Jal Sansthan].

¹⁰[**20. Constitution of Jal Sansthan.**- (1) Jal Sansthan constituted to have jurisdiction over the local area of a Nagar Mahapalika shall consist of a Chairman who shall be the Nagar Pramukh of the Nagar Mahapalika (ex officio), and the following other members, namely-

- (a) a General Manager, to be appointed by the Nigam with the approval of the State Government who shall be a qualified engineer having administrative experience and experience of water supply and sewerage works;
- (b) a Joint Director of Medical and Health Services to be nominated by the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh;
- (c) three Sabhasads of the Nagar Mahapalika nominated by the State Government;
- (d) two representatives of the Nigam;
- (e) the Director of Local Bodies, Uttar Pradesh;
- (f) the Mukhya Nagar Adhikari of the Nagar Mahapalika.

(2) A Jal Sansthan constituted to have jurisdiction over the local area of a Municipal Board shall consist of a Chairman who shall be the President of the Municipal Board (ex officio), and the following other members namely:

- (a) a General Manager, to be appointed by the Nigam with the approval of the State Government who shall be a qualified engineer having administrative experience and experience of water supply and sewerage works;
- (b) an officer subordinate to the District Magistrate nominated by the latter;
- (c) two representatives of the Nigam;
- (d) Deputy Medical Officer (Health) of the District in which the head office of the Municipal Board is situate;
- (e) an officer nominated by the Director of Local Bodies, Uttar Pradesh;
- (f) two elected members of the Municipal Board, to be nominated by the State Government.

(3) Any other Jal Sansthan shall consist of a Chairman appointed by the State Government, and the following other members, namely-

- (a) the Collector of the District in which the head office of the Jal Sansthan is situate, ex officio;
- (b) the seniormost officer of the Community Development Department having his headquarter within the area of the Jal Sansthan;
- (c) a General Manager, ¹¹ [to be appointed by the State Government], who shall be a qualified engineer having administrative experience and experience of water supply and sewerage works;
- (d) two representatives of the Nigam;

10. Subs. by U.P. Act 28 of 1978 (w.e.f. 1-8-1978).

11. Subs. by U.P. Act 5 of 1984 (w.e.f. 12-12-1983).

(e) one nominee of the State Government from amongst the elected heads or members of the local bodies or each district within the jurisdiction of the Jal Sansthan:

Provided that where the number of districts within the jurisdiction of the Jal Sansthan is less than five, the number of such nominees shall be five out of which at least one shall be from each district;

(f) the Chief Medical Officer of the district in which the head office of the Jal Sansthan is situate.]

21. Disqualifications.- The provisions of Section 5 relating to the disqualifications for being Chairman or other member of the Nigam shall mutatis mutandis apply in relation to the offices of Chairman and other members of the Jal Sansthan also.

22. Term of office.- (1) The Chairman of a Jal Sansthan, unless appointed ex officio, shall hold office for three years unless his term is determined earlier by the State Government, by notification in the Gazette, and shall be eligible for reappointment.

(2) A member nominated under clause (e) of Section 20 shall, unless his term is determined earlier by the State Government, by notification in the Gazette, hold office for a period of three years or until the expiry of his term of office as elected member of the local body concerned, whichever is earlier.

(3) The member appointed under clause (c) of sub-section (2) of Section 20 shall hold office on such terms and conditions as the State Government by order specify.

(4) The Chairman or any other member of a Jal Sansthan may at any time by writing under his hand addressed to the State Government resign his office, and on such resignation being accepted he shall be deemed to have vacated his office.

23. Remuneration.- (1) The Chairman and such other members of a Jal Sansthan, if they work whole-time for the Jal Sansthan shall be paid from the funds of the Jal Sansthan such remuneration, if any, as may be fixed by the State Government.

(2) If the Chairman or any other member of a Jal Sansthan is by infirmity or otherwise rendered incapable of carrying out his duties or is absent on leave otherwise in circumstances not involving the vacation of his appointment, the State Government may appoint any other person to officiate for him and to carry out his functions under this Act.

24. Functions of a Jal Sansthan.- The functions of a Jal Sansthan shall be as follows:

- (i) to plan, promote and execute schemes of and operate an efficient system of water supply;
- (ii) where feasible, to plan, promote and execute schemes of, and operate, sewerage, sewage treatment and disposal and treatment of trade effluents;
- (iii) to manage all its affairs so as to provide the people of the area within its jurisdiction with wholesome water and where feasible, efficient sewerage service;
- (iv) to take such other measures, as may be necessary, to ensure water supply in times of any emergency;

- (v) such other functions as may be entrusted to it by the State Government by notification in the Gazette.

25. Powers of a Jal Sansthan.- (1) Every Jal Sansthan shall, subject to the provisions of this Act, have power to do anything which may be necessary or expedient for carrying out its functions under this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision such powers shall include the power-

- (i) to exercise all powers and perform all the functions relating to water supply, sewerage and sewage disposal of the area which lies within its jurisdiction;
 - (ii) to acquire, possess and hold lands and other property and to carry any water or sewerage works through, across, over or under any highway, road, street or place and, after reasonable notice, in writing to the owner or occupier, into, through, over or under any building or land;
 - (iii) to abstract water from any natural source and dispose of waste water;
 - (iv) to enter into contract or agreement with any person or body as the Jal Sansthan may deem necessary;
 - (v) to adopt its own budget annually;
 - (vi) to introduce or amend tariff for water supply and sewerage services, subject to approval of the Nigam and collect all taxes and charges for these services as may be prescribed:
- ¹²[Provided that no decision to introduce or amend such tariff shall be taken except by a special resolution in that behalf brought after giving such notice as may be prescribed, and passed by the majority of two-thirds of the members of the Jal Sansthan;]
- (vii) to incur expenditure and manage its own funds;
 - (viii) to obtain loans, advances, subventions and grants from the Nigam.

26. Delegation of powers.- Subject to the provisions of this Act, a Jal Sansthan may by general or special order, delegate, either unconditionally or subject to such conditions as may be specified in the order, including the power of review by itself, to any committee appointed by it or to the General Manager or any other officer of the Jal Sansthan such of its powers and duties under this Act as it may deem fit, not being its powers and duties under Sections 44 and 50.

¹³[**27. Creation of posts and appointment of employees.**- (1) The Jal Sansthan may, with the previous approval of the State Government, create such posts of officers and other employees and with such designations as it considers necessary for the efficient performance of its functions.

(2) The appointments to the posts, referred to in sub-section (1), shall be made by the Jal Sansthan on such terms and conditions as it thinks fit:

Provided that the appointment on such posts as the State Government may, by rules framed under Section 27-A or by general or special order, specify shall be made and the terms and conditions of appointment on such posts shall be determined with the approval of the Government.

12.*Ins.* by U.P. Act 28 of 1978 (w.e.f. 1-8-1978).

13.*Subs.* by U.P. Act 5 of 1984 (w.e.f. 12-12-1983).

(3) Subject to general control and directions of the Chairman, the supervision and control over all employees of the Jal Sansthan shall be vested in the General Manager.]

¹⁴[**27-A. Centralisation of services.**- (1) Notwithstanding anything contained in Section 27 or in any other provision of the Act, the State Government may at any time, by rules, provide for the creation of one or more services of such officers and servants as the State Government may deem fit common to Jal Sansthans or to the Jal Sansthans, Nagar Mahapalikas and Nagarpalikas in the State and prescribe the method of recruitment and conditions of service of persons appointed to any such service.

(2) Where any such service is created, employees serving on the posts included in the service as well as officers and servants performing duties and functions of those posts may, if found suitable, be absorbed in the service, provisionally or finally, and the service of others shall be determined in the prescribed manner.

(3) On the creation of such service it shall be lawful for the Director or Local Bodies or any other officer authorised by the Government in this behalf to transfer an employee serving on any post in any Jal Sansthan or Waterworks to any other Jal Sansthan or Waterworks.

(4) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-sections (1) and (2), such rules may also provide for consultation with the State Public Service Commission in respect of any of the matters referred to in the said sub-sections.]

28. Authentication of orders and other instruments of the Jal Sansthan.-

(1) All proceedings of the Jal Sansthan shall be authenticated by the signature of the Chairman and all orders and other instruments of the Jal Sansthan shall be authenticated by the signature of the General Manager or such other officer of the Jal Sansthan as may be authorised in this behalf by regulations.

(2) The Jal Sansthan may invite any person to attend a meeting of the Jal Sansthan for the purpose of assisting or advising it on any matter, and the person so invited may take part in any proceedings of the Jal Sansthan but shall have no right to vote.

29. Act not to be invalidated by informality, vacancy, etc.- No act done or proceeding taken under this Act by the Jal Sansthan or a committee appointed by the Jal Sansthan shall be invalidated merely on the ground of-

(a) any vacancy or defect in the constitution of the Jal Sansthan or any committee thereof; or

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as a member thereof; or

(c) any defect or irregularity to such act or proceeding, not affecting the substance.

30. Disputes with consumers.- Subject to the provisions of this Act, any dispute arising between the Jal Sansthan and the consumer shall be referred to the Nigam whose decision shall be final.

¹⁴ Im. by U.P. Act 5 of 1984 (w.e.f. 12-12-1983).

CHAPTER IV
VESTING OF PROPERTIES, ASSETS, LIABILITIES AND
OBLIGATIONS AND TRANSFER OF EMPLOYEES

31. Vesting and transfer of property to Nigam.- (1) As from June 18, 1975, the date of establishment of the Nigam hereinafter in this Chapter referred to as "the appointed date", -

- (a) all properties and assets (including waterworks, buildings, laboratories, stores, vehicles, furnitures and other furnishing) which immediately before the appointed date were vested in the State Government for the purposes of the Local Self-Government Engineering Department shall vest in and stand transferred to the Nigam; and
- (b) all the rights, liabilities and obligations of the State Government whether arising out of any contract or otherwise pertaining to the said departments shall be the rights, liabilities and obligations of the Nigam.

(2) Such properties, assets, rights, liabilities and obligations shall be valued in such manner as the State Government may determine.

(3) All suits and other legal proceedings instituted or defended or which might but for vesting and transfers under sub-section (1) have been instituted or defended by or against the State Government, may be continued or instituted or defended by or against the Nigam.

32. Decision of the State Government on the vesting of property to be final.- Where any doubt or dispute arises as to whether any property or asset has vested in the Nigam under Section 31 or any rights, liabilities or obligations have become the rights, liabilities and obligations of the Nigam under that section, such doubt or dispute shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

33. Vesting of existing water supply and sewerage services in Jal Sansthan.-

(1) Wherever a Jal Sans than is constituted by the State Government under Section 18-

- (a) all the existing water supply services, and where the Jal Sansthan undertakes the functions specified in clause (ii) of Section 24 all the existing sewerage services, sewage works and sewage farms, including, as the case may be, all plants, machineries, waterworks, pumping stations, filter beds, water mains and public sewers in, along, over or under any public street, and all buildings, lands and other works, materials, stores and things appertaining thereto, belonging to or vested in every local body within the area of the Jal Sansthan;
- (b) so much of the sub-soil appertaining to the said water mains and sewers as may be necessary for the purpose of enlarging, deepening or otherwise repairing or maintaining, any such water mains and sewers or any pipes and other appliances and fittings connected with such water supply and services, sewerage and sewage works and farms; and
- (c) all rights, liabilities and obligations of such local body relating to the things mentioned in clauses (a) and (b) including the right to recover arrears of water tax and sewerage tax, by whatever name called, and of any cost or fees relating to water supply and sewerage services and also including liabilities arising from any loans advanced by the Government or any other person to the said local body for the

things aforesaid other than loans diverted to or utilised for purposes other than those referred to in clauses (a) and (b),

shall with effect from the date of the constitution of the Jal Sansthan (hereinafter in this Chapter referred to as "the said date"), vest in and stand transferred to the Jal Sansthan and be subject to its control.

(2) Such properties, assets, rights, liabilities and obligations shall be valued in such manner as the State Government may determine.

(3) Where any doubt or dispute arises as to whether any property, or asset has vested in the Jal Sansthan under sub-section (1) or any rights, liabilities or obligations have become the rights, liabilities or obligations of the Jal Sansthan' under this section, such doubt or dispute shall be referred to the State Government whose decision shall be final and binding on the Jal Sansthan and the local body concerned.

34. Jal Sansthan to assume obligations of local authority in respect of matters to which this Act applies.- All debts and obligations incurred, all contracts entered into all matters and things engaged to be done by, with or for any local body before the said date in respect of any of the functions specified in Section 24 shall be deemed to have been incurred, entered into or engaged to be done, by, with or for the Jal Sansthan, and all suits or other legal proceedings instituted or which might but for vesting and transfer under sub-section (1) of Section 33, have been instituted or defended by or against the local body, may be continued or instituted or defended by or against the Jal Sansthan.

35. Co-ordination of activities of Jal Sansthan and other local bodies.- If the State Government is of opinion that it is in the public interest that a Jal Sansthan and other local body having jurisdiction over contiguous areas should co-ordinate their activities in relation to water supply services, or sewerage services, or both, it may issue such directions to such Jal Sansthan and other local body concerned as it may think fit, and it shall be the duty of that Jal Sansthan and other local body to comply with such direction.

36. Special powers of Nigam in relation to its re-lending operations.- Where an agreement entered into between a Jal Sansthan or local body and the Nigam under Section 46 so provides, the Nigam shall, without prejudice to its rights under Section 49, have further power to recover directly any arrears of water tax, sewerage tax and of any cost or fee relating to water supply and sewerage services due to the Jal Sansthan or local body in order to enable the Nigam to recover its dues.

37. Transfer of employees to Nigam.- (1) Save as otherwise provided in this section every person, who was employed in the Local Self Government Engineering Department of the State Government shall on and from the appointed date become employee of the Nigam and shall hold his office or service therein by the same tenure, at the same remuneration and upon same other terms and conditions, and with the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as he would have held the same on the appointed date if this Act has not come into force, and shall continue to do so until his employment in the Nigam is terminated or until his remuneration or other terms and conditions of services are revised or altered by the Nigam under or in pursuance of any law or in accordance with any provision which for the time being governs his service:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any such employee, who by notice in writing given to the State Government within such time as the State Government may, by general or special order, specify, intimates his intention of not becoming an employee of the Nigam:

Provided further that the services of any employee referred to in the preceding proviso under the State Government shall stand terminated on account of abolition of the post held by him and he shall be entitled from the State Government to compensation equivalent-

- (i) in the case of a permanent employee, to three months' remuneration;
- (ii) in the case of a temporary employee, to one months' remuneration.

(2) The sums standing to the credit of the employees referred to in sub-section (1) in any pension, provident fund, gratuity or other like funds constituted for them shall be transferred by the State Government to the Nigam along with any accumulated interest due till the appointed date and with the accounts relating to such funds and the Nigam shall, to the exclusion of the State Government, be liable for payment of pension, provident fund, gratuity or other like sums as may be payable to such employees at the appropriate time in accordance with the conditions of their service.

(3) Notwithstanding anything contained in the D.P. Industrial Disputes Act, 1947, or in any other law for the time being in force, the transfer of services of any employee to the Nigam under sub-section (1) shall not entitle any such employee to any compensation under that Act or such other law and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or authority.

(4) Every permanent or temporary employee of the Local Self-Government Engineering Department of the State Government under sub-section (1) shall on and from the appointed date, be a permanent or temporary employee of the Nigam, as the case may be, against a permanent or temporary post which shall stand created in the establishment of the Nigam with effect from the appointed date.

(5) An employee referred to in the first proviso to sub-section 1 shall be deemed to have continued to be in the service of the State Government between the appointed date and the date of abolition of posts under the second proviso to that sub-section, but the State Government shall be entitled to reimbursement from the Nigam of the remuneration paid by it to such employee for that period and also of the compensation referred to in the second proviso to that sub-section.

(6) Nothing in para 426 or para 436 of the Civil Service Regulations as applicable to Government servants under the rule making control of the State Government in relation to retrenchment or abolition of posts shall, except to the extent provided in this section, apply to any employee referred to in sub-section (1).

(7) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections-

- (a) the services of no person who was employed in the Local Self-Government Engineering Department of the State Government immediately before the appointed date against whom any disciplinary proceeding was pending or to whom any notice or order of termination of his services or compulsory retirement had been issued before the appointed date shall stand transferred to the Nigam on or from the appointed date and such persons may be dealt with after the appointed date in such manner and by such authority as the State Government may by general or special order specify in this behalf;

- (b) if the services of any employee of the State Government stand transferred under sub-section (1) to the Nigam, the Nigam shall be competent after such transfer to take such disciplinary or other action as it thinks fit against or in respect of such employee having regard to any act or omission or conduct or record of such employee while he was in service of the State Government.

38. Transfer of employees to Jal Sansthan.- (1) Save as otherwise provided in this section, every person (excluding a member of a service created under ¹⁵[Section 27-A of this Act), Section 69-B of the U.P. Municipalities Act, 1916, and Section 112-A of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959) who was employed exclusively in connection with water supply or sewerage services or sewage works or sewage farms under a local body for the local areas of which a Jal Sansthan has been constituted shall, on and from the said date, become an employee of the Jal Sansthan and shall hold his office or service therein by the same tenure, at the same remuneration and upon the same other terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as he would have held the same on the said date if the aforesaid water supply and sewerage services, sewage works and sewage farms had not been transferred to and vested in the Jal Sansthan, and shall continue to do so until his employment in the Jal Sansthan is terminated or until his remuneration or other terms and conditions of service are revised or altered by the Jal Sansthan under or in pursuance of any Jawor in accordance with any provision which for the time being governs his service:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any such employee who, by notice in writing given to the State Government within such time as the State Government may, by general or special order, specify, intimates his intention of not becoming an employee of the Jal Sansthan:

Provided further that the services of any employee referred to in the preceding proviso under the local body, shall stand terminated on account of abolition of the post held by him and he shall be entitled from that local body to compensation equivalent-

- (a) in the case of a permanent employee, to three months' remuneration; (b) in the case of a temporary employee, to one months' remuneration.

(2) Notwithstanding anything in sub-section 1 but subject to any express agreement to the contrary, any person referred to therein, other than a workman as defined in the U.P. Industrial Disputes Act, 1947, who becomes an employee of the Jal Sansthan shall be liable to be transferred from any establishment or undertaking in which he was employed immediately before the said date to any other establishment or undertaking belonging to the Jal Sansthan at the same remuneration and on the same other terms and conditions as govern him immediately before such transfer.

(3) If any question arises as to whether any person was exclusively employed in connection with the aforesaid water supply and sewerage services, sewage works and sewage farms under the local body immediately before the said date, it shall be decided by the State Government.

(4) The sums standing to the credit of the employees referred to in sub-section (1) in any pension, provident fund, gratuity or other like funds constituted for them

15. Subs. by U.P. Act 5 of 1984 (w.c.f 12-12-1983).

shall be transferred by the local body concerned by the Jal Sansthan along with any accumulated interest due till the said date and with the accounts relating to such fund and the Jal Sansthan shall, to the exclusion of the local body, be liable for payment of pension, provident fund, gratuity or other like dues as may be payable to such employees at the appropriate time in accordance with the conditions of their service.

(5) Notwithstanding anything contained in the U.P. Industrial Disputes Act, 1947, or, in any other law for the time being in force, the transfer of services of any employee to the Jal Sansthan under sub-section (1) shall not entitle any such employee to any compensation under that Act or such other law, and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or authority.

(6) Every permanent or temporary employee of a local body becoming an employee of a Jal Sansthan under sub-section (1) shall, on and from the said date be a permanent or temporary employee of the Jal Sansthan, as the case may be, against a permanent or temporary post which shall stand created in the establishment of the Jal Sansthan with effect from the said date.

(7) An employee referred to in the first proviso to sub-section (1) shall be deemed to have continued to be in the service of the local body concerned between the said date and the date of abolition of posts under the second proviso to that sub-section, but the local body shall be entitled to reimbursement from the Jal Sansthan of the remuneration paid by it to such employee for that period and also of the compensation referred to in the second proviso to that sub-section.

(8) Nothing in para 426 or para 436 of the Civil Service Regulations as applicable to Government servants or in any other rules relating to employees of the local bodies in relation to retrenchment or abolition of posts shall except to the extent provided in this section, apply to any employee referred to in sub-section (1).

(9) Notwithstanding anything contained in ¹⁶[Section 27-A of this Act], Section 69-B of the U.P. Municipalities Act, 1916, and Section 112-A of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, or in the rules relating to centralised services made under the said sections, every person belonging to a centralised service referred to in the said sections and rules shall be bound ¹⁷[to service with such Jal Sansthan or the Nigam to which his services are for the time being lent or transferred] by an order of the Director of Local Bodies, Uttar Pradesh, and no such employee shall be entitled to any deputation or other allowances merely on the ground of such deputation, and subject thereto, they shall continue to remain the members of the centralised service on the same terms and conditions as before being placed on such deputation.

(10) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections-

- (a) the services of no person who was employed under any local body immediately before the appointed date against whom any disciplinary proceeding was pending or to whom any notice or order of termination of his services or compulsory retirement had been issued before the appointed date shall stand transferred to the Jal Sansthan on or from the appointed date, and such persons may be dealt with after the appointed

16. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1984 (w.e.f. 12-12-1983).

17. *Subs.* by U.P. Act 5 of 1984 (w.e.f. 12-12-1983).

date. in such manner and by such authority as the State Government may by general or special order specify in this behalf;

- (b) if the services of an employee of a local body stand transferred under sub-section (1) to the Jal Sansthan, the Jal Sansthan shall be competent after such transfer to take such disciplinary or other action as it thinks fit against or in respect of such employee having regard to any act or omission or conduct or record of such employee while he was in the service of the local body.

CHAPTER V

PROPERTY, CONTRACT, FINANCE, ACCOUNTS AND AUDITS

39. Execution and registration of contracts, etc.- Every contract or assurance of property on behalf of the Nigam or a Jal Sansthan shall be in writing and executed by such authority and in such manner as may be provided by regulations.

40. Nigam's funds.- (1) The Nigam shall have its own fund to be called the Nigam Fund, which shall be deemed to be a local fund and to which shall be credited all moneys received otherwise than by way of loans by or on behalf of the Nigam.

(2) The Nigam shall also have another fund to be called the Local Fund, which shall also be deemed to be a local fund and to which shall be credited all moneys received by or on behalf of the Nigam by way of loans.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-sections (1) and (2), the Nigam may, with the previous approval of the State Government, constitute such other funds as may be necessary for the efficient performance of its functions under this Act.

41. Jal Sansthan's Fund.- Every Jal Sansthan shall have its own fund which shall be deemed to be a local fund and to which shall be credited all moneys received by or on behalf of the Jal Sansthan.

42. General principles for Jal Nigam's Finance.- The Nigam shall not, as far as practicable and after taking credit for any grant or sub-vention from the State Government under Section 43 carry on its operation under this Act at a loss.

43. Grants and subventions to the Nigam and Jal Sansthan.- (1) The State Government may, after due appropriation by law of the State Legislature, from time to time make grants and subventions to the Nigam for the purposes of this Act on such terms and conditions as the State Government may determine.

(2) The State Government shall not make any subventions and grants to any local body or Jal Sansthan for purposes of water supply and sewerage services except through the Nigam.

44. General principles for Jal Sansthan's Finance.- A Jal Sansthan shall from time to time so fix and adjust its rates of taxes and charges under this Act as to enable it to meet, as soon as feasible, the cost of its operations, maintenance and debt service and where practicable to achieve an economic return on its fixed assets.

45. Loans to the Nigam.- The State Government may from time to time advance loans to the Nigam on such terms and conditions, not inconsistent with provisions of this Act as the State Government and the Nigam may agree upon.

46. Power of the Jal Nigam to borrow and re-lend.- (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force under which any local body is constituted and except as otherwise provided in sub-section (5), the Nigam

shall, with effect from the date of its establishment, be the only local authority authorised to borrow any sum of money for water supply and sewerage services:

Provided that a local body having jurisdiction over a local area not included within the jurisdiction of a Jal Sansthan may with the approval of the State Government, which shall consult the Nigam before giving such approval, borrow any sum of money for such services.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) the Nigam may, from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of this Act and to such conditions as the State Government may, by general or special order determine, borrow any sum required for the purposes of this Act, whether by the issues of bonds or stock or otherwise or making arrangements with bankers or other bodies or institutions approved by the State Government for this purpose.

(3) Stock issued by the Nigam under this section shall be issued, transferred, dealt with and redeemed in such manner as the State Government may, by general or special order, direct.

(4) The Nigam may advance any part of such borrowings to any local body for the performance of functions relating to water supply and sewerage services on such terms and conditions as the Nigam may determine.

(5) Where the Nigam has borrowed any sum for advancing loans to a Jal Sansthan or a local body for water supply and sewerage services, the Nigam shall transfer such loans to such Jal Sansthan or local body at such terms and rates of interest, in such amount and subject to such conditions of repayment as the Nigam and Jal Sansthan or the local body may by agreement provide, for the efficient promotion, execution, operation and maintenance of water supply and sewerage services in its area.

47. Depreciation reserve.- The Nigam and every Jal Sansthan shall create a depreciation reserve and make annual provision therefor in accordance with such principles as may be prescribed.

48. Government Guarantor.- The State Government may guarantee the repayment of any loan and payment of interests on all loans made or transferred to the Nigam for the purposes of this Act.

49. Direct management by Nigam.- (1) Where any Jal Sansthan or local body which is under a liability to the Nigam under any agreement makes any default in repayment of any loan or advance or any instalment thereof or otherwise to comply with the terms of the agreement with the Nigam, the Nigam may request the State Government for action under this section.

(2) The State Government on receiving a request from the Nigam under sub-section (1) may, after giving an opportunity of explanation to the Jal Sansthan or local body concerned, direct that the Nigam shall take over the management of the water supply or sewerage services or both, as the case may be, of the Jal Sansthan or local body and realise its dues through such management, and such order shall have effect for such period not exceeding three years as may be specified by the State Government:

Provided that the State Government may by order extend the period of operation of its original order from time to time so however that such extension shall not exceed two years in the aggregate.

¹⁸[(2_A) If at any time the State Government is satisfied that a Jal Sansthan or local body has mismanaged the water supply or sewerage services or both, as the case may be, or has occasioned loss to its property, it may, after giving an opportunity of explanation to the Jal Sansthan or local body, by order, transfer the management of water supply or sewerage services of that Jal Sansthan or local body direct to the Nigam, and such order shall have effect for such period not exceeding three years as may be specified by the State Government:

Provided that the State Government may, by order, extend the period of operation of its original order from time to time, so however that such extension shall not exceed two years in the aggregate.]

(3) Where the management of water supply or sewerage services of any Jal Sansthan or local body is taken over by the Nigam or any dues are realised by it under the [provisions of sub-section (2) or sub-section (2-A)]¹⁹ all costs, charges and expenses properly incurred by it as incidental to such management and realisation shall be recoverable from the Jal Sansthan or local body and the money which is received by it from such management and realisation shall, in absence of any contract to the contrary, be held by it in trust to be applied, firstly, in payment of such costs, charges and expenses and secondly, in discharge of the debt due to the Nigam and residue of the money so secured shall be paid to the Jal Sansthan or local body entitled thereto.

(4) Where an order is passed [under sub-section (2), or (2-A)]²⁰ the Jal Sansthan or local body concerned and its employees engaged in the water supply or sewerage services or both, as the case may be, shall forthwith comply with such order, and at the request of the Nigam the Collector of the district may take all necessary steps for securing to the Nigam the possession of any property or asset, book of account, register or document relating to such services and, in particular, may use or cause to be used such force as may be necessary.

50. Accounts and audit.- (1) The Nigam and a Jal Sansthan shall before the commencement of, and may at any time during a financial year, prepare a statement or a supplementary statement, as the case may be, of programme of its activities during that year as well as financial estimate in respect thereof and the same shall be submitted in the case of Nigam to the State Government and in the case of Jal Sansthan to the Nigam in such manner, in such form and by such dates as the State Government may, by general or special order direct, for the previous approval of the State Government or the Nigam, as the case may be:

Provided that in the event of such previous approval not being received before the commencement of the financial year for which such financial statement has been submitted, the Nigam or the Jal Sansthan, as the case may be, shall be entitled to expend on all accounts up to an amount not exceeding the amount approved for the corresponding period of the previous financial year and such amount shall not include any sum spent out of the grants and subventions during the said period.

(2) The Nigam and a Jal Sansthan shall cause to be maintained such proper books of account and other books in relation to its accounts and prepare the balance-sheet in such form and manner as the regulations may require.

18.*Ins.* by U.P. Act 28 of 1978 (w.e.f. 1-8-1978).

19.*Subs.* By U.P. Act 28 of 1978 (w.e.f. 1-8-1978).

20. *Subs.* by U.P. Act 28 of 1978 (w.e.f. 1-8-1978).

(3) The account~ of the Nigam and Jal Sansthan shall be audited by such Auditor, in such manner and at such times as the State Government may, by general or special order, direct, and the Auditor so appointed shall have such powers of requiring the production of documents and the furnishing of information respecting such matters, and shall have such powers in respect of disallowance and surcharge as may be prescribed.

(4) The accounts of the Nigam and a Jal Sansthan, as certified by the Auditor together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government and the Nigam respectively, who may issue such directions to the Nigam or the Jal Sansthan, as the case may be, as it may deem fit, and the Nigam or the Jal Sansthan shall comply with such directions.

(5) The State Government shall-

(a) cause the accounts of the Nigam together with the audit report thereon, received by it under sub-section (4) to be laid annually before each House of the State Legislature, and

(b) cause the accounts of the Nigam to be published in such manner as it thinks fit.

51. Surcharge.- (1) The Chairman and other members, officers and employees of the Nigam, or, as the case may be, of the Jal Sansthan, shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the Nigam or the Jal Sansthan if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct while acting as such Chairman, or other member or officer or employee.

(2) The procedure of surcharge shall be such as may be prescribed.

(3) Any amount found to be involved in such loss, waste or misapplication as a result of proceedings for surcharge shall be recoverable as arrears of land revenue.

(4) Nothing in sub-section (3) shall prevent the Nigam or the Jal Sansthan from deducting any amount referred to therein from any sum payable by the Nigam or the Jal Sansthan on account of remuneration or otherwise to such Chairman or other member or officer or employee.

CHAPTER VI

TAXES, FEES AND CHARGES

52. Taxes leviable.- (1) For the purposes of this Act, a Jal Sansthan shall levy, on premises situated within its area:

(a) where the area is covered by the water supply services of Jal Sansthan, a water tax; and

(b) where the area is covered by the sewerage services of Jal Sansthan, a sewerage tax.

(2) The taxes mentioned in sub-section (1) shall ²¹ [, in a local area other than a city,] be levied at such rate which in the case of water tax shall be not less than 6 per cent and not more than 14 per cent and in the case of sewerage tax shall be not less than 2 per cent and not more than 4 per cent of the assessed annual value of the premises as the Government may, from time to time after considering the recommendation of the Nigam, by notification in the Gazette, declare.

21. *Ins.* by Act 16 of 1999. S. 2.

²²[(3) The taxes mentioned in sub-section (1), shall, in a city, be levied at such rate which in the case of water tax shall not be less than 7.5 per cent and not more than 12.5 per cent and in the case of sewerage tax shall not be less than 2.5 per cent and not more than 5 per cent of the annual value of the premises determined under the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959, as the State Government may, from time to time, after considering the recommendation of the Nigam, by notification in the Gazette, declare.]

²³[*Explanation.*-For the purposes of this section-

- (i) the expression "city~ shall have the meaning assigned to it in the .Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959; and
- (ii) the expression "sewerage tax~ shall have the same meaning as the "drainage tax~ has been assigned in the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959.]

53. Assessment of annual value.- (1) For the purposes of ²⁴[sub-section (2) of] of Section 52, annual value means-

- (a) in the case of railway stations, educational institutions (including their hostels and halls) factories (as defined in the Factories Act, 1948), and commercial establishments (as defined in the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhithan Adhiniyam, 1956), five per cent of the market value of the premises;
- (b) in the case of any other premises, the gross annual rent for which such premises are actually let or where the premises are not let, the gross annual rent for which the premises might reasonably be expected to be let:

Provided that the annual value in the case of premises occupied by the owner himself shall be deemed to be twenty-five per cent less than the annual value otherwise determined under this section.

(2) The annual value of premises for the purposes of the levy of taxes ²⁵[under sub-section (2) of] Section 52 shall be assessed by such authority as the State Government may, by general or special order direct, and such authority may be either the Jal Sansthan itself or any other agency as may be specified in the order

(3) Where the assessment is made by the Jal Sansthan or by any other agency the Jal Sansthan or such other agency shall follow the prescribed procedure.

(4) Until an assessment of the annual value of premises in any local area is made by the Jal Sans than or any other agency specified under sub-section (2) the annual value of all premises in that local area, as assessed by the local body concerned for the purposes of house tax shall be deemed to be the annual value of the premises for the purposes of this Act as well.

(5) Where the annual value of premises in any local area is assessed by the Jal Sansthan or other agency specified under sub-section (2), it shall, subject to any variation therein on appeal under Section 54, be deemed to be the annual value of the premises for the purposes also of house tax levied by the local body concerned, anything contained in the law constituting such local body notwithstanding.

22. *Ins.* by Act 16 of 1999. S. 2.

23. *Ins.* by Act 16 of 1999, S. 2.

24. *Ins.* by Act 16 of 1999, S. 3.

25. *Sub.* for "mentioned in" by Act 16 of 1999. S. 3.

54. Appeal against assessment.- (1) Any person aggrieved by an order of assessment made by a Jal Sansthan or any other agency under sub-section (2) of Section 53 may, within thirty days from the date of such order, prefer an appeal to the prescribed authority.

(2) Where an appeal is preferred from an order of the Jal Sansthan or any other agency under sub-section (1), the prescribed authority may stay the enforcement of that order for such period and on such terms as it deems fit.

(3) The prescribed authority may, after giving to the parties an opportunity of being heard, confirm, set aside or modify the order under appeal.

(4) A decision of the prescribed authority under sub-section (3) shall be final and binding on the parties.

55. Restriction on levy of taxes.- The levy of taxes mentioned in Section 52 shall be subject to the following restrictions, namely-

(a) they shall not be levied on any land exclusively used for agricultural purposes unless water is supplied by the Jal Sansthan for such purposes to that land;

(b) the water tax shall not be levied on any premises-

²⁶(i) of which no part is situate within the radius prescribed from the nearest stand-post or other waterworks at which water is made available to the public by the Jal Sansthan; or

(ii) the annual value of which does not exceed rupees three hundred and sixty, and to which no water is supplied by the Jal Sansthan.]

(c) the sewerage tax shall not be levied on any premises-

(i) of which no part is within a radius of one hundred metres from the nearest sewer of the Jal Sansthan, or

(ii) the annual value of which does not exceed one hundred fifty rupees.

56. Liability for payment of taxes.- The taxes mentioned in Section 52 shall be recoverable-

(a) in the case of premises connected with water supply or, as the case may be, with the sewer of A Jal Sansthan, from the occupier of the premises;

(b) in the case of premises not so connected, from the owner of the premises. 57. Consolidation of taxes.-For the purposes of levying, assessing or collecting the two taxes, mentioned in Section 52, A Jal Sansthan may consolidate both taxes.

58. Application of certain provisions of U.P. Act 2 of 1959.-²⁷[(1)] The provisions of Sections 178, 214, 215, 222, 223 and 226, of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, shall mutatis mutandis, apply in relation to the taxes mentioned in Section 52, as they apply to the property taxes described in Section 173 of that Adhiniyam, and references in the said provisions to the Mahapalika and the Mukhya Nagar Adhikari shall be construed respectively as references to the Jal Sansthan and such officer of the Jal Sansthan as may be authorised by it in that behalf:

26.Subs. by U.P. Act 10 of 1978 (w.e.f. 1-12-1977).

27. Original S.58 renumbered as sub-section (1) and a provisio and sub-section 2 ins. by U.P. Acts 5 of 1984 (w.e.f. 1-2-1984).

²⁸[Provided that, in the case covered by clause (a), where such premises is let to more occupiers than one or for any other sufficient reason recovery of tax from the occupier is found to be inexpedient, the Jal Sansthan may, at its option, levy the tax from the owner instead of from the occupier.

(2) An owner from whom tax is levied under the proviso to sub-section (1) may in the absence of contract to the contrary, recover it from the occupier.]

59. Cost of water.- (1) A Jal Sansthan shall, by notification in the Gazette, fix the cost of water to be supplied by it according to its volume, and also the minimum cost to be charged in respect of each connection.

(2) A Jal Sansthan may, in lieu of charging the cost of water according to volume, accept a fixed sum for a specified period on the basis of expected consumption of water during that period.

60. Cost of disposal of waste water.- (1) A Jal Sansthan shall, by notification in the Gazette, fix the cost of disposal of water according to its volume (which shall be such percentage of the volume of total water supplied to the consumer as may be prescribed), and also the minimum cost to be charged in respect of such disposal.

(2) A Jal Sansthan may in lieu of charging the cost of disposal of waste matter according to the basis stated in sub-section (1) accept a fixed sum for a specified period on the basis of expected disposal of waste water during that period.

61. Meter Rent.- A Jal Sansthan may provide water meters and charge such rent for the meter as may be provided in the bye-laws.

62. Security.- A Jal Sansthan may demand such sum as security from the consumer in connection with the supply of meter or for sewer connection as provided by bye-laws provided that the Jal Sansthan shall pay interest at such rate as the Nigam may, from time to time, determine, on any sum so deposited with it.

63. Fees.- A Jal Sansthan may charge such fees, for connection, disconnection, re-connection of any water supply or sewer or testing or supervision or for any other service rendered or work executed or supervised as may be provided by bye-laws.

64. Recovery of taxes and other sums due.- (1) Any sum due to A Jal Sansthan on account of tax, fee, cost of water, cost of disposal of waste water, the meter-rent, penalty, damage or surcharge under this Act, shall be recoverable as arrears of land revenue.

(2) Nothing in sub-section (1) shall affect the power of alai Sansthan to cut off in accordance with its bye-laws, the connection of water supply in the event of non-payment by the consumer of any dues referred to in that sub-section.

CHAPTER VII WATER SUPPLY

65. Definition of supply of water for domestic purposes.- The supply of water for domestic purposes under this Act means supply for any purpose except the following, namely:

- (a) for any trade, manufacture or business; (b) for gardens or for purposes of irrigation;
- (c) for building purposes including construction of streets;

28. Original S. 58 renumbered as sub-section (1) and a proviso and sub-section 2 ins. by U.P. Act 5 of 1984 (w.e.f 1-2-1984).

- (d) for fountains, swimming baths, public baths or tanks or for any ornamental or mechanical purpose;
- (e) for animals, where they are kept for sale or hire or for the sale of their produce;
- (f) for the consumption and use at a restaurant or by inmates of hotel, boarding house or residential club;
- (g) for the consumption and use by the persons resorting to theatres and cinemas;
- (h) for watering streets; or
- (i) for washing vehicles where they are kept for sale or hire.

66. Supply of water by Jal Sansthan.- (1) A Jal Sansthan shall, on an application made in that behalf by the owner or occupier of any premises, grant supply of water for domestic purposes for-

- (a) any premises situated within a distance of thirty metres from an existing main; or
- (b) where the applicant undertakes to bear the cost any extension which may be necessary beyond a distance of thirty metres for connecting the premises with the nearest existing main, any premises situated beyond such distance.

Explanation.- The Jal Sansthan shall bear the cost of extension only in respect of so much distance, not exceeding thirty metres, as is sufficient to connect the nearest existing main with the outer limit of the premises.

(2) Notwithstanding that the cost of any extension has been borne under clause (b) of sub-section (1) by the person to whom water is supplied, the property therein shall vest in the Jal Sansthan.

(3) The Jal Sansthan may on an application made in that behalf, grant supply of water for any purposes other than domestic purposes.

(4) The supply of water for domestic or other purposes shall be subject to such terms and conditions as may be provided by bye-laws.

(5) Notwithstanding anything in the bye-laws referred to in sub-section (4) the Jal Sansthan may supply water to the Government or any local authority or other statutory corporation or to any educational institution on such terms as to payment and as to the period and the conditions of supply as may be agreed upon .

. 67. Water supply for domestic purposes not to be used for non-domestic purposes.- No person shall, except in such circumstances or subject to such conditions as may be provided by bye-laws use or allow to be used water supplied for domestic purposes, for any other purpose.

68. Provision of fire hydrants.- (1) The Jal Sansthan may, at the request and expense of the owner or occupier of any factory (as defined in the Factories Act, 1948) or any shop or commercial establishment (as defined in the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Adhiniyam, 1962) provide and maintain fire hydrants together with all incidental work, for the supply of water in case of fire in such factory, shop or commercial establishment and in any such case charge from such owner or occupier the cost of water supplied in connection therewith.

(2) The Jal Sansthan shall provide and maintain fire hydrants together with all incidental works for the supply of water in case of fire, at all such other places as it may consider necessary, and supply water in connection therewith.

69. Power to provide water meters.- (1) The Jal Sansthan may provide a water meter and attach the same to the service pipe in premises connected with waterworks of the Jal Sansthan.

(2) The expenses of installation and the rent to be payable for the use of a meter shall be paid by the consumer.

(3) The provision of meters or the transfer of connection thereof and their use, maintenance and testing and the expense of installation and their rents and the furnishing of security, if any, in connection therewith shall be regulated by bye-laws made in that behalf.

70. Licensed plumbers.- (1) No person other than a plumber licensed by the Jal Sansthan (hereinafter referred to as a licensed plumber) shall execute any work in respect of a water connection not being a work of a trivial nature and no person shall permit any such work to be executed by a person other than a licensed plumber.

(2) When any work is executed in contravention of the provisions of sub-section (1), such work shall be liable to be dismantled at the discretion of the Jal Sansthan.

71. Prohibition of wastage of water.- (1) No owner or occupier of any premises to which water is supplied by the Jal Sansthan shall cause or suffer any water to be wasted, or cause or suffer the service pipe or any tap or other fitting or work connected therewith to remain out of repair so as to cause wastage of water.

(2) Whenever the Jal Sansthan has reason to believe that as a result of defect in a service pipe or tap or other fitting or work connected therewith water is being wasted, the Jal Sansthan may by written notice require the consumer to repair and make good the defect within such time as may be specified.

(3) If such repair is not carried out within the time specified the Jal Sansthan may, without prejudice to any action against the consumer under any other provision of this Act, cause such repair to be made, and the cost of such repairs shall be realised from the consumer.

72. Power to cut off water supply.- The Jal Sansthan may cut off the water supply from any premises-

- (a) if any tax, fee, rental, cost of water or any charge or other sum due under this Act, is not paid within a period of fifteen days after service of a bill for the same; or
- (b) if after the receipt of a written notice from the Jal Sansthan requiring him to refrain from so doing, the consumer continues to use the water or to permit the same to be used in contravention of the provisions of this Act or any rule or regulations or bye-laws made thereunder;
- (c) if the consumer damages or causes to be damaged the water meter or any connection pipe or ferrule; or
- (d) if the consumer refuses to admit any officer or servant of a Jal Sansthan duly authorised in this behalf into the premises which he proposes to enter for the purpose of executing any work or placing or removing any apparatus or of making any examination or enquiry in connection with the water supply or prevents any such officer or servant from executing any work or placing or removing any apparatus or making such examination or enquiry; or

- (e) if the service pipe or any tap or other fitting or work connected therewith is found on examination by an officer or servant of the Jal Sansthan duly authorised in this behalf to be out of repair to such an extent as to cause wastage or contamination of water and immediate prevention thereof is necessary; or
- (f) if the consumer causes or allows to be caused the service pipe on any tap or other fitting or work connected therewith to be placed removed, repaired or otherwise interfered with, in contravention of the provisions of this Act or of the rules or regulation or bye-laws made thereunder; or
- (g) if by reason of leakage in the service pipe or any tap or other fitting or work, damage is caused to a public street and immediate prevention thereof is necessary;
- ²⁹[(h)if the consumer does not allow the Jal Sansthan to install meter on his water connection or refuses to deposit security for the supply of meter.]
- (2) No action taken under or in pursuance of this section shall relieve a person from any penalty or liability which he may otherwise have incurred.
- (3) The Jal Sansthan may reconnect the supply of water disconnected under sub-section (1) on payment of such charges and on such terms and conditions as may be provided by bye-laws.

73. Prohibition of certain acts.-(1) No person shall-

- (a) wilfully obstruct any person acting under the authority of the Nigam or a Jal Sansthan in setting out the lines of any work or pull up or remove any pillar, post or stay fixed in the ground for the purpose of setting out the lines of such works, or deface or destroy any works made for the said purpose; or
- (b) wilfully or negligently break, injure, turn on, open, close, shut off or otherwise interfere with any lock, valve, pipe, meter or other work or apparatus belonging to the Nigam or a Jal Sansthan; or
- (c) unlawfully obstruct the flow of or flush, draw off, or divert, or take water from any waterworks belonging to the Nigam or a Jal Sansthan or any water course by which any such water is supplied; or
- (d) obstruct any officer or other employee of the Nigam or a Jal Sansthan in the discharge of his duties under this Chapter or refuse or wilfully neglect to furnish him with means necessary for the making of any entry, inspection, examination or enquiry thereunder in relation to any waterworks; or
- (e) bathe in, at or upon any waterworks, or wash or throw or cause to enter therein any animal or throw any rubbish, dirt or filth into any waterworks, or clean therein any cloth, wool or leather or the skin of any animal, or cause water of any sink, or drain or any steam engine or boiler or any other polluted water to turn or be brought into any waterworks, or do any other act whereby the water in any waterworks, is fouled or likely to be fouled.
- (2) Nothing in clause (b) or sub-section (1) shall apply to a consumer closing the stop-cock fixed on the service pipe supplying water to his premises so long as he obtained the consent of any other consumer whose supply be affected thereby.

29. *Ins.* by U.P. Act 5 of 1984 (w.e.f 12-12-1983).

CHAPTER VIII SEWERAGE

74. Right of owner or occupier to obtain sewer connection.- The owner or occupier of any premises shall be entitled to empty sewage of the premises into a sewer of a Jal Sansthan provided that, before doing so, he,-

- (a) obtains written permission of the Jal Sansthan and pays connection fee in accordance with the bye-laws; and
- (b) complies with such other conditions as may be provided by bye-laws.

75. Power to require owner to have sewer connection.- Where any premises are, in the opinion of a Jal Sansthan, without sufficient means of effectual disposal of sewage and the sewer of the Jal Sansthan is situated at a distance of fifty metres from any part of the premises, the Jal Sansthan may, by written notice, require the owner of the said premises to have sewer connection as provided by bye-laws.

76. Prohibition of connection with sewer.- No person shall without the permission of the Jal Sansthan make or cause to be made any connection or communication with any sewer of the Jal Sansthan.

77. Prohibition of construction of building over sewer.- (1) No person shall without the permission of the Jal Sansthan construct any private street, building or other structure on any sewer of the Jal Sansthan.

(2) The provisions of Sections 327 and 333 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, shall mutatis mutandis apply in relation to any construction in contravention of sub-section (1) with the substitution of references to the Mukhya Nagar Adhikari by references to such officer of the Jal Sansthan as it may, by general or special order, specify in that behalf.

78. Power to affix shaft etc., for ventilation of sewer cesspool.- A Jal Sansthan may, for the purposes of ventilating any sewer or cesspool, whether vested in the Jal Sansthan or not, erect upon any premises or affix to the outside of any building, or to any tree any shaft or pipes as may appear to it to be necessary.

79. Power to examine and test sewer etc., believed to be defective.- (1) Where it appears to the Jal Sansthan that there are reasonable grounds for believing that a private sewer or cesspool is in such condition as to be prejudicial to health or to be a nuisance or that a private sewer communicating directly or indirectly with a sewer of the Jal Sansthan is so defective as to admit sub-soil water or grit or other material it may examine its condition and for that purpose may apply any test, not being a test by water under pressure, and if it deems it necessary, open the ground.

(2) (a) If on examination the sewer or cesspool is found to be in proper condition, the Jal Sansthan shall as soon as possible, reinstate any ground which has been opened by it and determine any pay compensation for the damage caused by it.

(b) If on the other hand, the sewer or cesspool so examined is found to be defective, the Jal Sansthan may forthwith stop its functioning or disconnect it from the sewer of the Jal Sansthan, or require the owner or occupier to take remedial action as directed and within a time specified, by the Jal Sansthan and in any such event the Jal Sansthan may recover the cost incurred by it from the owner or occupier, as the case may be.

(3) In case of dispute as to the sufficiency of the amount so determined, the Jal Sansthan shall refer the dispute to the Nigam whose decision thereon shall be final.

80. Prohibition of certain acts.- (1) No person shall-

- (a) wilfully obstruct any person acting under the authority of the Jal Nigam or Jal Sansthan under this Chapter in setting out the lines of any works or pull up or remove any pillar, post or stay fixed in the ground for the purpose of setting out the lines of such work or deface or destroy any works made for the said purpose; or
- (b) wilfully or negligently break, injure, turn on, open, close, shut-off or otherwise interfere with any lock, valve, pipe or other works or apparatus belonging to the Nigam or Jal Sansthan and pertaining to its functions under this Chapter; or
- (c) unlawfully obstruct the flow of, or flush, draw off or divert or take sewage from any work belonging to the Nigam or A Jal Sansthan; or
- (d) obstruct any officer or other employee of the Nigam or Jal Sansthan in discharge of his duties under *this* Chapter or refuse or wilfully neglect to furnish him with means necessary for the making of any entry, inspection or enquiry thereunder in relation to any sewage works.

81. Power of entry, survey etc.- (1) Any officer of the *Nigam* or A Jal Sansthan authorised by it *in* that behalf may, with or without assistants, or workmen, enter *into* or upon any premises in order-

- (a) to make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;
- (b) to take level;
- (c) to dig or bore into the sub-soil;
- (d) to set out boundaries and intended lines of work;
- (e) to mark such levels, boundaries and lines by placing marks and cuttings trenches; or
- (f) to do any other thing necessary for the purposes of this Act or any rule or regulation or bye-law:

Provided that-

- (i) no such entry *into* a building shall be made between sunset and sub-rise;
- (ii) no dwelling house or place shall be so entered, except with the consent of the occupier thereof, *without* giving the occupier at least twenty-four hours notice of the intention to make such entry;
- (iii) reasonable opportunity and facility shall be allowed to the women occupying any part of a dwelling house to withdraw; and
- (iv) due regard shall, so far as feasible, be had to the social and religious usages of the occupants of the premises, entered into.

(2) Whenever any officer of the *Nigam* or a Jal Sansthan authorised under sub-section (1) enters into or upon any premises *in* pursuance of that sub-section he shall, at the time of such entry pay or tender payment for the damage, if any, to be caused by any act as aforesaid and in case of dispute as to the sufficiency of the amount of compensation, such dispute shall in the case of Nigam be referred to the Chairman of the Nigam and in the case of A Jal Sansthan be referred to the Chairman of the Jal Sansthan.

(3) When any person is entitled to enter into or upon any premises in exercise of the powers under sub-section (1) he may also enter in similar manner into or upon any adjoining premises for any work authorised by or under this Act or for the purpose of depositing therein, any soil, grindstone or other materials or for obtaining access to such work or for any other purposes connected with the execution of the same.

(4) It shall be lawful for any officer authorised in this behalf by the Nigam or a Jal Sansthan to make any entry into any place to open or cause to be opened any door, gate or other barrier-

- (a) if he considers the opening thereof necessary for the purpose of such entry; and
- (b) if the owner or occupier is absent or being present refuses to open such door, gate or barrier.

(5) The officer so authorised shall, in exercise of any power conferred by sub-section (4) do as little damage as may be possible and compensation for such damage shall be payable by the Nigam or a Jal Sansthan, as the case may be, to the owner or occupier of such premises or to both, and in case of any dispute as to the sufficiency of the amount of compensation, the dispute shall in the case of the Nigam be referred to the Chairman of the Nigam and in the case of a Jal Sansthan be referred to the Chairman of the Jal Sansthan.

82. Power to disinfect tanks, pools and wells.- (1) Any officer authorised by the Nigam or a Jal Sansthan in that behalf may have any tank, pool, or well, cleaned or disinfected after notices to the owner or occupier, if any, when it appears that such cleaning or disinfection will prevent or check the spread of any dangerous disease.

(2) The cost of cleaning or disinfection referred to in sub-section (1) shall be recoverable from the owner or occupier of such tank, pool or well.

CHAPTER IX

PENALTIES AND PROCEDURE

83. Cognizance of offences.- No court shall take cognizance of any offence under this Act except on the complaint of the Nigam or a Jal Sansthan, as the case may be, made within six months next after the commission of the offence.

84. General penalty.- Whoever contravenes the provisions of this Act or of any rule or bye-laws made thereunder or fails to comply with any notice, order or requisition issued under this Act or any rule or bye-laws made thereunder, shall, be punished with fine which may extend to one thousand rupees and with further fine which may extend to fifty rupees for every day on which such contravention or failure continues after the first conviction

85. Offences by companies.- (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any Director, Manager, Secretary or other officer of the Company, such Director, Manager, Secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.-For the purposes of this section-

(a) 'Company' means any body corporate and includes a firm or other association of individuals, and

(b) 'Director' in relation to a firm, means partner in the firm.

86. Power to arrest person refusing to give his name and address.- (1) Where any person in the presence of any officer of the Nigam or Jal Sansthan authorised by it by general or special order in that behalf has committed or has been accused of committing or who is reasonably suspected by such officer of committing any offence punishable under this Act refuses or fails on demand of such officer to give his name and address or gives a name or address which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer without a warrant in order that his name or address or both may be ascertained.

(2) The provisions of sub-sections (2) and (3) of Section 42 and of Sections 43, 48, 56, 57, 58 and 59 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall mutatis mutandis apply in relation to any arrest made under sub-section (1) as they apply to an arrest made under sub-section (1) of Section 42 thereof.

87. Composition of offences.- (1) The Managing Director or the General Manager as the case may be, or any other officer of the Nigam or a Jal Sansthan authorised by it by general or special order in that behalf may, either before or after institution of the proceedings compound any offence punishable under this Act on such terms, including payment of composition fee, as he may think fit.

(2) Where an offence has been compounded, the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of the offence so compounded.

88. Duties of police officers and employees of the local bodies.- It shall be the duty of all police officers and of employees of the local body within whose local area any offence punishable under this Act, is committed or attempted to be committed to give immediate information to the Jal Sansthan or to officers of the Jal Sansthan authorised in this behalf, of the commission of or, as the case may be, of the attempt to commit such offence and to assist all such officers in the exercise of their authority under this Act.

CHAPTER X

EXTERNAL CONTROL

89. Directions to the Nigam on questions of policy.- (1) In the discharge of its functions, the Nigam shall be guided by such directions on questions of policy as may be given to it by the State Government.

(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the State Government may issue a direction under sub-section (1), the decision of the State Government shall be final.

90. Annual report, statistics, returns and other information by the Nigam.- The Nigam shall, as soon as may be after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government before such date and in such form as the State Government may direct, a report giving an account of its activities during the previous financial year, and the report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to be undertaken by the Nigam in the next financial year, and the State Government shall cause every such report to be laid before the State Legislature as soon as may be after it is received by the State Government.

(2) The Nigam shall furnish to the State Government at such times and in such form and manner as the State Government may direct such statistics and returns and such particulars in regard to any proposed or existing activities of the Nigam or any other matter under the control of the Nigam as the State Government may, from time to time, require.

91. Direction to a Jal Sansthan on questions of policy.-(1) In the discharge of its functions, a Jal Sansthan shall be guided by such directions on questions of policy as may be given to it by the Nigam.

(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Nigam may issue a direction under sub-section (1), the decision of the State Government shall be final.

92. Annual reports, statistics, returns and other information by a Jal Sansthan.- (1) A Jal Sansthan shall, as soon as may be after the end of each financial year, prepare and submit to the Nigam before such date and in such form as the Nigam may direct, a report giving an account of its activities during the previous financial year and the report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to be undertaken by the Jal Sansthan in the next financial year.

(2) A Jal Sansthan shall furnish to the Nigam at such times and in such form and manner as the Nigam may direct such statistics and returns and such particulars in regard to any proposed or existing activities of the Jal Sansthan or any other matter under the control of the Jal Sansthan as the Nigam may, from time to time, require.

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

93. Duty of local bodies to assist.- (1) All local bodies shall render such help and assistance and furnish such information to the Nigam or a Jal Sansthan and shall make available for the inspection and examination of (and if necessary, preparation of copies from) such records, maps, plans and other documents, as it may require to discharge its function under this Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), every local body shall on demand make available at cost certified copies or extracts from assessment lists and other relevant documents in connection with assessment of annual value of premises and levy of taxes, fees and charges.

(3) Without prejudice to other provisions of this Act and notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force under which any local body is constituted, the State Government may give to any local body such direction as in its opinion may be necessary or expedient for enabling the Nigam or a Jal Sansthan to perform its functions, under this Act, and thereupon it shall be the duty of the local body to comply with such directions.

94. General power to pay compensation.- In any case not otherwise expressly provided for in this Act the Nigam or a Jal Sansthan may pay reasonable compensation to any person who sustains damage by reason of the exercise of any power vested by or under this Act in the Nigam or a Jal Sansthan.

95. Protection for acts done in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government, the Nigam or a Jal Sansthan or a Chairman or other member of the Nigam or a Jal Sansthan or any officer or servant of the State Government or of the Nigam or a Jal Sansthan for anything which is in good faith done or purported or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, regulation or bye-laws made thereunder.

CHAPTER XII RULES, REGULATIONS AND BYE-LAWS

96. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely-

- (a) the powers of the auditor under sub-section (3) of Section 50;
- (b) the procedure in respect of surcharge under Section 51 including the provision of appeal, if any, in respect thereof;
- (c) the procedure that may be followed by a Jal Sans than or any other agency for assessment of the annual value under sub-section (3) of Section 53 including the authentication and custody of assessment lists, the revision and duration of such lists, the amendment and alteration of such lists, and appeals in case of dispute in respect of assessment;
- (d) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each house of the State Legislature, while it is in session for a total period of not less than thirty days, comprised in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

97. Regulations.- (1) The Nigam and a Jal Sansthan may, with the previous approval of the State Government, make regulations, not consistent with this Act and the rules made thereunder, for the administration of the affairs of the Nigam or a Jal Sansthan.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely-

- (a) the summoning and holding of meetings of the Nigam or a Jal Sansthan, the time and place where such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the number of persons necessary to form quorum thereat;
- (b) the powers and duties of the employees of the Nigam or a Jal Sansthan;

- (c) the salaries and allowances and other conditions of service of employees of the Nigam or a Jal Sansthan other than employees employed on contract basis;
- (d) the management of the property of the Nigam or Jal Sansthan;
- (e) the execution of contracts and assurances of property on behalf of the Nigam or Jal Sansthan;
- (f) the limits up to which the Managing Director or the General Manager shall be competent to incur recurring or non-recurring expenditure in any financial year, without such expenditure being included in the statement under sub-section (1) of Section 50;
- (g) the maintenance of accounts and the preparation of balance-sheet by the Nigam or Jal Sansthan;
- (h) the procedure for carrying out the functions of the Nigam or a Jal Sansthan under this Act;
- (i) any other matter for which provision is to be or may be made in regulations.

(3) Until any regulations are made by the Nigam or a Jal Sansthan, as the case may be, under sub-section (1), any regulations which may be so made by it may be made by the State Government, and any regulations so made may be altered or rescinded by the Nigam or a Jal Sansthan in exercise of its power under sub-section (1).

98. Bye-laws.- The Nigam or a Jal Sansthan may with the previous approval of the State Government, make bye-laws consistent with this Act and the rules made thereunder, for carrying out the purposes of this Act in respect of any matter affecting the general public, and without prejudice to the generality of this power, such bye-laws may provide for-

- (a) the terms and conditions for supply of water for domestic or other purposes;
- (b) the installation of meters or the transfer of their connection, and their use, maintenance, testing, disconnection and reconnection, the fees, the rent and other charges in respect thereof including the furnishing of security by the consumer and matters connected therewith;
- (c) the fee to be paid for connection with a sewer of the Nigam or a Jal Sansthan and other terms and conditions for such connections;
- (d) any other matter for which provision is to be or may be made in bye-laws.

CHAPTER XIII

TRANSITORY PROVISION AND REPEAL

99. Transitory Provision.- (1) Any water tax or sewerage tax, by whatever name called, imposed by the local body concerned in respect of any local area for which a Jal Sansthan has been constituted under Section 18 before the date of such constitution, hereinafter called the said date and any notification, notice, order, direction, rule, bye-law or form in relation to such tax or to the provision of water supply or sewerage services immediately before the said date including any assessment or order, or order for exemption or connection, disconnection or reconnection made or granted, or penalty imposed in respect of the owner or occupier of any premises, or any licence issued to a plumber, or any order made in connection

therewith, under any provision of law applicable to the local body having jurisdiction over such area, and in force immediately before the said date shall continue in force until other provision or order is made or other proceedings or action taken under this Act by the Jal Sansthan concerned for imposition or assessment of such tax or for grant of such licence or connection or provision of such services, and any reference in such notification, notice, order, direction, rule, bye-laws or licence to the local body concerned shall be construed as a reference to the Jal Sansthan concerned and in particular the proceeds of such taxes and fees shall go into the fund of the Jal Sansthan concerned instead of the fund of the local body concerned.

(2) During the period between the commencement of this Act and 30[September 30, 1978] any rule, regulation or bye-law may be made under Section 96, Section 97 or Section 98, as the case may be, with retrospective effect to a date not earlier than May 20, 1975.

(3) ³¹[* * *]

100. Repeal and amendment.- Except as provided in Section 99, on and from the day on which a Jal Sansthan is constituted comprising-

- (a) any city as defined in the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 (U.P. Act 2 of 1959)-Sections 114 and 115 and Chapters X, XI, XIX, XXIII and XXV of that Adhiniyam;
- (b) any Municipality as defined in the United Provinces Municipalities Act, 1916 (U.P. Act 2 of 1916)-Sections 7 and 8 and Chapters V, VII and IX of that Act;
- (c) any Town Areas defined in the United Provinces Town Areas Act, 1914 (U.P. Act 2 of 1914)-Sections 3, 14 and 25 and Chapters V and VI of that Act;
- (d) any Notified Area as defined in the United Provinces Municipalities Act, 1916 (U.P. Act 2 of 1916)-the provisions of that Act referred to in clause (b) as modified and extended in respect of that Notified Area;
- (e) any Khand as defined in the Uttar Pradesh Kshettra Samities and Zila Parishads Adhiniyam, 1961 (U.P. Act 23 of 1961)-or to the rural area of any district, as the case may be-Chapters III, VII, IX and XIV of that Adhiniyam;
- (j) any area comprised in the jurisdiction of a Gaon Sabha as defined in the U.P. Panchayat Raj Act, 1947 (U.P. Act 26 of 1947)-the provisions of Chapters IV and V of that Act;

shall have effect as if the powers, duties and functions assigned by this Act to a Jal Sansthan including the power to hold any property for purposes of the said duties and functions, were excluded from the powers, duties and functions of the Mahapalika, the Municipal Board, the Town Area Committee, the Notified Area Committee, the Kshettra Samiti, the Zila Parishads or the Gaon Sabha, as the case may be.

³²[**100-A. Dissolution of Jal Sansthan and the consequences thereof.**- (1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, where the State Government is satisfied that it is expedient in the

30.*Subs.* by U.P. Act 28 of 1978 and shall be deemed always to have been *substituted*.

31.*Omitted* by U.P. Act 28 of 1978.

32.*Ins.* by U.P. Act 16 of 1998. S. 2.

public interest so to do, it may, by notification dissolve a Jal Sansthan constituted under this Act with effect from such date as may be specified in the notification.

(2) On and from the date a Jal Sansthan is dissolved under sub-section (1),-

- (a) all properties and assets vested in and all dues recoverable by the Jal Sansthan shall vest in, and may be realised by such local body as exercised Jurisdiction in the local area immediately before the constitution of such Jal Sansthan hereinafter referred to as the local body;
- (b) all rights, liabilities and obligations of the Jal Sansthan, whether arising out of any contract or otherwise pertaining to Jal Sansthan shall be the rights, liabilities and obligations of the local body;
- (c) all suits and legal proceedings instituted or which might, but for such vesting and transfer, have been instituted by or against a Jal Sansthan may be continued or instituted, as the case may be, by or against the local body;
- (d) all existing water and sewerage services rights, liabilities and obligations thereto, mentioned in Section 33 of the Act, vested in or belonging to a Jal Sansthan, shall vest in and stand transferred to the local body and the provisions of Section 33 shall, mutatis mutandis. apply to such transfer to or vesting in the local body as they applied on transfer to or vesting in the Jal Sansthan;
- (e) Save as otherwise provided, every employee appointed under Section 27 of this Act or absorbed in the service of Jal Sansthan under sub-section (1) of Section 38 of the Act shall become employee of the local body and the provisions of Section 38 shall, mutatis mutandis, apply in respect of his transfer to the service of the local body as they applied in respect of transfer from local body to the Jal Sansthan;
- (f) employees governed by the Uttar Pradesh Palika Jal Kal and Jal Sansthan Abhiyantran (Kendriayit) Sewa Niyamawali, 1986 or working on deputation in Jal Sansthan shall continue to be members of their parent service and shall revert to the said service;
- (g) the enactments referred to in Section 100 shall continue to have effect in the same manner as they applied before the constitution of the Jal Sansthan.]

101. Water Supply and Sewerage Fund.- Notwithstanding anything contained in the provisions of the enactments referred to in Section 100, every local body having water supply or sewerage services or both shall have a separate fund to be called the "Water Supply and Sewerage Fund" which shall be deemed to be a local fund and to which shall be credited all moneys received by such local body for development, operation, maintenance and management of such services and also all revenues received in connection with the rendering of the aforesaid services.

(2) The moneys credited to the aforesaid fund shall be applied exclusively for the purpose of water supply or sewerage services or both, as the case may be.

102. Removal of difficulties.- (1) The State Government may for the purpose of removing any difficulty, particularly in relation to the transition from the provisions of the enactments referred to in Section 100 to the provisions of this Act by order, direct that the said enactments shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification,

addition or omission, not affecting the substance, as it may deem, to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature.

103. Repeal and saving.- (1) The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Second) Ordinance, 1975, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act had come into force on May 20, 1975 (U.P. Ordinance 10 of 1975).

The Jal Sansthan (Assessment of Annual Value of Premises) Rules, 1981

*English translation of Nagar Vikas Vibhag, Anubhag-2, Noti No. 2664/IX-2-135/
78-UPA-43/1975-Rule 1981, dated August 27, 1981, published in U.P.
Gazette, Part I-Ka, dated 12th September, 1981, pp. 2031-33*

In exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of Section 96 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, (U.P. Act 43 of 1975), the Governor is pleased to make the following rules:

1. Short title, extent and commencement.-

(1) These rules may be called the Jal Sansthan (Assessment of Annual Value of Premises) Rules, 1981.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the subject or context otherwise requires-

- (1) "Act" means the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975.
- (2) "Assessing Authority" means such authority as the State Government may by general or special order, direct under sub-section (2) of Section 53 of the Act.
- (3) "Jal Sansthan" means the Jal Sansthan constituted under Section 18 of the Act for the area subject to the assessment of annual value under Chapter VI of the Act.
- (4) Words and expression used in these rules but not defined, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Preparation of assessment list: Section 53(2).- The Assessing Authority shall cause an assessment list of all lands and buildings in the local area within the jurisdiction to be prepared of the Jal Sansthan for which such Authority has been constituted. Such list shall contain-

- (a) the name of the street or mohalla in which the property is situated,
- (b) the description of the property either by name or by number sufficient for identification,
- (c) the name of the owner or occupier, if known,
- (d) in the case of railway stations, educational institutions (including their hostels and halls), factories and commercial establishment; the market value of the premises;
- (e) in the case of any other premises, the gross annual rent for which such premises are actually let, or where the premises are not let, the gross annual rent for which the premises might reasonably be expected to be let,
- (f) the amount of water tax and sewerage tax assessed thereon.

4. Publication of the list.- When assessment list for the whole of the area of the Jal Sansthan or any part thereof has been prepared under Rule 3, the Assessing Authority shall give public notice of the place where that list or a copy thereof may be inspected and every person claiming to be either owner or occupier of the property included in that list or an agent of such person, shall be at liberty to inspect the list and to take extracts therefrom without charge.

5. Objections of entries in the list.- (1) The Assessing Authority shall give public notice of a date, not less than one month thereafter, when the Assessing Authority will proceed to consider the valuation and assessment entered in the list mentioned in Rule 3 and in all cases in which any property is for the first time assessed or the assessment is increased, the Assessing Authority shall also give notice thereof to the owner of the property, if known as well as the occupier of that property.

(2) All objections to valuations and assessment shall be made to the Assessing Authority by the date specified in the notice, by application in writing stating the grounds on which the valuation and assessment are disputed and all applications so made shall be registered in a book to be kept by the Jal Sansthan for the purpose.

(3) The Assessing Authority shall, after allowing the applicant an opportunity of being heard in person or by agent-

- (a) investigate and dispose of the objections;
- (b) cause the result thereof to be noted in the book kept under sub-rule (2);
- (c) assess the annual value of the premises for the purposes of the levy of taxes mentioned in Section 52 of the Act and cause it to be recorded in the assessment list; and
- (d) cause any amendment necessary in accordance with such result to be made in the assessment list.

6. Authentication and custody of the list.- (1) After the Assessing Authority has prepared the assessment list under Rule 5 for the area of the Jal Sansthan or any part thereof, as the case may be, that list shall be authenticated by the signature of the General Manager of the Jal Sansthan.

(2) Every list so authenticated shall be deposited in the office of the Jal Sansthan and shall be declared by public notice to be open for inspection.

7. Revision and duration of list.-(1) A new assessment list shall ordinarily be made in the manner prescribed in Rules 3 to 6 once in every five years.

(2) Subject to any alteration or amendment made under Rule 9 and to the result of any appeal under Section 54 of the Act, every valuation and assessment entered in an assessment list shall be valid from the first day of April of the year in which, such list has been authenticated:

Provided that where for any reason whatsoever, the assessment list or any portion thereof can not take effect, the old assessment list or the corresponding portion thereof shall, subject to any order or adjudication of a Court of Law be deemed to have continued to be effective.

8. Finality of the entries.-An entry in an assessment list shall be conclusive proof for any purpose connected with a tax to which the list refers of the amount leviable in respect of any building or land during the period to which the list relates.

9. Power of the Assessing Authority.-(1) The Assessing Authority may at any time alter or amend the assessment list-

- (a) by entering therein the name of any person or any property which ought to have been entered or any property which has become liable to taxation after the authentication of the assessment list; or
- (b) by substituting therein the name of any other person who has succeeded by transfer or otherwise to the ownership or occupation of the property for the name of the owner or occupier of any property; or

- (c) by enhancing the valuation, or assessment on, any property which has been incorrectly valued or assessed by reason of fraud, misrepresentation or mistake; or
- (d) by revaluing or reassessing any property the value of which has been increased by additions or alterations to the buildings; or
- (e) by reducing, upon the application of the owner or on satisfactory evidence that the owner is untraceable and the need for reduction established or upon its own initiative the valuation of any building which has been wholly or partly demolished or destroyed; or
- (f) by correcting any clerical, arithmetical or other apparent error:

Provided that the Assessing Authority shall give at least one month's notice to any person interested in any alteration or amendment which the Assessing Authority proposes to make under clause (a), (b), (c) or (d) of this sub-rule and of the date on which the alteration will be made.

(2) The provisions of sub-rules (2) and (3) of Rule 5, shall, so far as may be, apply to any objection made in pursuance of a notice issued or application made under this rule.

(3) Every alteration or amendment made in the assessment list under this rule shall be authenticated by the signature of the General Manager of the Jal Sansthan and subject to the result of an appeal under Section 54 of the Act shall take effect from the date on which the next installment of the tax falls due.

Jal Sansthan (Radius Regarding Levy of Water Tax) Rules, 1993

English translation of Nagar Vikas Anubhag-2, Noti No. 1792/IX-2-93-57(21)-91 dated January 1, 1994, published in the U.P. Gazette, Extra., Part 4, Section (kha) dated 1st January, 1994, p. 2 [AP 1450]

In exercise of the powers under Section 96 read with sub-clause (i) of clause (b) of Section 55 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U.P. Act 43 of 1975), the Governor is pleased to make the following rules:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Jal Sansthan (Radius Regarding Levy of Water Tax) Rules, 1993.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Radius.- For the purpose of sub-clause (i) of clause (b) of Section 55 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, the radius shall be one hundred metres.

[42]

NOTIFICATIONS (1)

Noti. No. 1786/81 J.S.181-82, dated September 28, 1981, published in u.P. Gazette, Ertra., dated 30th September, 1981, pp. 4-6.

In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of clause (vi) of Section 25 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (Uttar Pradesh Act 45 of 1975), Allahabad Jal Sansthan, Allahabad, has after obtaining the approval of the Uttar Pradesh Jal Nigam, under sub-section (2) clause (vii) of Section 15 of the aforesaid Act, determined the rates of cost of water as detailed in Column 4, 5 and 6 in place of Column 3 below.

The above rates are hereby notified under Section 59 (1) and (2) of the aforesaid Act. The rates will be effective from the date of notification in the State Gazette.

RATES OF COST OF WATER

1. Where the supply of water to any building or land (whether such supply is required by the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Adhiniyam, 1975, U.P. Adhiniyam 43 of 1975 or by an agreement under the said Adhiniyam) is controlled by meter, the charges shall be as follows:

WATER CHARGES FOR SUPPLY CONTROLLED BY METER

Serial No	Particulars	Existing rates per kilo litre	Rate per kilo litre	In case of payment within 15 days	
				Rebate	Rate Nett payable
1	2	3	4	5	6
		Rs	Rs	Rs	Rs
(a)	for domestic purposes	0.50	0.65	0.15	0.50
(b)	for non-domestic purposes:				
	(1) Cold Storages	1.50	1.65	0.15	1.50
	(2) Ice Factories and bottling.	1.50	1.65	0.15	1.50
	(3) Hotels, restaurants and other such	1.50	1.65	0.15	1.50

premises where water is used for commercial purposes.				
(4) Buildings with gardens exceeding 20 sq. m. in area.	0.50	0.90	0.15	0.75
(5) Cantonment Board, Military Estate and Air Fields	0.75	1.00	..	1.00
(5-a) Premises outside the limits of Mahapalika.	1.50	1.50	..	1.50
(6) Railways.	0.75	1.50	..	1.50
(7) For Nagar Mahapalika purposes or such rates as may be determined by the Government from time to time.	0.50	0.50	..	1.50

[43]

44

NOTIFICATIONS

[NOTI.

2. For metered connections inclusive of meter rent the rates of monthly minimum charges will be as under:

Serial No	Particulars	Existing rates per month	Rate per month	In case of payment within 15 days	
				Rebate	Rate Nett payable
1	2	3	4	5	6
		Rs	Rs	Rs	Rs
(a)	For domestic purposes				
	1/2" size meter	7.50	8.00	0.50	7.50
	3/4" size meter	7.50	11.00	1.00	10.00
	1" size meter	7.50	16.50	1.50	15.00
	Above 1" size meter up to 2" size meter	7.50	33.00	3.00	30.00
	Above 2" size meter	7.50	80.00	5.00	75.00
(b)	For non-domestic purposes				
	1/2" size meter	7.50	16.50	1.50	15.00
	3/4" size meter	7.50	22.00	2.00	20.00
	1" size meter	7.50	33.00	3.00	30.00
	1" size meter up to 2" size meter	7.50	65.00	5.00	60.00
	Above 2" size meter	7.50	160.00	10.00	150.00

3. Where the supply of water to any building or land (whether such supply is required by the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Adhiniyam, 1975. U.P. Adhiniyam 43 of 1975 or by an agreement under the said Adhiniyam), is not controlled by meter, the charges for domestic purposes shall be as follows:

RATES PER ANNUM

Serial No	Particulars	Existing rates per annum	Rate per annum	<u>In case of payment within 15 days</u>	
				Rebate	Rate Nett payable
1	2	3	4	5	6
		Rs	Rs	Rs	Rs
(a)	1/8" ferrule connection (up to 2 taps)	90.00	125.00	5.00	120.00
(b)	3/16" ferrule connection (up to 2 taps)	90.00	137.00	5.00	132.00
(c)	1/4" ferrule connection (up to 2 taps)	90.00	250.00	10.00	240.00
(d)	3/8" ferrule connection (up to 3 taps)	90.00	315.00	15.00	300.00

1	2	3	4	5	6
(e)	1/2" ferrule connection (up to 4 taps)	120.00	380.00	20.00	360.00

(f) Taps in addition to those detailed at Serial Nos. 3(a) to 3(e) above will be charged at the rate of Rs 5.00 per tap per month in addition to water charges.

(g) The connections which are in the premises for overhead tank, cistern, underground tank, geyser etc., will be charged at the rate of Rs. 5.00 per connection (tap) per month.

(h) Rebate as mentioned in Column 5 will be admissible only if payment is made within 15 (fifteen) days of issue of bill.

(i) For the abovementioned unmetered connections detailed in Serial Nos. 3(a) to 3(e) above, water should be used only for the purpose, for which it has been given/agreed upon. Contrary to the above if water is used for any other purpose, charges at double the rates for the previous twelve calendar months will be payable/realized. If the use of water from an unmetered connection is less than a period of one year, in that case charges at *pro rata* basis for the period water has been consumed, will be made.

(i) Such disputes with the consumers relating to water charges/rates as can be resolved at the level of the Jal Sansthan shall be decided by the Chairman Jal Sansthan. If even thereafter, there is any dispute with the consumer, in that case under the provisions of Section 30 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (Act 43 of 1975), the matter shall be decided by the Uttar Pradesh Jal Nigam.

(2)

English translation of Nagar Vikas Anubhag-2, Noti No. 1533/IX-2-87-57(38)-1985, dated August 17, 1987, published in the U.P. Gazette, Extra., Part 4, section (kha), dated 17th August, 1987, p.2

In exercise of the powers under clause (20) of Section 2 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U.P. Act 43 of 1975), the Governor is pleased to appoint the Civil Judges at Jhansi, Banda, Hamirpur, Jalaun, Lalitpur, Almora, Pauri, Dehra Dun and Nainital and the Chief Judicial Magistrates at Tehri, Uttar Kashi, Pithoragarh and Chamoli as prescribed authority to hear and dispose of the appeals under Section 54 of the said Act within their respective jurisdictions.

(3)

English translation of Nagar vikas Anubhag-2, Noti No. 2969/IX-2-86-3(15) WSR/86, dated March 31, 1981, published in the U.P. Gazette, Extra., Part 4, Section (kha), dated 31st March, 1988, p. 2

In exercise of the powers under sub-section (20) of Section 52 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U.P. Act 43 of 1975), read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act 1 of 1904), the Governor after considering the recommendations of the Uttar Pradesh Jal Nigam is pleased to make the following amendments in Government Notification No. 7302/IX-2121-79, dated September 18, 1981.

In the aforesaid notification:

(1) for the figure and words "12.5 per cent" the figure and words "14 per cent" and for the figure and words "3 per cent" the figure and words "4 per cent" shall be *Substituted*,

(2) at the end, the following note shall be *inserted*, namely-

"Note.-A rebate of 10 per cent shall be allowed if the payment is made within 15 days of the receipt of the bill."

उत्तरांचल जल संस्थान



सेवा विनियमावली

शासनादेश संख्या 1007/उन्तीस/04-2 (09 अधि0)/2001,
पेयजल अनुभाग देहरादून 13 अक्टूबर 2004, से उत्तरांचल जल
संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004, अनुमोदनोपरान्त प्रकाशित

उत्तरांचल जल संस्थान सेवा विनियमावली

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 97 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उत्तरांचल जल संस्थान निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं।

उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली, 2004

भाग -1- सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ (1) यह विनियमावली उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 कही जायेगी।
(2) यह उत्तरांचल जल संस्थान पर लागू होगी।
(3) यह विनियमावली दिनांक 26 अगस्त 2004 से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएं यदि विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में—
 - (1) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य उत्तरांचल जल संस्थान के मुख्य महाप्रबन्धक से है :
 - (2) 'उत्तरांचल जल संस्थान' का तात्पर्य उत्तरांचल (उ0प्र0जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपरान्तरण आदेश, 2002 की धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है:
 - (3) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग-दो-के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता हो :
 - (4) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है।
 - (5) "सीधी भर्ती" का तात्पर्य इस विनियमावली के भाग पांच में विहित रीति से की गयी सीधी भर्ती से है:
 - (6) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है :
 - (7) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस विनियम के अधीन उत्तरांचल जल संस्थान सेवा का सदस्य सेवा के संवर्ग में विनियम 3 में उल्लिखित किसी पद पर इस विनियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त किन्ही नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है :
 - (8) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और इस

विनियमावली के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो, परन्तु
और यदि कोई नियम न हो तो राज्य सरकार द्वारा
जारी निर्देशों के अधीन तत्समय उपबन्धित
प्रक्रियाओं के अनुसार की गई हो,

(9) "राज्य" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है, और

(10) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य कैलेंडर वर्ष की पहली
जुलाई से आरम्भ होने वाली बारह माह की अवधि

से है,

(11) "अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर
संशोधित उत्तरांचल उत्तर प्रदेश लोक सेवा

यथा (अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों और अन्य

पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण)

अधिनियम, 1994

(यथा उत्तरांचल में लागू) की अनुसूची-1 में

विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।

भाग-2 संवर्ग और सदस्य संख्या

3. उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं का गठन—

(1) उत्तराखण्ड जल संस्थान में निम्नलिखित सेवायें होंगी और सेवाओं में परिशिष्ट
"1" "2" व "3" में उल्लिखित पद सम्मिलित होंगे:

(2) उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा (एक) लेखा संवर्ग।

(दो) सामान्य वर्ग।

(तीन) अन्य संवर्ग।

4. सेवा के सदस्यों की संख्या— विनियम 3 के उपविनियम(2) में उल्लिखित
सेवाओं की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से
उत्तराखण्ड जल संस्थान समय-समय पर नियत करें।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक संवर्ग के पदों की संख्या, जब
तक कि उप विनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं,
उतनी होगी जितनी अनुलग्नक "क" में दी गयी है।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या उस
प्रास्थिति रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

परन्तु यह और कि जल संस्थान राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन पर, समय-समय
पर ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थायी पदों का सृजन आवश्यकतानुसार कर
सकेगी, जिन्हे वह उचित समझे।

5. वेतन-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, पूर्व से नियुक्त चाहे मौलिक या
स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान
ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से जल संस्थान द्वारा समय-समय
पर अवधारित किया जाये।

भाग तीन – भर्ती

6. भर्ती को स्रोत— सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी,
- (एक) परिशिष्ट—“1” में उल्लिखित पद विनियम 19 में दी गयी पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
- रीति से
- (दो) परिशिष्ट—“2” में उल्लिखित पद भाग—पांच में दी गयी सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।
- रीति से
- (तीन) परिशिष्ट—“3” में उल्लिखित पद ऊपर उल्लिखित दोनों स्रोतों और रीति के बराबर—बराबर संख्या में भरे जायेंगे
- किन्तु इस प्रकार के शेष पद, यदि कोई हों, पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। परन्तु यदि इस उपविनियम के अधीन यथास्थिति पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के लिये अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो कर्मी की पूर्ति उक्त दोनों स्रोतों में से किसी भी स्रोत से की जा सकती है :

परन्तु यह और कि परिशिष्ट “3” में उल्लिखित लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक के पदों के सम्बन्ध में भर्ती हेतु अपेक्षित संख्या का 3/4 भाग (75 प्रतिशत) प्रोन्नति से तथा 1/4 भाग (25 प्रतिशत) सीधी भर्ती से भरा जायेगा, किन्तु इस प्रकार के शेष पद यदि कोई हो तो प्रोन्नति से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि परिशिष्ट “3” में उल्लिखित लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य) एवं परिशिष्ट “1” में उल्लिखित दफ्तरी के पदों पर रिक्तियों की 20 प्रतिशत भर्ती चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी

- (1) 15 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह “घ” के कर्मियों में से जो अनुलग्नक “क” में इंगित दफ्तरी पद हेतु निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करते हों,
- (2) 05 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह “घ” कर्मियों में से जो अनुलग्नक “क” में इंगित लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य) पद हेतु निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करते हों,

आरक्षण

7— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों का प्रतिनिधित्व— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) तथा इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

भाग चार— अर्हतायें

8. उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में किसी पद पर भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित होना आवश्यक है —

- (1) भारत का नागरिक, या
- (2) कोई तिब्बती जो भारत में स्थायी रूप से बस जाने के विचार से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, या
- (3) भारतीय उद्भव का कोई व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बस जाने के विचार से पाकिस्तान से प्रवजन किया हो:
परन्तु उपर्युक्त वर्ग (ख) या (ग) के किसी अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति अर्ह होना चाहिए जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:
परन्तु यह और कि वर्ग (ख) के किसी अभ्यर्थी से ऐसा पात्रता प्रमाण पत्र मान्य करने की अपेक्षा की जायेगी जो उप पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदान किया गया हो:
परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त वर्ग (ग) का हो, तो पात्रता प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा। उसके बाद वह सेवा में केवल तभी रखा जायेगा जब वह भारत का नागरिक हो जाय।

9. आयु—उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष जिसमें भर्ती में की जाय, के ठीक पश्चातवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 35 वर्ष की आयु न पूरी की हो:

परन्तु यह कि—
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी,

:

10. चरित्र—

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी अपना समाधान कर लेगा कि नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चरित्र इस प्रकार का है कि उसके कारण वह उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार उपयुक्त हो।
- (2) भर्ती के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस संस्था के, जिसमें वह अन्तिम बार पढ़ा हो, संस्थाध्यक्ष का और दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों को (जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हो) चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें जो राज्य सरकार या संघ की सक्रिय सेवा में हों और जो उनके जीवन से भली-भाँति परिचित हों, किन्तु उनके विधालय, महाविधालय या विश्वविधालय के जीवन से सम्बन्धित न हों।

11. शारीरिक स्वास्थ्य—

उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में किसी पद पर मौलिक रूप में किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक रूप में स्वस्थ न हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे उसे अपने सरकारी कार्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पहले किसी अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी से एक चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।

12. अर्हतायें—

उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी की ऐसी अर्हतायें होनी चाहिये जैसी अनुलग्नक “क” में इंगित है या राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से जल संस्थान समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

13. अधिमान्य अर्हतायें—

अन्य बातों के समान होने पर उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में सीधी भर्ती की दशा में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने (1) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो, (2) नेशनल कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

14. वैवाहिक प्रास्थिति—

कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में भर्ती के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह कि यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

भाग पांच— सीधी भर्ती के लिये प्रक्रिया

15. रिक्तियों का अवधारण

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम-7 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना शासन को देगा।

16. सीधी भर्ती की प्रक्रिया—

(1) उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के सीधी भर्ती के पदों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा/साक्षात्कार से भरे जाने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जायेगा :—

(क) वित्त निदेशक

अध्यक्ष ।

(ख) महा प्रबन्धक, गढ़वाल/कुमाँयू परिक्षेत्र

सदस्य ।

(ग) सचिव, प्रशासन, उत्तराखण्ड जल संस्थान

सदस्य/संयोजक

(घ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के एक अधिकारी

जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा,

सदस्य

(2) सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की सूचना समिति के अध्यक्ष द्वारा व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे जिनके नाम उत्तराखण्ड स्थित विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हों ।

(3) यदि सीधी भर्ती विनियम-6 (दो) एवं 6(तीन) के अनुरूप विभाग के समूह 'घ' के अभ्यर्थियों से की जानी हो तो समिति के अध्यक्ष द्वारा समस्त विभागीय अभ्यर्थियों से उचित माध्यम द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे ।

(4) उत्तराखण्ड जल संस्थान के सेवा संवर्ग के समूह 'घ' एवं लेखा संवर्ग को छोड़कर अन्य पदों पर सीधी भर्ती से चयन के लिए परीक्षा 100 अंकों की होगी । अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी :-

(क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य

हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक-एक प्रश्नपत्र होगा । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा सिवाय ऐसे अभ्यर्थी के जिनका चयन किसी ऐसे पद पर किया जाना हो, जिसके लिये टंकण या आशुलिपिक, कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हों । चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशत का 25 प्रतिशत ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा ।

परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किए गये हों, तो लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों ।

(ख) पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक

अभ्यर्थी

को दिया जायेगा ।

(ग) छटनीशुदा कर्मचारी को निम्नलिखित रीति से
अंक

दिये जायेंगे जो अधिकतक 15 प्रतिशत होंगे—

- (एक) सेवा में प्रथम वर्ष के लिए
—पाँच अंक
- (दो) सेवा में दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए—प्रत्येक वर्ष के लिए—
पाँच अंक
- (घ) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिय जायेंगे, जो
अधिकतक पांच प्रतिशत होंगे
- (एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो
—पांच अंक
- (दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हों
—चार अंक
- (तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हों
—तीन अंक
- (चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय, कालेज, स्कूल
अंक —दो
स्तर का खिलाड़ी हों।

- (ड.) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और
टंकण या कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हों,
चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में यथास्थिति टंकण
या आशुलिपिक और टंकण या कम्प्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी।
उक्त परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 25 प्रतिशत केवल ऐसे
अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण के लिए
विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हों। टंकण परीक्षा या
आशुलिपि और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए
बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की
चार गुना होगी। इस प्रयोजन के लिए उक्त उप विनियमन चार
में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए
अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा उक्त खण्ड (क), (ख),
(ग), (घ) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर पृथक रूप से
तैयार की जायेगी।

- (5) (क) उप विनियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) के
अधीन लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो
जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात चयन समिति,
विनियम-7 में निर्दिष्ट आरक्षण की उपबन्धों को ध्यान में रखते
हुए साक्षात्कार करेगी साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले
अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी
किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण
परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो,
चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे
अभ्यर्थियों को, जो उप विनियम चार के खण्ड (ड.) के अधीन
यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा या

कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा में सफल हो गया हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

- (ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिए नियत कुल अंकों के 10 प्रतिशत अंकों का होगा साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे :-

(एक)	विषय/सामान्य ज्ञान	—	चार
	अंकों तक		
(दो)	व्यक्तित्व निर्धारण	—	तीन
	अंकों तक		
(तीन)	अभिव्यक्ति की क्षमता	—	तीन
	अंकों तक		

टिप्पणी— किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप से दिये गये अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किए जायेंगे।

- (ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उप नियम चार खण्ड (ख), (ग), (घ), और (ङ.) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- (6) उप विनियम (पाँच) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गये अंकों को उपविनियम (चार) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किए हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।
- (7) लेखा संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा राज्याधीन सेवाओं में लेखा संवर्ग हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रहेगी।

17—फीस—

- (1) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी को और मुख्य चिकित्साधिकारी को ऐसी फीस का भुगतान करेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाये फीस की वापसी के लिये कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) प्रतियोगिता परीक्षा के सम्बन्ध में पाठ्य विवरण और नियम सरकार के अनुमोदन से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किये जायेंगे।

18-अनुमोदित सूची-

विनियम 16 के अधीन तैयार सूची विनियम 7, 10, तथा 19 उपबन्धों के अधीन रहते हुए एक प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी के नाम उसी क्रम में दर्ज करेगा जिस क्रम में अवधारित किये गये हों।

भाग 'छः'- पदोन्नति के प्रक्रिया

19-पदोन्नति-(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवा के ठीक निम्न पद क्रम के सभी पात्र कर्मिकों में से ज्येष्ठता के आधार पर, किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कर्मिकों की एक पात्रता सूची उपविनियम (2) में दी गयी रीति में तैयार की जायेगी।

परन्तु अनुलग्नक 'क' के क्रमांक-1 पर अंकित पद पर प्रोन्नति हेतु कर्मिकों की ज्येष्ठता के साथ-साथ श्रेष्ठता को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(2) उप विनियम (6) में यथा उपबन्धित के सिवाय नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा, जिसे पात्रता सूची कहा जाएगा, जिसमें यथा सम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम होंगे-

- (i) 1 से 5 रिक्तियों के लिए -रिक्तियों की संख्या का दो गुना किन्तु कम से कम 5,
- (ii) 5से अधिक रिक्तियों के लिए -रिक्तियों की संख्या का $1-1/2$ (डेढ़) गुना किन्तु कम से कम 10,

परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिए की जानी हो, तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार की जायेगी। ऐसे मामले में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूची तैयार करते समय पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी -

(क) द्वितीय वर्ष के लिए उक्त अनुपात के अनुसार, जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगा।

(ख) तृतीय वर्ष के लिए उक्त अनुपात के अनुसार, जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगा।

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो प्रथम दृष्ट्या पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझे जायें, उक्त अनुपात की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और इस आशय की एक टिप्पणी, कि उन पर इस प्रकार विचार नहीं किया गया, उनके नाम के सामने लिख दी जायेगी।

स्पष्टीकरण-

इस विनियम में रिक्तियों की संख्या का तात्पर्य एक वर्ष में होने वाली मौलिक या अस्थायी रिक्तियों की कुल संख्या से है।

(3) उपविनियम(1) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित होंगे।

(क) वर्ग एक, दो, तीन और चार के पदों पर नियुक्ति एवं वर्ग एक, दो और तीन के पदों पर प्रोन्नति।

(एक) वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड जल संस्थान अध्यक्ष

(दो) महाप्रबन्धक, गढ़वाल/कुमायूँ उत्तराखण्ड जल संस्थान सदस्य

(तीन) सचिव, प्रशासन (अधीक्षण अभियन्ता) सदस्य

(चार) अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता स्तर का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति /जन जाति श्रेणी में हो तथा जिन्हें अध्यक्ष, जल संस्थान द्वारा नामित किया जाय—

सदस्य

(पांच) वरिष्ठ लेखाधिकारी, (मण्डीय परिक्षेत्र मुख्यालय) जल संस्थान सदस्य—सचिव

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट पदों में से भिन्न पदों पर पदोन्नति की स्थिति में।

(एक) महाप्रबन्धक, गढ़वाल/कुमायूँ उत्तराखण्ड जल संस्थान

—अध्यक्ष

(दो) वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान (मण्डलीय स्तरीय)

—सदस्य

(तीन) अधीक्षण अभियन्ता मण्डलीय मुख्यालय में तैनात

सदस्य/सचिव

(चार) अधिशाली अभियन्ता स्तर का एक अधिकारी

—सदस्य

जो अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के हों तथा जिन्हें

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाय—

परन्तु उपर्युक्त इंगित सदस्यों में से किसी एक के उपस्थित न होने पर अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी चयन समिति का सदस्य होगा।

(4) (एक) नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति की बैठक के लिए तिथि या तिथियों को नियत करेगा।

(दो) जहां चयन समिति यह आवश्यक समझे कि पात्रता सूची में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उसके द्वारा किया जाना चाहिए तो यह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(तीन) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थी की चरित्र पंजी पर विचार करेगी और किसी अन्य तथ्य पर विचार कर सकती है, जो उसकी राय में सुसंगत हो।

(5) चयन समिति ज्येष्ठता क्रम में दो सूचियां तैयार करेगी, अर्थात् सूची —“क” इसमें मौलिक रिक्तियों के प्रति स्थायी नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगे, सूची —“ख” इसमें अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों के लिये संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगे, परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिये की जाये तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में चयन उस वर्ष के लिये तैयार की गयी पात्रता सूची से किया जायेगा।

(6) (क) सूची “क” में सम्मिलित अभ्यर्थी मौलिक रिक्तियों के प्रति उसी क्रम में जिसमें उनके नाम सूची में आये हों, नियम 20 के उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त किये जायेंगे।

(दो) सूची “क” में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिये मौलिक रिक्तियां तुरन्त उपलब्ध न हों, उक्त क्रम में अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के

प्रति उन अभ्यर्थियों पर, जो सूची "ख" में सम्मिलित हों, अधिमान देकर नियुक्त किये जायेंगे (तीन) सूची 'क' में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों के नाम, जिनके लिये उसके दौरान, जिनके लिये उनका चयन किया गया हो, मौलिक रिक्तियां उपलब्ध नहीं की जा सकती, वर्ष के अन्त में अनुवर्ती वर्ष में रिक्त होने वाली मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्ति के लिए अग्रसारित किये जायेंगे या अनुवर्तीवर्ष के लिये तैयार और अनुमोदित की गयी सूची "क" के, यदि कोई हो, शीर्ष पर अन्तरित कर दिये जायेंगे।

(ख) उपविनियम 6 के खण्ड दो के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सूची ख में सम्मिलित अभ्यर्थी उसी क्रम में, जिसमें उनके नाम सूची 'क' में आये हो, अस्थायी रिक्तियों के प्रति सूची "क" के निःशेषित होने के पश्चात् नियुक्त किये जायेंगे। उन्हें मौलिक नियुक्ति के प्रति भी नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु अस्थायी आधार पर, यदि किसी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि सूची "ख" से नियुक्त किसी अधिकारी ने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो ऐसे कार्मिक को उस पद पर, जिससे उसे पदोन्नत किया गया था, बिना कोई कारण बताये प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

भाग—सात नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

20—नियुक्ति—

(1) मौलिक रिक्तियों के होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं में नियुक्तियां विनियम 18 के अधीन तैयार की गयी सूची से, और विनियम 19 के उपबन्धों के अनुसार, पदोन्नति द्वारा करेगा।

परन्तु जहां किसी मामले में पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों के द्वारा ही नियुक्ति की जानी हो तो उत्तराखण्ड जल संस्थान पदोन्नति और सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी को दोनों में से यथासम्भव बारी-बारी से अभ्यर्थी को लेकर ऐसी रिक्तियों में नियुक्त करेगा। अभ्यर्थी उसी क्रम से लिये जायेंगे जिस क्रम से उनके नाम सूची में हों और पहला अभ्यर्थी पदोन्नति अभ्यर्थियों की सूची से लिया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी अस्थायी रिक्तियों में भी, जिनकी अवधि छः सप्ताह से अधिक हो, विनियम 19 के अधीन पदोन्नति के लिये चुने गये व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है :

परन्तु यदि ऐसी नियुक्ति के लिये कोई अनुमोदित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति कर सकता है जो उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं में स्थायी तौर पर भर्ती के लिये इस विनियमावली के अधीन पात्र हो, इस उपबन्ध के अधीन सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियुक्तियां कर सकता है।

21—परिवीक्षा—(1) उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक स्थिति में उसके प्रति सीधी भर्ती किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त

किये गये प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष
परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

की अवधि के लिए

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं के सवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर स्थानापन्न और अस्थायी रूप से की गयी लगातार सेवा की पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवीक्षा अवधि में जोड़ने की अनुज्ञा दे सकता है :

परन्तु यह और की नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति विशेष के मामले में पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है। बढ़ाने के ऐसे आदेश में ठीक अवधि लिखी जायेगी, जब तक के लिए उक्त अवधि बढ़ाई गयी हों

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि में अथवा उसके अन्त में किसी समय यह पाया जाय कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्य किसी प्रकार से उस कार्य स्तर के सम्बन्ध में, जिसे उससे अपेक्षा की जाती है, संतुष्ट करने में असफल रहा है तो उसकी सेवायें यदी वह सीधी भर्ती से लिया गया हो, समाप्त की जा सकती है। जिसके लिए वह किसी नोटिस अथवा प्रतिकर का हकदार न होगा या यदि वह पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिससे वह पदोन्नत किया गया हो।

22— स्थायीकरण—

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उस पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि,

- (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,
- (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

23— ज्येष्ठता—

उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

24— स्थानान्तरण—

- (1) उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में कार्यरत चतुर्थश्रेणी के कर्मियों का स्थानान्तरण सामान्य परिस्थितियों में जनपद के अर्न्तगत तथा तृतीय श्रेणी एवं उच्च पदों पर कार्यरत कर्मियों का स्थानान्तरण प्रदेश में कहीं भी सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

परन्तु तृतीय श्रेणी एवं उच्च श्रेणी पर कार्यरत कर्मियों का स्थानान्तरण करने हेतु सक्षम अधिकारी का तात्पर्य मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, तथा चतुर्थ श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी का तात्पर्य महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गढ़वाल/कुमायू होगा।

भाग 8 – अन्य उपबन्ध

25— वेतन और भत्ते

- (1) सेवा के संवर्ग में किसी पद पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को अनुमन्य वेतनमान एवं भत्ते वहीं होंगे जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से जल संस्थान द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायेंगे।
- (2) अवधारित वेतन और अन्य भत्ते उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा सीधे कर्मिकों को दिये जायेंगे।

26— परीक्षा अवधि के दौरान वेतन—

- (1) परीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से ही यथास्थिति उत्तराखण्ड जल संस्थान की स्थायी सेवा में न हो, परीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष के लिए पद का न्यूनतम वेतन और वेतन छुट्टियां, जैसे वे प्रोद्भूत हो, लेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि संतोषजनक कार्य न करने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि में तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ऐसा निर्देश न दे, किन्तु स्थायी हो जाने पर उसे वही वेतन मिलेगा, जो उनकी सेवा की अवधि के अनुसार अनुमन्य होता।
- (2) परीक्षा अवधि के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति का जो उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा में भर्ती किए जाने के पूर्व यथास्थिति उत्तराखण्ड जल संस्थान की किसी सेवा में पहले से ही किसी मौलिक पद पर न हो, वेतन यथास्थिति उत्तराखण्ड जल संस्थान के कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने से सम्बद्ध संगत नियमों के अनुसार निश्चित किया जायेगा।

27— पक्ष समर्थन

- भर्ती के लिए इस विनियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न सिफारिशों पर चाहे वे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्थता के लिए अन्य उपायों द्वारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

28— अवकाश भत्ता, स्थानापन्न वेतन फीस और मानदेय—

- (1) इस विनियमावली में अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था को छोड़कर अवकाश तथा अवकाश वेतन से सम्बद्ध सभी मामले, समान परिस्थिति के सरकारी सेवकों पर प्रयोज्य अवकाश सम्बन्धी नियमों में निर्धारित रीति से विनियमित होंगे और समय-समय पर जारी किए गये संशोधन की सभी व्याख्याओं और स्पष्टीकरणों सहित आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(2) वेतन जिसके अन्तर्गत स्थानापन्न वेतन और अतिरिक्त वेतन भी है, विशेष वेतन, मानदेय प्रतिकर भत्ता, निर्वाह भत्ता तथा फीस की स्वीकृति उन्ही शर्तों पर विनियमित होंगी जो समान प्रास्थिति के सरकारी सेवकों पर फाइनेन्शियल हैण्ड बुक भाग दो खण्ड दो से चार में दिए गये फंडामेंटल एण्ड सब्सीडियरी रूल्स के अधीन प्रयोज्य हों।

(3) इस विनियमावली में स्पष्ट रूप से उपबंधित व्यवस्था को छोड़कर फाइनेन्शियल हैण्ड भाग 2 खण्ड 2 से 4 तक में दिये हुए फंडामेंटल एण्ड सब्सीडियरी रूल्स तथा फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड 3 में दिए हुये ट्रेवलिंग एलाउन्स रूल्स आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

टिप्पणी— तत्समान कर्मियों को इस विनियमावली के प्रयोजनों के लिए उक्त फाइनेन्शियल हैण्ड बुकों के अन्तर्गत विभिन्न अधिकारों का प्रयोग करने के लिए समक्ष हो, वे होंगे जिन्हें उत्तराखण्ड सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा अवधारित करे।

29— भविष्य निधि—

जब तक कि उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं के लिए एक सामान्य भविष्य निधि की नहीं कर दी जाती है, तब तक इस विनियमावली द्वारा शासित कर्मी, यथा—स्थिति उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत गढ़वाल एवं कुमायूँ परिक्षेत्र, जिसमें वह तत्समय तैनात हैं भविष्य निधि संबंधी विनियमों अथवा नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे।

30— अनुशासनिक कार्यवाहियां—

(1) ऐसे उपान्तरों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार समय-समय पर करें अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में दण्ड के विरुद्ध अपील और अभ्यावेदन सम्बन्धी नियम जो सरकारी सेवकों पर लागू है, सेवा के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर लागू होंगे।

(2) उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मिकों पर कोई वृहद् या लघु दण्ड आरोपित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम अधिकारी होगा, परन्तु कोई छोटा दण्ड देने की शक्ति उत्तराखण्ड जल संस्थान के महाप्रबन्धक, गढ़वाल/कुमायूँ परिक्षेत्र में निहित होगी।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं के ऐसे कर्मिकों पर जिनके सम्बन्ध में नियुक्त करने की शक्ति नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित की गयी है, वृहद् या लघु दण्ड देने की शक्ति भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी में निहित होगी।

परन्तु यह भी है कि किसी ऐसे कर्मी के सम्बन्ध में पदच्युत करने या सेवा से हटाने या पदावनत करने का कोई आदेश देने के पूर्व सक्षम स्तर से पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मिकों को दण्ड देने का अधिकार महाप्रबन्धक गढ़वाल/कुमायूँ उत्तराखण्ड जल संस्थान, में निहित होगी।

(3) उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के किसी कर्मी को निलम्बित करने की शक्ति का प्रयोग केवल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जिनमें उपर्युक्त उपविनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मी के प्रति अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी हो और जांच के पूरा होने के पश्चात वह इस अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचे कि पदच्युत करने या

सेवा से हटाने या पदावनत करने का दण्ड आवश्यक है, वह उस मामले में अपने निष्कर्षों पर अन्तिम आदेश जारी करेगा, परन्तु ऐसा आदेश जारी करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जायेगा।

31- सेवा निवृत्ति की आयु-

(1) उपविनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं के समस्त कर्मियों की सेवा से निवृत्त होने की आयु साठ वर्ष होगी, जिसके पश्चात् किसी को भी उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवा में नहीं रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के किसी कर्मि को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताये उसके पैंतालिस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा निवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है, या ऐसा उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा का कर्मि पैंतालिस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या बीस वर्ष की अर्ध सेवा पूरी कर लेने पर किसी भी समय मुख्य महाप्रबन्धक को नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो सकता है।

(3) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी परन्तु

(क) किसी ऐसे उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मि को पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी भी समय मुख्य महाप्रबन्धक के आदेश से ऐसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर तत्काल सेवा निवृत्त किया सकता है, और ऐसी सेवा निवृत्ति पर उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्मि, नोटिस की अवधि के लिए यथा स्थिति ऐसी नोटिस तीन मास से जितनी कम हो, उतनी अवधि के लिए उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते की, यदि कोई हो, राशि के बराबर धनराशि का दावा करने का हकदार होगा, जिस दर पर वह उनको अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पहले पा रहा था।

(ख) यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह किसी उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मि को नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर सेवा निवृत्त होने की अनुज्ञा दे सकता है।

परन्तु यह और कि ऐसे उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मि द्वारा जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित या अनुध्यात हो, दी गयी नोटिस तभी प्रभावी होगी यदि यह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, किन्तु किसी अनुध्यात अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति में उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मि को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दे दी जायेगी।

परन्तु यह और भी कि स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने के लिये उपविनियम (2) के अधीन उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मि द्वारा एक बार दी गयी नोटिस उसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय वापस नहीं ली जा सकेगी।

(4) प्रत्येक उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मि को जो इस विनियम के अधीन सेवा निवृत्त होता है या जिसके सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवा निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, उस पर

लागू सुसंगत विनियमों
हुए सेवा निवृत्त पेन्शन और अन्य
उपलब्ध होगी।

के उपबन्धों के अनुसार उनके अधीन रहते
सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं यदि कोई हो,

स्पष्टीकरण:

(1) उपविनियम (2) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मों से सेवा निवृत्त होने की, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट है, अपेक्षा करने का निर्णय मुख्य महाप्रबन्धक के द्वारा यह बात लोक हित में प्रतीत होने पर लिया जायेगा किन्तु यहाँ पर दी गयी किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि आदेश में यह उल्लेख करने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसा निर्णय लोकहित में लिया गया है।

(2) जब तक कि इसको प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, प्रत्येक ऐसे निर्णय के विषय में यह उपधारण की जायेगी कि वह लोक हित में लिया गया है।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश, जिसमें उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मों से इस विनियम के उपविनियम (3) के प्रतिबन्धात्मक खंड (क) के अधीन तत्काल सेवा निवृत्त की अपेक्षा की गयी हो, जारी किये जाने के दिनांक के अपरान्ह से प्रभावी होगा किन्तु यदि उसके जारी किये के पश्चात् सम्बद्ध उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा का कर्मों सदाशयता से और उस आदेश की अनभिज्ञता से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके कार्यों को इस तथ्य के होते हुए भी कि वह पहले ही सेवा निवृत्त हो गया विधिमान्य समझा जायेगा।

(4) उत्तराखण्ड जल संस्थान के समस्त कर्मियों को सेवा निवृत्त लाभ केन्द्रीययित सेवा के अधिकारों/कर्मचारियों पर लागू पेंशन नियमावली उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पालिका) (केन्द्रीयत) सेवा, सेवा निवृत्त लाभ नियमावली, 1981) नियमावली अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002 के अनुसार लागू होंगे।

(5) उत्तराखण्ड जल संस्थान सृजन के पश्चात् नियुक्ति कर्मियों पर शासन द्वारा की जाने वाली व्यवस्था के अर्न्तगत सेवा निवृत्ति लाभ लागू होंगे।

32-निर्वचन और अन्य विषयों का विनियमन-

इस विनियमावली में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि विनियमावली के किन्ही उपबन्धों को लागू करने से किसी विशेष मामले में कोई अनुचित कठिनाई होती है, तो वह आदेश द्वारा उक्त उपबन्ध की अपेक्षाओं को उसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जहां उस मामले में न्यायपूर्ण तथा साम्यिक (equitable) रूप से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकता है।

33- शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन-

नियुक्ति प्राधिकारी इस विनियम के अधीन अपनी शक्तियों तथा कृत्यों को उत्तराखण्ड जल संस्थान के किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे यह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है।

34- निर्वचन-

यदि इस विनियमावली के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद उठे या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे सरकार को अभिर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिक तथा निश्चायक होगा।

35— अन्य विषयों का विनियमन—

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली के अन्तर्गत न आते हों, उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति, जो उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डलों में कार्यरत है, राज्य के कार्यपालिकों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

36— व्यावृत्ति —

इस विनियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका विनियम -3- और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समस-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

अनुलग्नक “क”
(देखें भाग दो)

अधिष्ठान के विभिन्न सवर्गों में “उत्तरांचल जल संस्थान” सेवा संवर्ग के स्वीकृत पद,
वेतनमान एवं पदों पर सीधी भर्ती शैक्षिक अर्हताएं

क्र० सं०	पद नाम	स्वीकृत पद	वेतनमान (रु०)	शैक्षिक अर्हताएं	भर्ती प्रक्रिया
1	वरिष्ठ लेखाधिकारी / वरिष्ठ सम्परीक्षाधिकारी	03	10000—15200	—	लेखाधिकारी / सम्परीक्षाधिकारी के पद पर न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
2	लेखाधिकारी / सम्परीक्षा अधिकारी	07	8000—13500	—	सहायक लेखाधिकारी / सहायक सम्परीक्षाधिकारी के पद पर न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
3	कर निर्धारण अधिकारी	01	8000—13500	—	यह पर सृजित नहीं है। कर अधीक्षक से प्रान्ति, हेतु यह व्यवस्था भविष्य के लिये की जा रही है।
4	कर अधीक्षक	01	5500—9000	—	कर अधीक्षक पद वर्तमान में सृजित नहीं हैं सहायक कर अधीक्षक से प्रोन्नति हेतु यह व्यवस्था भविष्य के लिए की जा रही है।
5	सहायक लेखाधिकारी / सहायक सम्परीक्षाधिकारी	05	6500—10500	—	लेखाकार / वरिष्ठ सम्परीक्षक के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
6	लेखाकार / वरिष्ठ सम्परीक्षक	33	5000—8000	बी०कॉम० अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट की इन्टर परीक्षा उत्तीर्ण	लेखा एवं राजस्व सहायक / कनिष्ठ सम्परीक्षक / ऑडिटर / वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक के पद (सहायक लेखाकार के पदों को कनिष्ठ सम्परीक्षक के पद नाम में आमेलित) न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार

					पर रिक्तियों की अपेक्षित संख्या का 75 प्रतिशत प्रोन्नति एवं 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से।
7	सहायक मीटर निरीक्षक	07	4000—6000	—	मीटर रीडर के पद पर न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
8	लेखा एवं राजस्व सहायक (लेखा)	42	4000—6000	—	लेखा एवं राजस्व उप सहायक (लेखा) के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
9	लेखा एवं राजस्व सहायक— (सामान्य)	36	4000—6000		लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य) के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
10	लेखा एवं राजस्व उप सहायक (लेखा)	62	3050—4590	इन्टर कॉमर्स / कम्प्यूटर ज्ञान	सीधी भर्ती।
11	लेखा एवं राजस्व उप सहायक(सामान्य) / जलकल सुपरवाइजर / टैक्स कलैक्टर	263	3050—4590	इन्टर / कम्प्यूटर का ज्ञान	समूह “घ” में मौलिक रूप से नियुक्ति ऐसे कार्मिकों से जो उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हों और 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति तथा 75 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा।
12	प्रशासनिक अधिकारी	01	8000—13500	स्नातक	कार्यालय अधीक्षक को जिन्होंने न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
13	विधि अधिकारी	01	8000—13500	विधि स्नातक	सीधी भर्ती / रिडिप्लाइमेंट के आधार पर।
14	वैयक्तिक सहायक	—	6500—10500	—	स्वीकृत आशुलिपिक—प्रथम के पदों के सापेक्ष 15 प्रतिशत।
15	कार्यालय अधीक्षक	04	5000—8000	—	मुख्य लिपिक के पद पर 07

					वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर कार्य का अनुभव रखने वाले पदधारकों से प्रोन्नति से ।
16	आशुलिपिक—प्रथम	14	4500—7250	—	आशुलिपिक द्वितीय के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।
17	मुख्य लिपिक	33	4500—7000	इन्टर	लेखा एवं राजस्व सहायक (सामान्य) के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।
18	आशुलिपिक—द्वितीय	07	4000—6000	इन्टर/आशुलिपिक व्यवसाय में एक वर्ष का प्रशिक्षण	सीधी भर्ती द्वारा ।
19	हैडब्राडमा ऑपरेटर	02	4500—7000	इन्टर, मान्यता प्राप्त संस्थान से ब्राडमा का प्रशिक्षण	ब्राडमा ऑपरेटर से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।
20	कर एवं राजस्व निरीक्षक	08	4000—6000	इन्टर	लेखा एवं राजस्व सहायक (सामान्य) के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।
21	फोरमैन	02	4000—6000	—	मीटर वर्कशाप/फिल्टर हाउस में न्यूनतम 07 वर्ष कर सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।
22	मुख्य कैमिस्ट	01	6500—10500	—	जलकल प्रयोगशाला में कैमिस्ट के पद न्यूनतम 07 की सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।
23	संगणक	04	4500—7250	—	मानचित्र के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ।
24	कैमिस्ट	03	5000—8000	रसायन शास्त्र के	सीधी भर्ती ।

				साथ स्नातक की उपाधि	
25	कनिष्ठ सम्परीक्षक / ऑडिटर	08	4500—7000	बी0कॉम0	लेखाकार के पद पर पदोन्नति उपरान्त यह पर सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।
26	मीटर निरीक्षक	01	4500—7000	इन्टर मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण	सहायक मीटर निरीक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
27	सहायक कर अधीक्षक	01	5000—8000	इन्टर	कर एवं राजस्व निरीक्षक के पद पर न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
28	राजस्व अधीक्षक	02	4500—7000	इन्टर	कर एवं राजस्व निरीक्षक के पद पर न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा। भविष्य में सहायक कर अधीक्षक के पदनाम में आमेलित।
29	पम्प हाऊस अधीक्षक	09	4500—7000	सम्बन्धित ट्रेड में आईटीआई	हैड फिटर पम्प / शिफ्टइंचार्ज इलैक्ट्रीशियन से प्रोन्नति द्वारा।
30	मानचित्रक	11	4000—6000	मानचित्रक ट्रेड में आईटीआई	सीधी भर्ती
31	ब्राडमा ऑपरेटर	03	4000—6000	इन्टर, मान्यता प्राप्त संस्थान से ब्राडमा का प्रशिक्षण	पदधारकों की सेवा निवृत्ति तक।
31	ब्राडमा ऑपरेटर	03	4000—6000	इन्टर, मान्यता प्राप्त संस्थान से ब्राडमा का प्रशिक्षण	पदधारकों की सेवा निवृत्ति तक।
32	शिफ्ट इंचार्ज / हैड इलैक्ट्रीशियन	—	4000—6000	—	आईटीआई योग्यता धारक पम्प ऑपरेटर / इलैक्ट्रीशियन के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 15 प्रतिशत पद
33	मीटर रीडर	92	3050—4590	इन्टर	पदधारकों की सेवा निवृत्ति के उपरान्त उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
34	चालक	27	3050—4590	हाईस्कूल, वाहन चलाने का	सीधी भर्ती।

				लाइसेंस	
35	विद्युतकार	25	3050—4590	हलैक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई	सीधी भर्ती
36	हैड फिटर	25	3050—4590	—	फिटर पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की पदोन्नति द्वारा
37	मीटर मैकेनिक	27	3050—4590	इन्स्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई	पदधारकों की सेवा निवृत्ति के उपरान्त उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
38	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	15	3050—4590	इन्टर एवं कम्प्यूटर कार्य का मानक 4000 की डिस्प्लेशन प्रतिघन्टा	सीधी भर्ती।
39	फिल्टर ऑपरेटर	22	2750—4400	—	फिल्टर अटेन्डेन्ट से प्रोन्नति
40	मशीनिष्ट	01	2750—4400	—	जूनियर फिटर 'पम्प' से प्रोन्नति
41	पम्प ड्राईवर/इंजन ड्राईवर/पम्प ऑपरेटर	113	2750—4400	—	पम्प अटेन्डेन्ट से प्रोन्नति। आईटीआई योग्यता धारकों के लिये वेतन क्रम रू0 3050—4590 होगा।
42	राज मिस्त्री	04	2750—4400	—	सम्बन्धित पद का अनुभव रखने वाले बेलदारों की जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, को प्रोन्नति द्वारा।
43	फिटर वर्कशाप/सीनियर फिटर/लाईनमैन/पाइप लाईन फिटर	134	2750—4400	—	जूनियर फिटर से प्रोन्नति
44	लोहार	02	2750—4400	सम्बन्धित ट्रेड में आईटीआई	सम्बन्धित ट्रेड में आईटीआई धारक बेलदारों की प्रोन्नति द्वारा।
45	वर्क सुपरवाइजर	16	2650—4000	—	बेलदार से प्रोन्नति
46	दफ्तरी	06	2610—3540	हाईस्कूल	कार्यालय अनुचर/चौकीदार से प्रोन्नति अथवा समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों से जो उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करते हों से प्रोन्नति द्वारा।
47	पम्प मैकेनिक	01	2610—3540	—	बेलदार 'पम्प' से प्रोन्नति
48	फिल्टर अटेन्डेन्ट	14	2610—3540	—	फिल्टर बेलदार से प्रोन्नति
49	सीवर मिस्त्री	08	2750—4400	—	सीवर सफाई, सुपरवाइजर से प्रोन्नति
50	सफाई सुपरवाइजर	01	2610—3540	—	सफाई बेलदार से प्रोन्नति
51	पम्प अटेन्डेन्ट	408	2610—3540	विद्युत ट्रेड में आईटीआई	सीधी भर्ती/आईटीआई धारक बेलदारों से प्रोन्नति

					से बराबर संख्या में।
52	जूनियर फिटर/वैल्डर	320	2610—3540	सम्बन्धित ट्रेड में आईटीआई	बेलदार से प्रोन्नति/सीधी भर्ती
53	हैडवर्क्स अटेंडेन्ट	02	2610—3540	—	बेलदार से प्रोन्नति
54	फिटर कम चौकीदार	29	2610—3540	—	बेलदार से प्रोन्नति
55	सीवर बेलदार	77	2550—3200	कक्षा—5 उत्तीर्ण	सीधी भर्ती
56	अनुचर/बिल प्यून/चौकीदार	178	2550—3200	कक्षा—8 उत्तीर्ण	सीधी भर्ती
57	बेलदार/खलासी	1709	2550—3200	कक्षा—5 उत्तीर्ण	सीधी भर्ती
58	माली	07	2550—3200	कक्षा—5 उत्तीर्ण	पद धारकों की सेवा निवृत्ति तक।
59	हैल्पर	03	2550—3200	कक्षा—5 उत्तीर्ण	सीधी भर्ती
60	जल वितरक	01	2550—3200	कक्षा—5 उत्तीर्ण	सीधी भर्ती
61	पीपीए	01	2550—3200	कक्षा—5 उत्तीर्ण	सीधी भर्ती
62	पत्रवाहक	01	2550—3200	कक्षा—8 उत्तीर्ण	सीधी भर्ती
63	अर्दली	14	2550—3200	कक्षा—8 उत्तीर्ण	सीधी भर्ती
64	फैरोब्याय	01	2550—3200	हाईस्कूल उत्तीर्ण	सीधी भर्ती
65	लैब प्यून	01	2550—3200	हाईस्कूल उत्तीर्ण	सीधी भर्ती
66	क्लीनर/पम्प क्लीनर	03	2550—3200	कक्षा—5 उत्तीर्ण	सीधी भर्ती

नोट— 1— उपरोक्त वर्णित पदों के कार्मिको वही वेतमान देय होगा जो बजाज समिति द्वारा संस्तुत है। यदि किसी पदधारक को पूर्व से अधिक वेतन दिया जा रहा है तो वह पदधारक वैयक्तिक रूप से पूर्व में उक्त स्वीकृत वेतनमान प्राप्त करता रहेगा और तदोपरान्त यह पद स्वतः ही समिति द्वारा संस्तुत में परिवर्तित हो जायेगा।

2— मविष्य में आईटीआई धारकों को रू० 3050—4590 का वेतनमान अनुमन्य होगा।

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक / 2 अक्टूबर, 2006

विषय:- उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 में द्वितीय आंशिक संशोधन हेतु कार्यकारी आदेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1257 / आ0सी0भर्ती / 2005-06 दिनांक 15.06.2006 में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 में कैमिस्ट, आशुलिपिक (द्वितीय), लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य), विद्युताकार, चालक एवं बेलदार के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण सीधी भर्ती से चयन प्रक्रिया में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के क्रम में उत्तरांचल जल संस्थान बोर्ड से पारित प्रस्ताव भी उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 में निम्नलिखित पदों के सम्बन्ध में वर्तमान में निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता के स्थान पर उसके सम्मुख कॉलम-2 के अनुसार शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

वर्तमान सेवा विनियमावली में निहित व्यवस्था		एतद् द्वारा प्रतिस्थापित शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता	
01		02	
(1) आशुलिपिक समूह-ग	अधिकतम महत्व	(2) आशुलिपिक समूह-ग	अधिकतम महत्व
(क) लिखित परीक्षा	25%	(क) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत	20%
(ख) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत	20%	(ख) छटनीशुदा कर्मचारी	15%
(ग) छटनीशुदा कर्मचारी	15%	(ग) खिलाडी	05%
(घ) खिलाडी	05%	(घ) कम्प्यूटर/आशुलिपिक ज्ञान परीक्षा/लिखित परीक्षा	50%
(ङ) कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा	25%	(ङ) साक्षात्कार परीक्षा	10%
(च) साक्षात्कार	10%		
किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हों, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपविनियम चार के खण्ड (ड) के अधीन यथा स्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान में सफल हो गया हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।		किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हों, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपविनियम चार के खण्ड (ड) के अधीन यथा स्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान में सफल हो गया हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।	

		सफल होने के लिए सामान्य संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक और आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।	
(2) लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य) समूह-ग	अधिकतम महत्व	(2) लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य) समूह-ग	अधिकतम महत्व
(क) लिखित परीक्षा	25%	(क) लिखित परीक्षा	25%
(ख) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत	20%	(ख) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत	20%
(ग) छटनीशुदा कर्मचारी	15%	(ग) छटनीशुदा कर्मचारी	15 अंक
(घ) खिलाड़ी	05%	(घ) खिलाड़ी	5 अंक
(ङ) कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा	25%	(ङ) कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा	25%
(च) साक्षात्कार	10%	(च) साक्षात्कार	10%
<p>किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हों, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपविनियम चार के खण्ड (ड) के अधीन यथा स्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान में सफल हो गया हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।</p>		<p>किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हों, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपविनियम चार के खण्ड (ड) के अधीन यथा स्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा में सफल हो गया हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।</p> <p>सफल होने के लिए सामान्य संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक और आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।</p>	
(3) चालक समूह-ग	अधिकतम महत्व	(3) चालक समूह-ग	अधिकतम महत्व
(क) लिखित परीक्षा	50%	(क) ड्राइविंग ज्ञान न्यूनतम	50%
(ख) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत	20%	(ख) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत	20%
(ग) छटनीशुदा कर्मचारी	15%	(ग) छटनीशुदा कर्मचारी	15 अंक
(घ) खिलाड़ी	05%	(घ) खिलाड़ी	5 अंक
(ङ) साक्षात्कार	10%	(ङ) साक्षात्कार	10%
<p>2- पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांको के प्रतिशत का 20प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।</p>		<p>1-25 प्रतिशत अंको के लिए सामान्य संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।</p> <p>2- पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांको के प्रतिशत का 20प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।</p>	
(4) बेलदार समूह-ध	अधिकतम महत्व	(4) बेलदार समूह-ध	अधिकतम महत्व
साक्षात्कार	85%	छटनीशुदा कर्मचारी	15%
छटनीशुदा कर्मचारी	15%	कुशलता परीक्षा	70%
		साक्षात्कार	15%
		<p>कुशलता परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसे सफल अभ्यर्थियों को रिक्त पदों की संख्या के चार गुने के बराबर मैरिट सूची के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।</p>	

- 3-उत्तरांचल जल संस्थान प्रकाशित विज्ञापित के कम में इस परिवर्तन को जिन समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित करायी गयी है। उन समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित करेगा ।
- 4-कृपया उत्तरांचल जल संस्थान सेवा विनियामली 2004 को इस कार्यकारी आदेश की सीमा तक संशोधित समझे जाये तथा सेवा विनियमावली में उक्त संशोधन यथा समय पृथक से किये जायें ।

भवदीय,
ह0—
(कुँवर सिंह)
आपर सचिव

प्रेषक,

कूवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन -1

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग - 1

विषय: उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली - 2004 में आंशिक रांशोधन हेतु कार्यकारी आदेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4189/आ0सी0भ0/2005-06 दिनांक 07-12-2005 एवं पत्रांक 4373/आ0नि0भ0/2005-06 दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 में कैमिस्ट, आशुलिपिक (द्वितीय), लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य), विद्युतकार, चालक एवं बेलदार के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण सीधी भर्ती से चयन प्रक्रिया में कठिनाई आ सकती है। इसके अतिरिक्त चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर प्रश्न चिन्ह भी उठ सकते हैं तथा न्यायालय में भी बाद उठाये जा सकते हैं।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 में उपरोक्त पदों के सम्बन्ध में वर्तमान में निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता के स्थान पर निम्नवत् शैक्षित योग्यता एवं कुशलता प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान में सेवा विनियमावली में निहित शैक्षिक योग्यता	एतद द्वारा प्रतिस्थापित शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता
1	2	3	4
1	कैमिस्ट	रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि।
2	आशुलिपिक (द्वितीय)	इंटर/आशुलिपिक व्यवसाय में 01 वर्ष का प्रशिक्षण	(एक) उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (दो) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः न्युनतम अस्सी शब्द प्रति मिनट और पच्चीस शब्दप्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। (तीन) कम्प्यूटर संचालन का सामान्य ज्ञान आवश्यक है और एम0एस0ऑफिस प्रयोग करके विन्डो-2000 एनवॉयरमेंट में टंकण के लिये हिन्दी कॉन्ट और टेपिंगआछट का प्रिन्टिंग आउटपुट में कार्य करने की योग्यता आवश्यक है।

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान में सेवा विनियमावली में निहित शैक्षिक योग्यता	एतद द्वारा प्रतिस्थापित शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता
1	2	3	4
3	लेख एवं राजस्व उप सहायक	इंटर/कम्प्यूटर का ज्ञान	(एक) उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

	(सामान्य)		(दो) डी0 ओ0ई0ए0सी0सी0 द्वारा प्रदत्त 'ओ' प्रमाणपत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक होगा।
4	विद्युतकार	इलैक्ट्रीशियन ट्रेड में आई0टी0आई0	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलैक्ट्रीशियन ट्रेड में आई0टी0आई0 उत्तीर्ण तथा एन0सी0बी0टी0 का प्रमाण पत्र।
5	चालक	हाईस्कूल/वाहन चलाने का लाईसैंस	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। पर्वतीय क्षेत्र में हैवी वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव।
6	बेलदार	कक्षा 5 उत्तीर्ण	कक्षा 5 उत्तीर्ण, पाईप लाईन सम्बन्धी कार्यों का अपेक्षित ज्ञान एवं रामुचित अनुभव।

3— प्रश्नगत सेवा विनियमावली में समूह 'घ' के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है। अतः इस हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

“उत्तरांचल जल संस्थान में समूह 'घ' के अन्तर्गत चयन की प्रक्रिया कार्मिक अनुभाग-2 उत्तरांचल शासन की अधिसूचना सं0 — 880 / XXX(2) / 2004-55(39) / 2004 दिनांक 14 जून 2004 द्वारा निर्गत समूह “घ” कर्मचारी सेवा विनियमावली, 2004 के भाग-पांच “भर्ती की प्रक्रिया” के नियम 15, नियम 16, नियम 17 एवं नियम 18 में निहित प्राविधानों के अनुसार ही सुनिश्चित की जायेगी।

4—कृपया उत्तरांचल जल संस्थान सेवा विनियमावली 2004 को इस कार्यकारी आदेश की सीमा तक संशोधित समझे जाय तथा सेवा विनियमावली में उक्त संशोधन यथासमय पृथक से किये जाय।

भवदीय
ह0—
(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

परिशिष्ट "1"
देखें नियम 6 (एक)

<u>क्रमांक</u>	<u>संवर्ग का नाम</u>	<u>पदों के नाम</u>
1.	लेखा संवर्ग	(1) वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ (2) लेखाधिकारी/सम्परीक्षाधिकारी (3) सहायक लेखाधिकारी/सहायक
सम्परीक्षाधिकारी		
सम्परीक्षाधिकारी		(4) लेखा एवं राजस्व सहायक (लेखा)
2.	सामान्य संवर्ग	(1) प्रशासनिक अधिकारी (2) वैयक्तिक सहायक (3) आशुलिपिक-प्रथम (4) कार्यालय अधीक्षक (5) मुख्य लिपिक (6) लेखा एवं राजस्व सहायक (सामान्य)
3.	अन्य संवर्ग	(1) कर निर्धारण अधिकारी (2) मुख्य कैमिष्ट (3) कर अधीक्षक (4) संगणक (5) सहायक कर अधीक्षक/राजस्व
अधीक्षक		(6) कर एवं राजस्व निरीक्षक (7) पम्प हाऊस अधीक्षक (8) शिफ्ट इंचार्ज (9) हैड इलैक्ट्रीशियन (10) पम्प ड्राईवर/इंजन ड्राईवर/पम्प
चालक		(11) मीटर निरीक्षक (12) सहायक मीटर निरीक्षक (13) हैड ब्राइमा ऑपरेटर (14) हैड फिटर (15) फिटर(वर्कशाप)/सीनियर फिटर /लाईनमैन/पाइप लाइन फिटर (16) जूनियर फिटर/वैल्डर (17) फोरमैन (मीटर वर्कशॉप/फिल्टर
हाऊस)		(18) राज मिस्त्री (19) फिल्टर ऑपरेटर (20) फिल्टर अटेन्डेन्ट

- (21) सीवर सुपरवाइजर
- (22) सीवर मिस्त्री
- (23) मशीनिष्ट
- (24) लोहार
- (25) वर्क सुपरवाइजर
- (26) दफ्तरी
- (27) पम्प मैकेनिक
- (28) हैडवर्क्स अटेन्डेन्ट
- (29) फिटर-कम-चौकीदार

परिशिष्ट "2"
देखें नियम 6 (दो)

<u>क्रमांक</u>	<u>संवर्ग का नाम</u>	<u>पदों के नाम</u>
1. लेखाकार	लेखा संवर्ग	(1) कनिष्ठ सम्परीक्षक / ऑडिटर / सहायक (2) लेखा एवं राजस्स उप सहायक (लेखा)
2.	सामान्य संवर्ग	(1) विधि अधिकारी (2) आशुलिपिक—द्वितीय
3.	अन्य संवर्ग	(1) कैमिष्ट (2) मानचित्रक (3) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (4) अनुचर / बेलदार / चौकीदार / माली / बिलप्यून / खलासी (5) सीवर बेलदार (6) चालक (7) इलैक्ट्रीशियन (8) हैल्पर (9) जल वितरक (10) पीपीए (11) पत्रवाहक (12) अर्दली (13) फ़ैरोब्बाय (14) लैब प्यून (15) क्लीनर / पम्प क्लीनर

परिशिष्ट "3"
देखें नियम 6 (तीन)

<u>क्रमांक</u>	<u>संवर्ग का नाम</u>	<u>पदों के नाम</u>
1.	लेखा संवर्ग	(1) लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक
2. (सामान्य)	सामान्य संवर्ग	(1) लेखा एवं राजस्व उप सहायक
3.	अन्य संवर्ग	(1) पम्प अटन्डेन्ट

—0—

एच0पी0उनियाल
मुख्य महाप्रबन्धक

है,
नागरिक हो या

जो संविधान के भाग—दो—के अधीन भारत का
समझा जाता हो :

है।

भाग

अधीन
संवर्ग में

(4) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से

(5) "सीधी भर्ती" का तात्पर्य इस विनियमावली के
पांच में विहित रीति से की गयी सीधी भर्ती से है:

(6) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है :

(7) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस विनियम के
उत्तरांचल जल संस्थान सेवा का सदस्य सेवा के
विनियम 3 में उल्लिखित किसी

पद पर इस विनियमावली के

प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त किन्ही नियमों
उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति

या आदेशों के
से है :

जो
विनियमावली के अनुसार चयन के
और यदि कोई नियम न हो तो राज्य

(8) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है
तदर्थ नियुक्ति न हो और इस
पश्चात की गई हो, परन्तु
सरकार द्वारा

जारी निर्देशों के अधीन तत्समय उपबन्धित
प्रक्रियाओं के अनुसार की गई हो,

(9) "राज्य" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है, और

- से है,
- (10) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से आरम्भ होने वाली बारह माह की अवधि
- यथा
- (11) "अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित उत्तरांचल उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथा उत्तरांचल में लागू) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।

भाग-2 संवर्ग और सदस्य संख्या

3. उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं का गठन—

- (1) उत्तराखण्ड जल संस्थान में निम्नलिखित सेवायें होंगी और सेवाओं में परिशिष्ट "1" "2" व "3" में उल्लिखित पद सम्मिलित होंगे:
- (2) उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा (एक) लेखा संवर्ग।
(दो) सामान्य वर्ग।
(तीन) अन्य संवर्ग।

4. सेवा के सदस्यों की संख्या— विनियम 3 के उपविनियम(2) में उल्लिखित सेवाओं की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उत्तराखण्ड जल संस्थान समय-समय पर नियत करें।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक संवर्ग के पदों की संख्या, जब तक कि उप विनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं, उतनी होगी जितनी अनुलग्नक "क" में दी गयी है।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या उस प्रास्थिति रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

परन्तु यह और कि जल संस्थान राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन पर, समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थायी पदों का सृजन आवश्यकतानुसार कर सकेगी, जिन्हे वह उचित समझे।

5. वेतन-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, पूर्व से नियुक्त चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से जल संस्थान द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

भाग तीन – भर्ती

6. भर्ती को स्त्रोत— सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी,

रीति से (एक) परिशिष्ट—“1” में उल्लिखित पद विनियम 19 में दी गयी पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

रीति से (दो) परिशिष्ट—“2” में उल्लिखित पद भाग—पांच में दी गयी सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

स्रोतों (तीन) परिशिष्ट—“3” में उल्लिखित पद ऊपर उल्लिखित दोनों और रीति के बराबर—बराबर संख्या में भरे जायेंगे किन्तु इस प्रकार के शेष पद, यदि कोई हों, पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। परन्तु यदि इस उपविनियम के अधीन यथास्थिति पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के लिये अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो कर्मी की पूर्ति उक्त दोनों स्रोतों में से किसी भी स्रोत से की जा सकती है :

परन्तु यह और कि परिशिष्ट “3” में उल्लिखित लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक के पदों के सम्बन्ध में भर्ती हेतु अपेक्षित संख्या का 3/4 भाग (75 प्रतिशत) प्रोन्नति से तथा 1/4 भाग (25 प्रतिशत) सीधी भर्ती से भरा जायेगा, किन्तु इस प्रकार के शेष पद यदि कोई हो तो प्रोन्नति से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि परिशिष्ट “3” में उल्लिखित लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य) एवं परिशिष्ट “1” में उल्लिखित दफ्तरी के पदों पर रिक्तियों की 20 प्रतिशत भर्ती चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी

- (1) 15 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह “घ” के कर्मियों में से जो अनुलग्नक “क” में इंगित दफ्तरी पद हेतु निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करते हों,
- (2) 05 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह “घ” कर्मियों में से जो अनुलग्नक “क” में इंगित लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य) पद हेतु निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करते हों,

आरक्षण

7— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों का प्रतिनिधित्व— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) तथा इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

भाग चार— अर्हतायें

8. उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में किसी पद पर भर्ती के लिए किसी अभ्यार्थी को निम्नलिखित होना आवश्यक है —

- (1) भारत का नागरिक, या
- (2) कोई तिब्बती जो भारत में स्थायी रूप से बस जाने के विचार से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, या

(3) भारतीय उद्भव का कोई व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बस जाने के बिचार से पाकिस्तान से प्रवजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त वर्ग (ख) या (ग) के किसी अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति अर्ह होना चाहिए जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि वर्ग (ख) के किसी अभ्यर्थी से ऐसा पात्रता प्रमाण पत्र मान्य करने की अपेक्षा

की जायेगी जो उप पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदान किया गया हो:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त वर्ग (ग) का हो, तो पात्रता प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा। उसके बाद वह सेवा में केवल तभी रखा जायेगा जब वह भारत का नागरिक हो जाय।

10. आयु—उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष जिसमें भर्ती में की जाय, के ठीक पश्चातवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 35 वर्ष की आयु न पूरी की हो:

परन्तु यह कि—

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी,

:

10. चरित्र—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी अपना समाधान कर लेगा कि नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चरित्र इस प्रकार का है कि उसके कारण वह उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार उपयुक्त हो।

(2) भर्ती के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस संस्था के, जिसमें वह अन्तिम बार पढ़ा हो, संस्थाध्यक्ष का और दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों को (जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हो) चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें जो राज्य सरकार या संघ की सक्रिय सेवा में हों और जो उनके जीवन से भली-भाँति परिचित हों, किन्तु उनके विधालय, महाविधालय या विश्वविधालय के जीवन से सम्बन्धित न हों।

11. शारीरिक स्वास्थ्य—

उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में किसी पद पर मौलिक रूप में किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक रूप में स्वस्थ न हो

और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे उसे अपने सरकारी कार्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पहले किसी अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी से एक चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।

12. अर्हतायें—

उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी की ऐसी अर्हतायें होनी चाहिये जैसी अनुलग्नक “क” में इंगित है या राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से जल संस्थान समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

13. अधिमान्य अर्हतायें—

अन्य बातों के समान होने पर उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में सीधी भर्ती की दशा में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने (1) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो, (2) नेशनल कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

14. वैवाहिक प्रारिथ्य—

कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में भर्ती के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह कि यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

भाग पांच— सीधी भर्ती के लिये प्रक्रिया

15. रिक्तियों का अवधारण

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम-7 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना शासन को देगा।

16. सीधी भर्ती की प्रक्रिया—

(1) उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के सीधी भर्ती के पदों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा/साक्षात्कार से भरे जाने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जायेगा :—

(क) वित्त निदेशक

अध्यक्ष।

(ख) महा प्रबन्धक, गढ़वाल/कुमाँयू परिक्षेत्र

सदस्य।

(ग) सचिव, प्रशासन, उत्तराखण्ड जल संस्थान
सदस्य / संयोजक

(घ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के एक अधिकारी
जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा,
सदस्य

(2) सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की सूचना समिति के अध्यक्ष द्वारा व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे जिनके नाम उत्तराखण्ड स्थित विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हों।

(3) यदि सीधी भर्ती विनियम-6 (दो) एवं 6(तीन) के अनुरूप विभाग के समूह 'घ' के अभ्यर्थियों से की जानी हो तो समिति के अध्यक्ष द्वारा समस्त विभागीय अभ्यर्थियों से उचित माध्यम द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे।

(4) उत्तराखण्ड जल संस्थान के सेवा संवर्ग के समूह 'घ' एवं लेखा संवर्ग को छोड़कर अन्य पदों पर सीधी भर्ती से चयन के लिए परीक्षा 100 अंकों की होगी। अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी।:-

(क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य

हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक-एक प्रश्नपत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा सिवाय ऐसे अभ्यर्थी के जिनका चयन किसी ऐसे पद पर किया जाना हो, जिसके लिये टंकण या आशुलिपिक, कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हों। चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशत का 25 प्रतिशत ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा।

परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किए गये हों, तो लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

(ख) पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक

अभ्यर्थी

को दिया जायेगा।

(ग) छटनीशुदा कर्मचारी को निम्नलिखित रीति से

अंक

दिये जायेंगे जो अधिकतम 15 प्रतिशत होंगे—

(एक) सेवा में प्रथम वर्ष के लिए
—पाँच अंक

- (दो) सेवा में दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए—प्रत्येक वर्ष के लिए—पाँच अंक
- (घ) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिय जायेंगे, जो अधिकतक पांच प्रतिशत होंगे
- (एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो
—पाँच अंक
- (दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हों
—चार अंक
- (तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हों
—तीन अंक
- (चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय, कालेज, स्कूल
—दो अंक
स्तर का खिलाड़ी हों।
- (ड.) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और टंकण या कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हों, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में यथास्थिति टंकण या आशुलिपिक और टंकण या कम्प्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी। उक्त परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 25 प्रतिशत केवल ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हों। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। इस प्रयोजन के लिए उक्त उप विनियमन चार में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा उक्त खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर पृथक रूप से तैयार की जायेगी।
- (5) (क) उप विनियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) के अधीन लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात चयन समिति, विनियम-7 में निर्दिष्ट आरक्षण की उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उप विनियम चार के खण्ड (ड.) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा में सफल हो गया हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।
- (ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिए नियत कुल अंकों के 10 प्रतिशत अंकों का होगा साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे :-

(एक)	विषय/सामान्य ज्ञान	—	चार
अंकों तक			
(दो)	व्यक्तित्व निर्धारण	—	तीन
अंकों तक			
(तीन)	अभिव्यक्ति की क्षमता	—	तीन
अंकों तक			

टिप्पणी— किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप से दिये गये अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किए जायेंगे।

- (ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उप नियम चार खण्ड (ख), (ग), (घ), और (ङ.) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- (6) उप विनियम (पाँच) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गये अंकों को उपविनियम (चार) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किए हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।
- (7) लेखा संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा राज्याधीन सेवाओं में लेखा संवर्ग हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रहेगी।

17—फीस—

- (1) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी को और मुख्य चिकित्साधिकारी को ऐसी फीस का भुगतान करेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाये फीस की वापसी के लिये कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) प्रतियोगिता परीक्षा के सम्बन्ध में पाठ्य विवरण और नियम सरकार के अनुमोदन से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किये जायेंगे।

18—अनुमोदित सूची—

विनियम 16 के अधीन तैयार सूची विनियम 7, 10, तथा 19 उपबन्धों के अधीन रहते हुए एक प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी के नाम उसी क्रम में दर्ज करेगा जिस क्रम में अवधारित किये गये हों।

19-पदोन्नति-(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवा के ठीक निम्न पद कम के सभी पात्र कर्मिकों में से ज्येष्ठता के आधार पर, किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कर्मिकों की एक पात्रता सूची उपविनियम (2) में दी गयी रीति में तैयार की जायेगी।

परन्तु अनुलग्नक 'क' के क्रमांक-1 पर अंकित पद पर प्रोन्नति हेतु कर्मिकों की ज्येष्ठता के साथ-साथ श्रेष्ठता को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(2) उप विनियम (6) में यथा उपबन्धित के सिवाय नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा, जिसे पात्रता सूची कहा जाएगा, जिसमें यथा सम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम होंगे-

- (i) 1 से 5 रिक्तियों के लिए -रिक्तियों की संख्या का दो गुना किन्तु कम से कम 5,
- (ii) 5से अधिक रिक्तियों के लिए -रिक्तियों की संख्या का $1-1/2$ (डेढ़) गुना किन्तु कम से कम 10,

परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिए की जानी हो, तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार की जायेगी। ऐसे मामले में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूची तैयार करते समय पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी -

(क) द्वितीय वर्ष के लिए उक्त अनुपात के अनुसार, जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगा।

(ख) तृतीय वर्ष के लिए उक्त अनुपात के अनुसार, जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगा।

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो प्रथम दृष्ट्या पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझे जायें, उक्त अनुपात की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और इस आशय की एक टिप्पणी, कि उन पर इस प्रकार विचार नहीं किया गया, उनके नाम के सामने लिख दी जायेगी।

स्पष्टीकरण-

इस विनियम में रिक्तियों की संख्या का तात्पर्य एक वर्ष में होने वाली मौलिक या अस्थायी रिक्तियों की कुल संख्या से है।

(3) उपविनियम(1) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित होंगे।

(क) वर्ग एक, दो, तीन और चार के पदों पर नियुक्ति एवं वर्ग एक, दो और तीन के पदों पर प्रोन्नति।

(एक) वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड जल संस्थान

अध्यक्ष

(दो) महाप्रबन्धक, गढ़वाल/कुमाँयू उत्तराखण्ड जल संस्थान

सदस्य

(तीन) सचिव, प्रशासन (अधीक्षण अभियन्ता)

सदस्य

(चार) अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता स्तर का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति /जन जाति श्रेणी में हो तथा जिन्हें अध्यक्ष, जल संस्थान द्वारा नामित किया जाय—

सदस्य

(पांच) वरिष्ठ लेखाधिकारी, (मण्डीय परिक्षेत्र मुख्यालय) जल संस्थान सदस्य—सचिव
(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट पदों में से भिन्न पदों पर पदोन्नति की स्थिति में।

(एक) महाप्रबन्धक, गढ़वाल/कुमायूँ उत्तराखण्ड जल संस्थान
—अध्यक्ष

(दो) वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान (मण्डलीय स्तरीय)
—सदस्य

(तीन) अधीक्षण अभियन्ता मण्डलीय मुख्यालय में तैनात
सदस्य/सचिव

(चार) अधिशाली अभियन्ता स्तर का एक अधिकारी
—सदस्य

जो अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के हों तथा जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाय—

परन्तु उपर्युक्त इंगित सदस्यों में से किसी एक के उपस्थित न होने पर अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी चयन समिति का सदस्य होगा।

(4) (एक) नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति की बैठक के लिए तिथि या तिथियों को नियत करेगा।

(दो) जहां चयन समिति यह आवश्यक समझे कि पात्रता सूची में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उसके द्वारा किया जाना चाहिए तो यह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(तीन) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थी की चरित्र पंजी पर विचार करेगी और किसी अन्य तथ्य पर विचार कर सकती है, जो उसकी राय में सुसंगत हो।

(5) चयन समिति ज्येष्ठता क्रम में दो सूचियां तैयार करेगी, अर्थात् सूची —“क” इसमें मौलिक रिक्तियों के प्रति स्थायी नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगे, सूची —“ख” इसमें अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों के लिये संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगे, परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिये की जाये तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में चयन उस वर्ष के लिये तैयार की गयी पात्रता सूची से किया जायेगा।

(6) (क) (एक) सूची “क” में सम्मिलित अभ्यर्थी मौलिक रिक्तियों के प्रति उसी क्रम में जिसमें उनके नाम सूची में आये हों, नियम 20 के उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त किये जायेंगे।

(दो) सूची “क” में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिये मौलिक रिक्तियां तुरन्त उपलब्ध न हों, उक्त क्रम में अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति उन अभ्यर्थियों पर, जो सूची “ख” में सम्मिलित हों, अधिमान देकर नियुक्त किये जायेंगे (तीन) सूची “क” में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों के नाम, जिनके लिये उसके दौरान, जिनके लिये उनका चयन किया गया हो, मौलिक रिक्तियां उपलब्ध नहीं की जा सकती, वर्ष के अन्त में अनुवर्ती वर्ष में रिक्त होने वाली मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्ति के लिए अग्रसारित किये जायेंगे या अनुवर्तीवर्ष के लिये तैयार और

अनुमोदित की गयी सूची "क" के, यदि कोई, हो, शीर्ष पर अन्तरित कर दिये जायेंगे।

- (ख) उपविनियम 6 के खण्ड दों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सूची ख में सम्मिलित अभ्यर्थी उसी क्रम में, जिसमें उनके नाम सूची 'क' में आये हो, अस्थायी रिक्तियों के प्रति सूची "क" के निःशेषित होने के पश्चात् नियुक्त किये जायेंगे। उन्हें मौलिक नियुक्ति के प्रति भी नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु अस्थायी आधार पर, यदि किसी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि सूची "ख" से नियुक्त किसी अधिकारी ने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो ऐसे कार्मिक को उस पद पर, जिससे उसे पदोन्नत किया गया था, बिना कोई कारण बताये प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

भाग—सात नियुक्ति, परीक्षा और स्थायीकरण

20—नियुक्ति—

- (1) मौलिक रिक्तियों के होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं में नियुक्तियां विनियम 18 के अधीन तैयार की गयी सूची से, और विनियम 19 के उपबन्धों के अनुसार, पदोन्नति द्वारा करेगा।

परन्तु जहां किसी मामले में पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों के द्वारा ही नियुक्ति की जानी हो तो उत्तराखण्ड जल संस्थान पदोन्नति और सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी को दोनों में से यथासम्भव बारी-बारी से अभ्यर्थी को लेकर ऐसी रिक्तियों में नियुक्त करेगा। अभ्यर्थी उसी क्रम से लिये जायेंगे जिस क्रम से उनके नाम सूची में हों और पहला अभ्यर्थी पदोन्नति अभ्यर्थियों की सूची से लिया जायेगा।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी अस्थायी रिक्तियों में भी, जिनकी अवधि छः सप्ताह से अधिक हो, विनियम 19 के अधीन पदोन्नति के लिये चुने गये व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है :

परन्तु यदि ऐसी नियुक्ति के लिये कोई अनुमोदित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति कर सकता है जो उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं में स्थायी तौर पर भर्ती के लिये इस विनियमावली के अधीन पात्र हो, इस उपबन्ध के अधीन सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियुक्तियां कर सकता है।

- 21— परीक्षा—(1) उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक स्थिति में उसके प्रति सीधी भर्ती किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं के सवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर स्थानापन्न और अस्थायी रूप से की गयी लगातार सेवा की पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परीक्षा अवधि में जोड़ने की अनुज्ञा दे सकता है :

परन्तु यह और की नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति विशेष के मामले में पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है। बढ़ाने के ऐसे आदेश में ठीक अवधि लिखी जायेगी, जब तक के लिए उक्त अवधि बढ़ाई गयी हों।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि में अथवा उसके अन्त में किसी समय यह पाया जाय कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्य किसी प्रकार से उस कार्य स्तर के सम्बन्ध में, जिसे उससे अपेक्षा की जाती है, संतुष्ट करने में असफल रहा है तो उसकी सेवायें यदि वह सीधी भर्ती से लिया गया हो, समाप्त की जा सकती है। जिसके लिए वह किसी नोटिस अथवा प्रतिकर का हकदार न होगा या यदि वह पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिससे वह पदोन्नत किया गया हो।

22— स्थायीकरण—

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उस पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि,

- (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,
- (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

23— ज्येष्ठता—

उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

24— स्थानान्तरण—

- (1) उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवाओं में कार्यरत चतुर्थश्रेणी के कर्मियों का स्थानान्तरण सामान्य परिस्थितियों में जनपद के अर्न्तगत तथा तृतीय श्रेणी एवं उच्च पदों पर कार्यरत कर्मियों का स्थानान्तरण प्रदेश में कहीं भी सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

परन्तु तृतीय श्रेणी एवं उच्च श्रेणी पर कार्यरत कर्मियों का स्थानान्तरण करने हेतु सक्षम अधिकारी का तात्पर्य मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, तथा चतुर्थ श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी का तात्पर्य महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गढ़वाल/कुमायूँ होगा।

भाग 8 — अन्य उपबन्ध

25— वेतन और भत्ते

- (1) सेवा के संवर्ग में किसी पद पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को अनुमन्य

वेतनमान एवं भत्ते
जल संस्थान द्वारा

वहीं होंगे जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से
समय-समय पर अवधारित किये जायेंगे।

(2) अवधारित वेतन और अन्य भत्ते उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा
सीधे कर्मियों को दिये जायेंगे।

26— परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन—

(1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से ही यथास्थिति
उत्तराखण्ड जल संस्थान की स्थायी सेवा में न हो, परिवीक्षा
अवधि में प्रथम वर्ष के लिए पद का न्यूनतम वेतन और
वेतन छुट्टियां, जैसे वे प्रोद्भूत हो, लेगा

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि संतोषजनक कार्य न करने के
कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो बढ़ाई गई अवधि की
गणना वेतनवृद्धि में तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि सक्षम
प्राधिकारी ऐसा निर्देश न दे, किन्तु स्थायी हो जाने पर उसे वही
वेतन मिलेगा, जो

उनकी सेवा की अवधि के अनुसार अनुमन्य होता।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति का जो उत्तराखण्ड
जल संस्थान सेवा में भर्ती किए जाने के पूर्व यथास्थिति उत्तराखण्ड जल संस्थान
की किसी सेवा में पहले से ही किसी मौलिक पद पर न हो, वेतन यथास्थिति
उत्तराखण्ड जल संस्थान
के कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने से सम्बद्ध संगत नियमों के अनुसार निश्चित
किया जायेगा।

27— पक्ष समर्थन

भर्ती के लिए इस विनियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न
सिफारिशों पर

चाहे वे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी का
प्रत्यक्ष

या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्थता के लिए अन्य उपायों द्वारा समर्थन प्राप्त
करने

का प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

28— अवकाश भत्ता, स्थानापन्न वेतन फीस और मानदेय—

(1) इस विनियमावली में अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था को छोड़कर
अवकाश तथा अवकाश वेतन से सम्बद्ध सभी मामले, समान परिस्थिति
के सरकारी सेवकों पर प्रयोज्य अवकाश सम्बन्धी नियमों में निर्धारित
रीति से विनियमित होंगे और समय-समय पर जारी किए गये संशोधन
की सभी व्याख्याओं और स्पष्टीकरणों सहित आवश्यक परिवर्तनों
के साथ लागू होंगे।

(2) वेतन जिसके अन्तर्गत स्थानापन्न वेतन और अतिरिक्त वेतन भी है,
विशेष वेतन, मानदेय प्रतिकर भत्ता, निर्वाह भत्ता तथा फीस की स्वीकृति
उन्ही शर्तों पर विनियमित होंगी जो समान प्रास्थिति के सरकारी
सेवकों पर फाइनेन्शियल हैण्ड बुक भाग दो खण्ड दो से चार में
दिए गये फडामेंटल एण्ड सब्सिडियरी रूल्स के अधीन प्रयोज्य हों।

(3) इस विनियमावली में स्पष्ट रूप से उपबंधित व्यवस्था को छोड़कर
 फाइनेन्शियल हैण्ड भाग 2 खण्ड 2 से 4 तक में दिये हुए फंडामेंटल एण्ड
 सबसीडियरी रूल्स तथा फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड 3 में दिए हुये
 ट्रेवलिंग एलाउन्स रूल्स आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।
 टिप्पणी— तत्समान कर्मियों को इस विनियमावली के प्रयोजनों के लिए उक्त
 फाइनेन्शियल हैण्ड बुकों के अन्तर्गत विभिन्न अधिकारों का प्रयोग करने के
 लिए समक्ष हो, वे होंगे जिन्हें उत्तराखण्ड सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा
 अवधारित करे।

29— भविष्य निधि—

जब तक कि उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं के लिए एक सामान्य
 भविष्य निधि की नहीं कर दी जाती है, तब तक इस
 विनियमावली द्वारा शासित कर्मी, यथा—स्थिति उत्तराखण्ड
 जल संस्थान के अन्तर्गत गढ़वाल एवं कुमायूँ परिक्षेत्र, जिसमें वह तत्समय
 तैनात हैं भविष्य निधि संबंधी विनियमों अथवा नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे।

30— अनुशासनिक कार्यवाहियां—

(1) ऐसे उपान्तरों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार समय-समय पर
 करें अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में दण्ड के विरुद्ध अपील
 और अभ्यावेदन सम्बन्धी नियम जो सरकारी सेवकों पर लागू है,
 सेवा के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर लागू होंगे।

(2) उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मियों पर कोई वृहद् या लघु दण्ड
 आरोपित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम
 अधिकारी होगा, परन्तु कोई छोटा दण्ड देने की शक्ति उत्तराखण्ड
 जल संस्थान के महाप्रबन्धक, गढ़वाल/कुमायूँ परिक्षेत्र में
 निहित होगी।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं के ऐसे कर्मियों पर जिनके
 सम्बन्ध में नियुक्त करने की शक्ति नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित की गयी है,
 वृहद् या लघु दण्ड देने की शक्ति भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी में
 निहित होगी।

परन्तु यह भी है कि किसी ऐसे कर्मी के सम्बन्ध में पदच्युत करने या सेवा से
 हटाने या पदावनत करने का कोई आदेश देने के पूर्व सक्षम स्तर से पूर्वानुमोदन
 आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को दण्ड देने का अधिकार महाप्रबन्धक
 गढ़वाल/कुमायूँ उत्तराखण्ड जल संस्थान, में निहित होगी।

(3) उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के किसी कर्मी को निलम्बित करने की
 शक्ति का प्रयोग केवल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जिनमें उपर्युक्त उपविनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार
 यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मी के प्रति
 अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी हो और जांच के पूरा होने के
 पश्चात वह इस अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचे कि पदच्युत करने या
 सेवा से हटाने या पदावनत करने का दण्ड आवश्यक है, वह उस
 मामलों में अपने निष्कर्षों पर अन्तिम आदेश जारी करेगा, परन्तु ऐसा
 आदेश जारी करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का
 समुचित अवसर दिया जायेगा।

31— सेवा निवृत्ति की आयु—

(1) उपविनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं के समस्त कर्मियों की सेवा से निवृत्त होने की आयु साठ वर्ष होगी, जिसके पश्चात् किसी को भी उत्तराखण्ड जल संस्थान की सेवा में नहीं रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के किसी कर्मी को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताये उसके पैंतालिस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा निवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है, या ऐसा उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा का कर्मी पैंतालिस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या बीस वर्ष की अर्ह सेवा पूरी कर लेने पर किसी भी समय मुख्य महाप्रबन्धक को नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो सकता है।

(3) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी परन्तु

(क) किसी ऐसे उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मी को पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी भी समय मुख्य महाप्रबन्धक के आदेश से ऐसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर तत्काल सेवा निवृत्त किया सकता है, और ऐसी सेवा निवृत्ति पर उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्मी, नोटिस की अवधि के लिए यथा स्थिति ऐसी नोटिस तीन मास से जितनी कम हो, उतनी अवधि के लिए उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते की, यदि कोई हो, राशि के बराबर धनराशि का दावा करने का हकदार होगा, जिस दर पर वह उनको अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पहले पा रहा था।

(ख) यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह किसी उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मी को नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर सेवा निवृत्त होने की अनुज्ञा दे सकता है।

परन्तु यह और कि ऐसे उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मी द्वारा जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित या अनुध्यात हो, दी गयी नोटिस तभी प्रभावी होगी यदि यह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, किन्तु किसी अनुध्यात अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति में उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मी को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दे दी जायेगी।

परन्तु यह और भी कि स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने के लिये उपविनियम (2) के अधीन उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मी द्वारा एक बार दी गयी नोटिस उसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय वापस नहीं ली जा सकेगी।

(4) प्रत्येक उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मी को जो इस विनियम के अधीन सेवा निवृत्त होता है या जिसके सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवा निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, उस पर लागू सुसंगत विनियमों के उपबन्धों के अनुसार उनके अधीन रहते हुए सेवा निवृत्त पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं यदि कोई हो, उपलब्ध होगी।

स्पष्टीकरण:

(1) उपविनियम (2) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मों से सेवा निवृत्त होने की, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट है, अपेक्षा करने का निर्णय मुख्य महाप्रबन्धक के द्वारा यह बात लोक हित में प्रतीत होने पर लिया जायेगा किन्तु यहाँ पर दी गयी किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि आदेश में यह उल्लेख करने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसा निर्णय लोकहित में लिया गया है।

(2) जब तक कि इसको प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, प्रत्येक ऐसे निर्णय के विषय में यह उपधारण की जायेगी कि वह लोक हित में लिया गया है।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश, जिसमें उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा के कर्मों से इस विनियम के उपविनियम (3) के प्रतिबन्धात्मक खंड (क) के अधीन तत्काल सेवा निवृत्त की अपेक्षा की गयी हो, जारी किये जाने के दिनांक के अपराह्न से प्रभावी होगा किन्तु यदि उसके जारी किये के पश्चात् सम्बद्ध उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवा का कर्मों सदाशयता से और उस आदेश की अनभिज्ञता से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके कार्यों को इस तथ्य के होते हुए भी कि वह पहले ही सेवा निवृत्त हो गया विधिमान्य समझा जायेगा।

(4) उत्तराखण्ड जल संस्थान के समस्त कर्मियों को सेवा निवृत्त लाभ केन्द्रीययित सेवा के अधिकारों/कर्मचारियों पर लागू पेंशन नियमावली उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पालिका) (केन्द्रीयत) सेवा, सेवा निवृत्त लाभ नियमावली, 1981) नियमावली अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002 के अनुसार लागू होंगे।

(5) उत्तराखण्ड जल संस्थान सृजन के पश्चात् नियुक्ति कर्मियों पर शासन द्वारा की जाने वाली व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति लाभ लागू होंगे।

32-निर्वचन और अन्य विषयों का विनियमन-

इस विनियमावली में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि विनियमावली के किन्हीं उपबन्धों को लागू करने से किसी विशेष मामले में कोई अनुचित कठिनाई होती है, तो वह आदेश द्वारा उक्त उपबन्ध की अपेक्षाओं को उसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जहां उस मामले में न्यायपूर्ण तथा साम्यिक (equitable) रूप से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकता है।

33- शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन-

नियुक्ति प्राधिकारी इस विनियम के अधीन अपनी शक्तियों तथा कृत्यों को उत्तराखण्ड जल संस्थान के किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे यह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है।

34- निर्वचन-

यदि इस विनियमावली के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद उठे या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे सरकार को अभिर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिक तथा निश्चायक होगा।

35- अन्य विषयों का विनियमन-

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली के अन्तर्गत न आते हों, उत्तराखण्ड जल संस्थान सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति, जो उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डलों में कार्यरत है, राज्य के कार्यपालिकों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

36— व्यावृत्ति —

इस विनियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका विनियम -3- और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समस-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

अनुलग्नक “क”
(देखें भाग दो)

अधिष्ठान के विभिन्न सवर्गों में “उत्तरांचल जल संस्थान” सेवा संवर्ग के स्वीकृत पद,
वेतनमान एवं पदों पर सीधी भर्ती शैक्षिक अर्हताएं

क्र० सं०	पद नाम	स्वीकृत पद	वेतनमान (रु०)	शैक्षिक अर्हताएं	भर्ती प्रक्रिया
1	वरिष्ठ लेखाधिकारी / वरिष्ठ सम्परीक्षाधिकारी	03	10000—15200	—	लेखाधिकारी / सम्परीक्षाधिकारी के पद पर न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
2	लेखाधिकारी / सम्परीक्षा अधिकारी	07	8000—13500	—	सहायक लेखाधिकारी / सहायक सम्परीक्षाधिकारी के पद पर न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
3	कर निर्धारण अधिकारी	01	8000—13500	—	यह पर सृजित नहीं है। कर अधीक्षक से प्रान्ति, हेतु यह व्यवस्था भविष्य के लिये की जा रही है।
4	कर अधीक्षक	01	5500—9000	—	कर अधीक्षक पद वर्तमान में सृजित नहीं हैं सहायक कर अधीक्षक से प्रोन्नति हेतु यह व्यवस्था भविष्य के लिए की जा रही है।
5	सहायक लेखाधिकारी / सहायक सम्परीक्षाधिकारी	05	6500—10500	—	लेखाकार / वरिष्ठ सम्परीक्षक के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
6	लेखाकार / वरिष्ठ सम्परीक्षक	33	5000—8000	बी०कॉम० अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट की इन्टर परीक्षा उत्तीर्ण	लेखा एवं राजस्व सहायक / कनिष्ठ सम्परीक्षक / ऑडिटर / वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक के पद (सहायक लेखाकार के पदों को कनिष्ठ सम्परीक्षक के पद नाम में आमेलित) न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार

					पर रिक्तियों की अपेक्षित संख्या का 75 प्रतिशत प्रोन्नति एवं 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से।
--	--	--	--	--	---

8	लेखा एवं राजस्व सहायक (लेखा)	42	4000—6000	—	लेखा एवं राजस्व उप सहायक (लेखा) के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
9	लेखा एवं राजस्व सहायक— (सामान्य)	36	4000—6000		लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य) के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
10	लेखा एवं राजस्व उप सहायक (लेखा)	62	3050—4590	इन्टर कॉमर्स / कम्प्यूटर ज्ञान	सीधी भर्ती।
11	लेखा एवं राजस्व उप सहायक(सामान्य) / जलकल सुपरवाइजर / टैक्स कलेक्टर	263	3050—4590	इन्टर / कम्प्यूटर का ज्ञान	समूह “घ” में मौलिक रूप से नियुक्ति ऐसे कार्मिकों से जो उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हों और 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति तथा 75 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा।
12	प्रशासनिक अधिकारी	01	8000—13500	स्नातक	कार्यालय अधीक्षक को जिन्होंने न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
13	विधि अधिकारी	01	8000—13500	विधि स्नातक	सीधी भर्ती / रिडिप्लोमैन्ट के आधार पर।
14	वैयक्तिक सहायक	—	6500—10500	—	स्वीकृत आशुलिपिक—प्रथम के पदों के सापेक्ष 15 प्रतिशत।
15	कार्यालय अधीक्षक	04	5000—8000	—	मुख्य लिपिक के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर कार्य का अनुभव रखने वाले पदधारकों से प्रोन्नति से।
16	आशुलिपिक—प्रथम	14	4500—7250	—	आशुलिपिक द्वितीय के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
17	मुख्य लिपिक	33	4500—7000	इन्टर	लेखा एवं राजस्व सहायक (सामान्य) के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, की अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर

उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली,
2004

<p>अभिलेख का नाम : उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्मचारी का प्रकार सेवा विनियमावली , 2004 को चुने निर्देशिका ,</p>	<p>अभिलेख विनियम निम्न में से किसी एक प्रकार (नियम ,विनियम ,अनुदेश, अभिलेख , अन्य)</p>
<p>अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :- उत्तराखण्ड जल संस्थान के कर्मचारियों के सेवा विनियम</p>	
<p>नियम ,विनियम, अनुदेश ,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहां उपलब्ध है ?</p>	<p>पता : कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन ,बी-ब्लॉक , नेहरू कालोन देहरादून</p> <p>दूरभाष :- 2676260,</p> <p>फैक्स :- 2676177</p> <p>ई0 मेल0 अन्य ..</p>
<p>नियम ,विनियम ,अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की वास्तविक मूल्य प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)</p>	<p>वांछित अभिलेख की फोटो कापी का</p>

नोट— 1— उपरोक्त वर्णित पदों के कार्मिको वही वेतमान देय होग जो बजाज समिति द्वारा संस्तुत है। यदि किसी पदधारक को पूर्व से अधिक वेत दिया जा रहा है तो

वह पदधारक वैयक्तिक रूप से पूर्व में उक्त स्वीकृत वेतनमान प्राप्त करता रहेगा और तदोपरान्त यह पद स्वतः ही समिति द्वारा संस्तुत में परिवर्तित हो जायेगा।

2— मविष्य में आई0टी0आई0 धारकों को रू0 3050—4590 का वेतनमान अनुमन्य होगा।

परिशिष्ट "1"
देखें नियम 6 (एक)

<u>क्रमांक</u>	<u>संवर्ग का नाम</u>	<u>पदों के नाम</u>
1.	लेखा संवर्ग	(1) वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ (2) लेखाधिकारी/सम्परीक्षाधिकारी (3) सहायक लेखाधिकारी/सहायक
सम्परीक्षाधिकारी		
सम्परीक्षाधिकारी		(4) लेखा एवं राजस्व सहायक (लेखा)
2.	सामान्य संवर्ग	(1) प्रशासनिक अधिकारी (2) वैयक्तिक सहायक (3) आशुलिपिक-प्रथम (4) कार्यालय अधीक्षक (5) मुख्य लिपिक (6) लेखा एवं राजस्व सहायक (सामान्य)
3.	अन्य संवर्ग	(1) कर निर्धारण अधिकारी (2) मुख्य कैमिष्ट (3) कर अधीक्षक (4) संगणक (5) सहायक कर अधीक्षक/राजस्व
अधीक्षक		(6) कर एवं राजस्व निरीक्षक (7) पम्प हाऊस अधीक्षक (8) शिफ्ट इंचार्ज (9) हैड इलैक्ट्रीशियन (10) पम्प ड्राईवर/इंजन ड्राईवर/पम्प
चालक		(11) मीटर निरीक्षक (12) सहायक मीटर निरीक्षक (13) हैड ब्राइमा ऑपरेटर (14) डेड फिटर (15) फिटर(वर्कशाप)/सीनियर फिटर /लाईनमैन/पाइप लाइन फिटर (16) जूनियर फिटर/वैल्डर (17) फोरमैन (मीटर वर्कशॉप/फिल्टर
हाऊस)		(18) राज मिस्त्री (19) फिल्टर ऑपरेटर (20) फिल्टर अटेन्डेन्ट

- (21) सीवर सुपरवाइजर
- (22) सीवर मिस्त्री
- (23) मशीनिष्ट
- (24) लोहार
- (25) वर्क सुपरवाइजर
- (26) दफ्तरी
- (27) पम्प मैकेनिक
- (28) हैडवर्क्स अटेन्डेन्ट
- (29) फिटर-कम-चौकीदार

परिशिष्ट "2"
देखें नियम 6 (दो)

<u>क्रमांक</u>	<u>संवर्ग का नाम</u>	<u>पदों के नाम</u>
1. लेखाकार	लेखा संवर्ग	(1) कनिष्ठ सम्परीक्षक / ऑडिटर / सहायक (2) लेखा एवं राजस्स उप सहायक (लेखा)
2.	सामान्य संवर्ग	(1) विधि अधिकारी (2) आशुलिपिक—द्वितीय
3.	अन्य संवर्ग	(1) कैमिष्ट (2) मानचित्रक (3) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (4) नुचर / बेलदार / चौकीदार / माली / बिल / प्यून / खलासी (5) सीवर बेलदार (6) चालक (7) इलैक्ट्रीशियन (8) हैल्पर (9) जल वितरक (10) पीपीए (11) पत्रवाहक (12) अर्दली (13) फ़ैरोब्बाय (14) लैब प्यून (15) क्लीनर / पम्प क्लीनर

परिशिष्ट "3"
देखें नियम 6 (तीन)

<u>क्रमांक</u>	<u>संवर्ग का नाम</u>	<u>पदों के नाम</u>
1.	लेखा संवर्ग	(1) लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक
2. (सामान्य)	सामान्य संवर्ग	(1) लेखा एवं राजस्व उप सहायक
3.	अन्य संवर्ग	(1) पम्प अटन्डेन्ट

—0—

एच०पी०उनियाल
मुख्य महाप्रबन्धक

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक / 2 अक्टूबर, 2006

विषय:- उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 में द्वितीय आंशिक संशोधन हेतु कार्यकारी आदेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1257 / आ0सी0भर्ती / 2005-06 दिनांक 15.06.2006 में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 में कैमिस्ट, आशुलिपिक (द्वितीय), लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य), विद्युताकार, चालक एवं बेलदार के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण सीधी भर्ती से चयन प्रक्रिया में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के क्रम में उत्तरांचल जल संस्थान बोर्ड से पारित प्रस्ताव भी उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 में निम्नलिखित पदों के सम्बन्ध में वर्तमान में निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता के स्थान पर उसके सम्मुख कॉलम-2 के अनुसार शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

वर्तमान सेवा विनियमावली में निहित व्यवस्था		एतद् द्वारा प्रतिस्थापित शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता	
01		02	
(1) आशुलिपिक समूह-ग	अधिकतम महत्व	(2) आशुलिपिक समूह-ग	अधिकतम महत्व
(क) लिखित परीक्षा	25%	(क) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत	20%
(ख) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत	20%	(ख) छटनीशुदा कर्मचारी	15%
(ग) छटनीशुदा कर्मचारी	15%	(ग) खिलाडी	05%
(घ) खिलाडी	05%	(घ) कम्प्यूटर/आशुलिपिक ज्ञान परीक्षा/लिखित परीक्षा	50%
(ङ) कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा	25%	(ङ) साक्षात्कार परीक्षा	10%
(च) साक्षात्कार	10%		
किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हों, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपविनियम चार के खण्ड (ड) के अधीन यथा स्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान में सफल हो गया हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।		किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हों, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपविनियम चार के खण्ड (ड) के अधीन यथा स्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान में सफल हो गया हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।	

		सफल होने के लिए सामान्य संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक और आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।	
(2) लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य) समूह-ग	अधिकतम महत्व	(2) लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य) समूह-ग	अधिकतम महत्व
(क) लिखित परीक्षा	25%	(क) ड्राइविंग ज्ञान न्यूनतम	25%
(ख) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत	20%	(ख) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत	20%
(ग) छटनीशुदा कर्मचारी	15%	(ग) छटनीशुदा कर्मचारी	15%
(घ) खिलाडी	05%	(घ) खिलाडी	5%
(ङ) कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा	25%	(ङ) कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा	25%
(च) साक्षात्कार	10%	(च) साक्षात्कार	10%
<p>किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हों, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपविनियम चार के खण्ड (ड) के अधीन यथा स्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान में सफल हो गया हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।</p>		<p>किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हों, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपविनियम चार के खण्ड (ड) के अधीन यथा स्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या आशुलिपिक और टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर ज्ञान में सफल हो गया हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।</p> <p>सफल होने के लिए सामान्य संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक और आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।</p>	
(3) चालक समूह-ग	अधिकतम महत्व	(3) चालक समूह-ग	अधिकतम महत्व
(क) लिखित परीक्षा	50%	(क) ड्राइविंग ज्ञान न्यूनतम	50%
(ख) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत	20%	(ख) पद के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत	20%
(ग) छटनीशुदा कर्मचारी	15%	(ग) छटनीशुदा कर्मचारी	15%
(घ) खिलाडी	05%	(घ) खिलाडी	5%
(ङ) साक्षात्कार	10%	(ङ) साक्षात्कार	10%
<p>2- पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांको के प्रतिशत का 20प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।</p>		<p>1-25 प्रतिशत अंको के लिए सामान्य संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक को दिया जायेगा।</p>	
(4) बेलदार समूह-ध	अधिकतम महत्व	(4) बेलदार समूह-ध	अधिकतम महत्व
साक्षात्कार	85%	छटनीशुदा कर्मचारी	15%
छटनीशुदा कर्मचारी	15%	कुशलता परीक्षा	70%
		साक्षात्कार	15%
		<p>कुशलता परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसे सफल अभ्यर्थियों को रिक्त पदों की संख्या के चार गुने के बराबर मैरिट सूची के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।</p>	

- 3-उत्तरांचल जल संस्थान प्रकाशित विज्ञापित के क्रम में इस परिवर्तन को जिन समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित कराया गया है। उन समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित करेगा ।
- 4-कृपया उत्तरांचल जल संस्थान सेवा विनियामली 2004 को इस कार्यकारी आदेश की सीमा तक संशोधित समझे जाये तथा सेवा विनियमावली में उक्त संशोधन यथा समय पृथक से किये जायें ।

भवदीय,
ह0—
(कुँवर सिंह)
आपर सचिव

प्रेषक,

कूवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन -1

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग - 1

विषय: उत्तराखण्ड जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली - 2004 में आंशिक रांशोधन हेतु कार्यकारी आदेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4189/आ0सी0भ0/2005-06 दिनांक 07-12-2005 एवं पत्रांक 4373/आ0नि0भ0/2005-06 दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 में कैमिस्ट, आशुलिपिक (द्वितीय), लेखा एवं राजस्व उप सहायक (सामान्य), विद्युतकार, चालक एवं बेलदार के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण सीधी भर्ती से चयन प्रक्रिया में कठिनाई आ सकती है। इसके अतिरिक्त चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर प्रश्न चिन्ह भी उठ सकते हैं तथा न्यायालय में भी बाद उठाये जा सकते हैं।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 में उपरोक्त पदों के सम्बन्ध में वर्तमान में निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता के स्थान पर निम्नवत् शैक्षित योग्यता एवं कुशलता प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान में सेवा विनियमावली में निहित शैक्षिक योग्यता	एतद द्वारा प्रतिस्थापित शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता
1	2	3	4
1	कैमिस्ट	रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि।
2	आशुलिपिक (द्वितीय)	इंटर/आशुलिपिक व्यवसाय में 01 वर्ष का प्रशिक्षण	(एक) उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (दो) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः न्युनतम अस्सी शब्द प्रति मिनट और पच्चीस शब्दप्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। (तीन) कम्प्यूटर संचालन का सामान्य ज्ञान आवश्यक है और एम0एस0ऑफिस प्रयोग करके विन्डो-2000 एनवॉयरमेंट में टंकण के लिये हिन्दी कॉन्ट और टेपिंगआछट का प्रिन्टिंग आउटपुट में कार्य करने की योग्यता आवश्यक है।

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान में सेवा विनियमावली में निहित शैक्षिक योग्यता	एतद द्वारा प्रतिस्थापित शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता
1	2	3	4
3	लेख एवं राजस्व उप सहायक	इंटर/कम्प्यूटर का ज्ञान	(एक) उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

	(सामान्य)		(दो) डी0 ओ0ई0ए0सी0सी0 द्वारा प्रदत्त 'ओ' प्रमाणपत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक होगा।
4	विद्युतकार	इलैक्ट्रीशियन ट्रेड में आई0टी0आई0	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलैक्ट्रीशियन ट्रेड में आई0टी0आई0 उत्तीर्ण तथा एन0सी0बी0टी0 का प्रमाण पत्र।
5	चालक	हाईस्कूल/वाहन चलाने का लाईसैंस	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। पर्वतीय क्षेत्र में हैवी वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव।
6	बेलदार	कक्षा 5 उत्तीर्ण	कक्षा 5 उत्तीर्ण, पाईप लाईन सम्बन्धी कार्यों का अपेक्षित ज्ञान एवं रामुचित अनुभव।

3— प्रश्नगत सेवा विनियमावली में समूह 'घ' के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है। अतः इस हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

“उत्तरांचल जल संस्थान में समूह 'घ' के अन्तर्गत चयन की प्रक्रिया कार्मिक अनुभाग-2 उत्तरांचल शासन की अधिसूचना सं0 — 880 / XXX(2) / 2004-55(39) / 2004 दिनांक 14 जून 2004 द्वारा निर्गत समूह “घ” कर्मचारी सेवा विनियमावली, 2004 के भाग-पांच “भर्ती की प्रक्रिया” के नियम 15, नियम 16, नियम 17 एवं नियम 18 में निहित प्राविधानों के अनुसार ही सुनिश्चित की जायेगी।

4—कृपया उत्तरांचल जल संस्थान सेवा विनियमावली 2004 को इस कार्यकारी आदेश की सीमा तक संशोधित समझे जाय तथा सेवा विनियमावली में उक्त संशोधन यथासमय पृथक से किये जाय।

भवदीय
ह0—
(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

**उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयत)
सेवा, सेवा नियमावली, 1996) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002**

अभिलेख का नाम : उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभिन्त्रण (केन्द्रीयत), सेवा नियमावली 1996 अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002	अभिलेख का प्रकार <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;">विनियम</div> निम्न में से किसी एक प्रकार को चुने (नियम ,विनियम ,अनुदेश, निर्देशिका , अभिलेख , अन्य)
---	--

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :- उत्तराखण्ड जल संस्थान के जलकल अभिन्त्रण कार्मिकों के सेवा विनियम

नियम ,विनियम, अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां उपलब्ध है ?

पता: कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
जल भवन ,बी-ब्लॉक ,
नेहरू कालोन
देहरादून

दूरभाष :- 2676260,

फैक्स :- 2676177

ई0 मेल0
अन्य ..

नियम ,विनियम ,अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की
प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

वांछित अभिलेख की फोटो कापी का वास्तविक मूल्य



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 नवम्बर, 2002 ई0

कार्तिक 16, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

पेयजल अनुभाग

संख्या 2203/-जी-2(56 अधि0)/2002

देहरादून, 07 नवम्बर 2002 - - -

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनेयम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरस्तन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो :

चूंकि उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में, युश्रवत लागू है :

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधधीन लागू रहेगी :-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ - (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलाएगी।

(2) यह आदेश राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से लागू होगा।

2. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना - उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996 में जहाँ-जहाँ शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहाँ-वहाँ वह शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जाएगा।

3. "उत्तर प्रदेश पालिका" और "जल संस्थान" के स्थान पर "उत्तरांचल जल संस्थान" पढ़ा जाना -
मूल नियमावली में जहाँ शब्द "उत्तर प्रदेश पालिका" और "जल संस्थान" आया है वहाँ वह शब्द "उत्तरांचल जल संस्थान" के रूप में पढ़ा जाएगा।

4. मूल नियमावली नियम 3 का प्रतिस्थापन :-

मूल नियमावली के नियम 3 (1) में इंगित शब्द (एक) "नगर निगमों के नगर अभियंता (जल)" के स्थान पर "अधीक्षक अभियंता/महाप्रबंधक उत्तरांचल जल संस्थान" तथा 3(1) में इंगित शब्द (दो) में पदनाम "जल संस्थान के महाप्रबंधक" के स्थान पर "मुख्य महाप्रबंधक, उत्तरांचल जल संस्थान" पढ़ा जाएगा।

5. स्वीकृति भर्ती हेतु अधिकतम उम्र 35 वर्ष पढ़ा जाना - मूल नियमावली के नियम 10 में "32 वर्ष" के स्थान पर "35 वर्ष" पढ़ा जाएगा।

6. "सचिव, नगर विकास" के स्थान पर "सचिव, पेयजल" पढ़ा जाना - मूल नियमावली में जहाँ-जहाँ शब्द "सचिव नगर विकास" आया है वहाँ-वहाँ "सचिव, पेयजल" पढ़ा जाएगा।

7. "निदेशक स्थानीय निकाय" शब्द का प्रतिस्थापन :-

मूल नियमावली के नियम 21 में पदोन्नति प्रक्रिया के उपनियम (3) के प्रसार (क) (हीन) के स्थान पर इंगित "निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "सचिव पेयजल" द्वारा भागित अपर सचिव स्तर का अधिकारी, पढ़ा जाएगा, किन्तु इससे भिन्न मूल नियमावली के अन्य उपबन्ध में शब्द "निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "मुख्य महाप्रबंधक उत्तरांचल जल संस्थान" पढ़ा जाएगा।

8. मूल नियमावली के नियम 27 का संशोधन :-

(1) मूल नियमावली के नियम 27 में वाक्य "राज्य सरकार, केन्द्रीयित सेवाओं के किसी अधिकारी को एक पालिका या जल संस्थान से दूसरी पालिका या जल संस्थान में स्थानांतरित कर सकती है" के स्थान पर "राज्य सरकार उत्तरांचल जल संस्थान के केन्द्रीयित सेवाओं के किसी अधिकारी को पदानुरूप उत्तरांचल राज्य में किसी भी ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर सकती है" पढ़ा जाएगा।

9. मूल नियमावली के नियम-41, 42 को निरसन :-

मूल नियमावली के नियम 41 एवं 42 निरसित समझे जाएंगे।

10. नियम-43 एवं 44 जहाँ शब्द "पालिका और जल संस्थान पर्यतीय उपसंवर्ग" आया है वहाँ वह शब्द "उत्तरांचल जल संस्थान" पढ़ा जाएगा।

(पी० के० महान्वि)
सचिव।

In Pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttaranchal is pleased to order publication of the following English version of notification no. 2203/Nine-2(56 A.)/2002 dated November 07, 2002 for general information.

No. 2203/Nine-2(56 A.)/2002
Dated Dehradun, November 07, 2002

NOTIFICATION

Whereas under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Uttaranchal Government may by order make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or expedient;

AND, WHEREAS The Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Centralized) Service Rules, 1996 is in force in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000

Now, therefore in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act No. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Centralized) service rules, 1996 shall have applicability to the state of the Uttaranchal subject to the provisions of the following order :-

Uttaranchal (The Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Centralized) Service Rules, 1996), Adaptation and Modification Order, 2002

1. Short title and commencement (1) This order may be called Uttaranchal (The Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Centralized) Service Rules, 1996), Adaptation and Modification Order, 2002

(2) It shall come into force with effect from the date of publication in Official Gazette.

2. The words "Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"

The Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan Water Works Engineering (Centralized) service rules, 1996 wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal".

3. The words "Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan" shall be read as "Uttaranchal Jal Sansthan":

In the Principal Rules wherever the words and expression "Uttar Pradesh Palika and Jal Sansthan" occurs it shall be read as "Uttaranchal Jal Sansthan".

4. Substitution in Rule 3 of the Principal Rules -

4. Substitution in Rule 3 of the Principal Rules -
As mentioned in Rule 3 (1) of the Principal Rules - (one) Instead of word "Urban Nagar Abhiyanta (Jal)" of "Urban Corporation" shall be substituted "Superintendent Engineer/General Manager of Uttaranchal Jal Sansthan".

And as mentioned of the name of post in Rule 3 (1) (two) for the words "General Manager of Jal Sansthan" shall be substituted "Chief General Manager of Uttaranchal Jal Sansthan".

5. Upper age limit to be read "35 years" for direct Recruitment
of the Principal Rules for the words "32 years" shall

5. Upper age limit to be read "35 years" for direct Recruitment
In Rule 10 of the Principal Rules for the words "32 years" shall be substituted
"35 years".

6. In the Principal Rules wherever the words and expression "Secretary to the state Government in the Urban development Department" occurs, it shall be read as "Secretary Pey Jal Vibhag".

7. Substitution of the words "Director, Local Bodies Uttar Pradesh" for the words "Director, Local Bodies" in rule (3) para third (a) of the Principal Rules instead of "Director, Local Bodies, Government of Uttar Pradesh".

7. Substitution of the words "Director, Local Bodies Uttar Pradesh"
In Rule 21 of sub rule (3) para third (a) of the Principal Rules instead of the words "Director Local Bodies, Uttar Pradesh shall be substituted" "Officer not below the rank of Additional Secretary nominated by Secretary Pay Jal Vibhag" but in other provisions of this Principal rules shall be substituted "Chief General Manager of Uttaranchal Jal Sansthan".

8. Amendment of Rule 27 of the Principal Rules -

8. Amendment of Rule 27 of the Principal Rules -
In rule 27 of the principal Rules instead of the sentence "The State Government may transfer any of the Centralized Services from Nagar Palika or Jal Sansthan to other" shall be substituted, "The State Government may transfer any of the Centralized Services anywhere in the rural or Urban area within the State of Uttaranchal".

9. Repeal of Rule 41 and 42 of the Principal Rules.

10. In rule 43 and 44 wherever the words "Palika and Jal Sansthan Hill sub cadre" occurs it shall be read as "Uttaranchal Jal Sansthan".

(P. K. MAHANTY)

Summary



रजिस्टर्ड नं० ए० ३ -4
लाइसेंस सं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेंस टू पोस्ट विवाइट
प्रीपेमेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, बुधवार, 5 सितम्बर, 1981 ई० (भाद्र 14, 1903 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियाँ, आदेश, विनियमों इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा रामरव परिषद् ने जारी किया।

नगर विकास विभाग

अनुमान 4

अधिसूचना

27 जून, 1981 ई०

सं० 3704/11-4-1 सी० एस० (जनरल) 74-यू० पी०-

2-1959-एल-1980-उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 112-क और यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 (यू० पी० ऐक्ट संख्या 2 सन् 1916) की धारा 296 की उपधारा (2) के अन्तर्गत के नाम पंक्ति धारा 69-बी के अधीन अर्पित पत्र प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमानामकी बनाये हैं जिसे उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (2) और यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 300 की उपधारा (1) की अपेक्षाानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या 122/11-1-1-सी० एस० (जनरल)-74-यू० पी०-2-1959-एल-1978, दिनांक 21 फरवरी, 1979 के अधीन प्रकाशित किया जा चुका है:-

नियमावली

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा सेवा-निवृत्ति लाभ नियमावली 1981।

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा सेवा-निवृत्ति लाभ नियमावली, 1981 कहो जायेगी।

(2) यह सरकारी गैजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रयुक्त होगी।

2-परिभाषाएँ—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य सन्दर्भ के अनुसार उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 या यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 से है;

(2) औसत परिलक्षितियों का तात्पर्य उस दिनांक के जब सम्बद्ध अधिकारी को सेवा निवृत्त होना हो, की पूर्ववर्ती पिछले नारह महीने के दौरान सम्बद्ध अधिकारी की देय परिलक्षितियों के मासिक औसत से है परन्तु:-

(एक) यदि सेवा के अन्तिम 12 मास के दौरान कोई अधि अधिकारी बिना छुट्टी पर द्यूटी से अनुपस्थित रहा हो या ऐसी परिस्थितियों में निलम्बित किया गया हो कि निलम्बन की अवधि की गणना सेवा के रूप में न की जाय तो इस प्रकार व्यतीत की गयी अवधि की गणना नहीं की जायेगी और अन्तिम 12 मास के ठीक पूर्व की उत्तरीही अवधि को सम्मिलित किया जायेगा; और

(दो) यदि सेवा के अन्तिम 12 मास के दौरान कोई अधि-कारी सत्ते सहित छुट्टी पर द्यूटी से अनुपस्थित रहा हो या निलम्बित किये जाने पर, सेवा का समग्रहण किया बिना सेवा में बहाल किया गया हो तो औसत का अभिविरक्षण 8 में के प्रयोजनार्थ उसकी ऐसी परिलक्षितियों की गणना की जायेगी जो उस देश में होती यदि वह छुट्टी से अनुपस्थित न रहा होता या निलम्बित न किया गया होता।

स्पष्टीकरण—परन्तुक (एक) में पद "अधि" के अन्तर्गत वेतन और सत्ते ऐसे भूत हैं जो किन्हीं अधिकारियों की ओर से सत्ते हैं।

(3) "केन्द्रीय सेवा" का तात्पर्य म्युनिशियल बोर्डों और नगर महानगरपालिकाओं के लिये उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीय) सेवा नियमावली, 1966 के नियम 3 के अन्तर्गत स्वीकृत अभ्यर्णित सेवाओं से है ;

(4) "परिवर्तित" का तात्पर्य फाइनलिज्ड टेंडर बुक, खण्ड दो, भाग दो से नगर के फाइनलिज्ड कल 3 (21) में यथा परिभाषित वेतन से है ;

टिप्पणी:—यदि कोई अधिकारी अपनी सेवा-निवृत्ति या मृत्यु के ठीक पूर्व अथवा सहित छुट्टी पर छुट्टी से अनुपस्थित रहा हो तो सेवा उपदान और/या मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान को गणना करने के प्रयोजनार्थ उसकी ऐसी परिवर्तित की गणना की जायेगी जो उस दशा में हो तो यदि वह छुट्टी से अनुपस्थित न होता ;

परन्तु उपदान की धनराशि वेतन में वृद्धि के कारण जिसका आहरण वास्तव में न किया गया हो, वह गणना और यह कि उत्पन्न स्वामित्व या अस्थायी वेतन का लाभ तभी दिया जाय जब यह प्रमाणित हो कि वह उत्पन्न स्वामित्व या अस्थायी वेतन धारण किया होता यदि वह छुट्टी पर न गया होता ;

(5) "परिवार" का तात्पर्य किसी अधिकारी के निम्न लिखित सम्बन्धियों से है :—

(एक) किसी पुरुष अधिकारी की पत्नी से श्वशुर ;

(दो) किसी महिला अधिकारी की पति से, पति ;

(तीन) पुत्र, अविवाहिता और विधवा पुत्रियाँ (जिनके अन्तर्गत सातहें बालक और दत्तक बालक भी हैं) ;

(चार) 18 वर्ष से कम आयु के भ्रातृ और अविवाहित और विधवा बहनें (जिनके अन्तर्गत सातहें भ्रातृ और सातहें बहनें भी हैं) ;

(पांच) पिता ;

(छ) माता ;

(सात) विवाहित पुत्रियाँ (जिनके अन्तर्गत सातहें पुत्रियाँ भी हैं) ; और

(आठ) पुत्र मृत पुत्र के बालक ;

(9) "ग्राम" का तात्पर्य ग्राम निवसियों का संलग्न ग्राम से है ;

(7) "अधिकारी" का तात्पर्य पालिका (केन्द्रीय) सेवा के ऐसे अधिकारी या सेवक से हैं (चाहे बरिष्ठ या अवरग्रेड सेवा का हो), जिसका केन्द्रीय सेवा के अधीन किसी स्थायी पेशनयुक्त पर धारणाधिकार हो या जिसका ऐसे पर धारणाधिकार होता यदि इसका धारणाधिकार निर्दिष्ट न किया गया होता ;

(8) "पालिका" का तात्पर्य सन्दर्भ की अधिनियमों द्वारा नगर महानगरपालिका या नगरपालिका (म्युनिशियल बोर्ड) या बोर्नों से है ;

(9) "पेंशन-प्राप्त पर" का तात्पर्य ऐसे पर से है जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बातें पूरी होती हैं :—

(एक) वह उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीय) सेवा में पलो, 1966 के किसी पैरा में हो ;

(दो) नियोजन मौलिक और स्थायी हो ; और

(तीन) सेवा कार्य के लिये भुगतान किसी पालिका किया जाता हो ;

(10) "अर्हकारी सेवा" का तात्पर्य ऐसे सेवा से निम्नलिखित को छोड़कर, समय-समय पर यथा संभव निम्नलिखित सेमुलेटल के अनुच्छेद 368 के अ के अनुसार पेंशन के लिये अर्हता प्रदान कराये हो —

(एक) किसी नगरपालिका/नगर महानगरपालिका के पेंशन रहित अधिकार में अस्थायी स्वामित्व सेवा की अ

(दो) किसी कार्य-प्रभाषित अधिकार में सेवा की अ और

(तीन) किसी ऐसे पर पर जिसके लिये आर्कस्मिकता से भुगतान किया जाता है, सेवा की अवधि ;

परन्तु किसी नगरपालिका/नगर महानगरपालिका के निरन्तर अस्थायी या स्थायी सेवा की अवधि की गणना 8 सेवा के रूप में की जायेगी यदि उसी या किसी अन्य पर के किसी अधिष्ठान के बिना बाद में उसे स्थायी कर दिया

टिप्पणी:—यदि किसी पेंशन रहित अधिकार, कार्य-प्र अधिकार में या आर्कस्मिकता निमित्त से भुगतान किया जा किसी पर पर की गयी सेवा किसी पेंशनयुक्त अधिकार में सेवा की दो अवधि के बीच या किसी पेंशनयुक्त अधिकार में सेवा और स्थायी सेवा की अवधि के बीच बढ़ती हो तो का अधिष्ठान नहीं होगा ;

(11) "सेवानिवृत्ति" का तात्पर्य किसी अधिकारी के सेवा से अधिवृत्ति पर, अनिवार्यता या स्वेच्छा से से होने पर या स्थायी पर या स्थायी निवृत्ति की दशा यदि अधिकारी की निवृत्ति किसी अन्य पर पर न की उसे उसके पूर्ववर्ती मौलिक पर पर, यदि कोई हो, पर करवा समय न हो, सेवानुसृत होने से है ;

टिप्पणी:—सेवा से स्वेच्छया सेवानिवृत्ति का तात्पर्य समय पर यथा संज्ञेयित उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीय) नियमावली, 1966 के नियम 38 में निर्दिष्ट आयु प्राप्त पश्चात् सेवानिवृत्ति से है ;

(12) "सेवा-निवृत्ति पेंशन" का तात्पर्य ऐसे पर ऐसे अधिकारी को स्वीकृत की जाय, जिसे अधिवृत्ति ग्राम कार्य के पूर्व सेवा-निवृत्ति होने की अनुज्ञा दो उसके अन्तर्गत ऐसे पेंशन भी हो ऐसे अधिकारी की जाय जिसने अधिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के पूर्व सेवा की अवधि की जाय ;

(13) "अधिवृत्ति की पेंशन" का तात्पर्य अधिकारी को स्वीकृत पेंशन से है जो उत्तर प्रदेश पालिका सेवा नियमावली, 1966 के नियम 38 के अन्तर्गत निर्धारित आयु प्राप्त होने पर या उत्पन्न नियमावली के नियम स्वीकृत सेवा में निवृत्ति की अवधि समाप्त होने पर हो का हकदार हो ;

3-नियमों का लागू होना—(1) यह नियमावली ऐसे मामलों में अधिकारियों पर अनिवार्यता लागू होगी जो दिनांक 9 जुलाई, 1986 को या उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीय) सेवा नियमावली, 1966 के नियम 21 के खण्ड (1) के अन्तर्गत नियुक्त किये गये हों और केन्द्रीय सेवा में किसी पद पर स्थायी हो जायेंगे।

(2) ऐसे अधिकारियों को जिन्हें उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीय) सेवा नियमावली, 1966 के नियम 6 के खण्ड (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सेवा में किसी पद पर अन्ततः स्थितीय कर दिया गया हो, यह चुनने का विकल्प होगा कि वे पालिका की वर्तमान पेंशन/भविष्य निधि नियमावली द्वारा नियमित हों या पहले जमा अर्ध तक होता रहा या इस नियमावली द्वारा नियमित हों। चयन पुनः विचार का प्रयोग इस नियमावली के प्रवर्तन से नवंबर दिनांक के आधार किया जायेगा और एक बार किया गया विकल्प अंतिम होगा।

(3) यदि इन नियमों की का विफल करने वाले किसी अधिकारी में भ्रष्टाचार निषेध विधेय में जमा पालिका के अंशदान और बीमा की धनराशि का अन्ततः आहूत कर लिया हो तो उसे यह धनराशि इन विवरणों के भाग 3 के अन्तर्गत स्थापित पेंशन विधि में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समक-समक पर जमा किया जायेगा और पर ब्याज सहित जमा करवाया जायेगा।

(4) यदि किसी अधिकारी ने इन नियमों की का विफल करने वाले अधिकारी की भविष्य निधि में बीमा और अर्ध अंशदान जमा न किया हो तो पालिका को उचिततः पेंशन निधि में ऐसे धनराशि जमा कर पर जमा कराने (3) में उल्लिखित है, स्पष्ट सहित जमा करवाया जायेगा।

(5) इन नियमों की का विफल करने वाले अधिकारी को महापौराध्यक्ष/अधीनस्थ सेवकों द्वारा धनराशि और अर्ध अंशदान को जो ऐसे अधिकारी के उचित विफल के दिनांक तक उचित निधि में जमा की जाती है, महापौराध्यक्ष द्वारा इन नियमों की का भाग 3 के अन्तर्गत स्थापित पेंशन निधि में जमा की जायेगी।

(6) महापौराध्यक्ष के अधिकार दिवस लेख में जमा किया गया पालिका के अंशदान और बीमा की धनराशि का वापस द्वारा भविष्य निधि लेख से आहूत किया जायेगा और उस उचिततः पेंशन निधि में पालिका द्वारा जमा किया जायेगा।

(7) यह नियमावली ऐसे किसी अधिकारी पर लागू नहीं होगी जो दिनांक 9 जुलाई, 1986 के बाद इसका विफल नहीं करता या जो ऐसे नियमों के समय के बाद जो स्थापित विधायक नियमों द्वारा दिया जाये, उचिततः (3) में उल्लिखित जमा की पूरा नहीं करता।

(8) इन नियमों की द्वारा नियमित अधिकारी, उन पर इन नियमों को लागू होने के दिनांक से, पालिका द्वारा उनकी भविष्य निधि में देश बीमा और अंशदान के लाभ से वंचित हो जायेंगे।

भाग—एक

पेंशन और उपदान

1—पेंशन और उपदान की गणना—(1) अधिकारी, सेवा-निवृत्ति, अर्ध और प्रतिफल पेंशन या उपदान की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर लागू प्रक्रिया और नियम के अनुसार संगठित सम्बन्धित धनराशि होगी।

(2) कोई विशिष्ट अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(3) यह "अर्ध और प्रतिफल पेंशन" का बही अर्थ होगा जो लिखित सबिन्स रेगुलेशन में इसके लिए दिया गया है।

भाग—दो

मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान

2—मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान—(1) किसी अधिकारी का सेवा निवृत्त होने पर उपदान दिया जायेगा, जिसकी धनराशि परिस्थितियों की अर्हकारी सेवा की पूर्ण समाप्ति अवधि की कुल संख्या से गुणा करने पर जो धनराशि हो, उसके एक-चौथाई के बराबर धनराशि होगी, किन्तु परिस्थितियों की अधिकतम 16.5 गुना से अधिक न होगी।

(2) यदि ऐसे अधिकारी की जो इन नियमों की का भाग एक के अन्तर्गत पेंशन या उपदान पाने का हकदार हो गया हो, मृत्यु से पहले मृत्यु हो जाये, तो उपदान या भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को मिलेगा या मिलेगी किन्तु 5 के उचिततः (1) से (8) के अन्तर्गत उपदान पाने का अधिकार प्रदान किया गया हो, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो उक्त भुगतान नियम 6 के उचिततः (9) में निर्दिष्ट रीति से किया जायेगा। किसी धनराशि अधिकारी की परिस्थितियों की अर्हकारी सेवा की समाप्ति अवधि की कुल संख्या से गुणा करने पर जो धनराशि हो, उसके एक-चौथाई के बराबर धनराशि होगी, किन्तु न्यूनतम 12 गुना और अधिकतम 16.5 गुना होगी।

(3) यदि किसी ऐसे अधिकारी की, जो इन नियमों की का भाग एक के अन्तर्गत पेंशन या उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र हो गया हो या जिसने वस्तुतः उसे प्राप्त कर लिया हो सेवा-निवृत्ति के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर मृत्यु हो जाये और मृत्यु के समय तक उसे ऐसे उपदान या पेंशन के मर अवश्य या वस्तुतः प्राप्त धनराशि और उचिततः उपनिवेश (1) के अन्तर्गत स्वीकृत उपदान और उसके द्वारा संश्लेषण कराई गई पेंशन के किसी भाग का संगठित मृत्यु कुल मिलाकर उसकी परिस्थितियों की वस्तुतः गुना धनराशि से कम हो तो उचिततः (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कम धनराशि के बराबर उपदान स्वीकृत किया जायेगा।

(4) उचिततः उपनिवेश (2) के अनुसार अनुमान उपदान की धनराशि किसी भी स्थिति में 30,000 रुपये से अधिक न होगी।

3—(1) प्रत्येक अधिकारी, जैसे ही वह इन नियमों की का विफल करने वाला हो या जैसे ही वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन या उपदान पाने का हकदार हो जाये, मृत्यु-निवृत्ति न करेगा जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों को कोई ऐसा उपदान जो नियम 5 के उचिततः (2) या उचिततः (3)

के अधीन स्वीकृत किया जाय और ऐसा उपदान जिसका नियम (5) के उपनियम (1) के अर्थात् अने अनुभव हो जाने के पश्चात् उसकी मृत्यु के पूर्व भुगतान न किया गया हो, प्राप्त करने का अधिकार अदाय किया गया हो:

परन्तु यदि नाम-निर्देशन करते समय अधिकारी का परिवार हो तो नाम-निर्देशन उसके परिवार के किसी एक या अधिक सदस्यों से निम्न किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जायगा।

टिप्पणी—अधिकारी द्वारा नाम-निर्देशन या नाम-निर्देशन में कोई परिवर्तन निदेशक, स्थानीय निकाय के अनुमोदन से अपने सेवाकाल में या सेवा-निवृत्ति के पश्चात् किया जायगा।

(2) यदि कोई अधिकारी उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नाम-निर्देशन करे, तो वह नाम-निर्देशन-पत्र में प्रत्येक नाम-निर्देशन व्यक्तियों को देय आय-राशि या अंश ऐसी शर्तों से विनिर्दिष्ट करेगा जिससे कि उसके अन्तर्गत उपदान को सम्पूर्ण धनराशि आ जाय।

(3) कोई अधिकारी नाम-निर्देशन में यह व्यवस्था कर सकता है कि—

(क) किसी नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति की अधिकारी के पूर्व मृत्यु हो जाने पर उस नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रदात अधिकारी नाम-निर्दिष्ट ऐसे अन्य व्यक्ति को अर्पित हो जायगा जिसे नाम-निर्देशन-पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाय।

परन्तु यदि नाम-निर्देशन करते समय अधिकारी के परिवार में एक से अधिक सदस्य हों तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार के सदस्य से निम्न व्यक्ति न होगा:

(ख) नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम-निर्देशन उसमें विनिर्दिष्ट आकरिभक्त घटना होने की दशा में अर्पितनायक हो जायगा।

(4) किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका नाम-निर्देशन करते समय परिवार न हो, दिया गया नाम-निर्देशन या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसके परिवार में नाम-निर्देशन करने के दिनांक को केवल एक सदस्य हो, उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन नाम-निर्देशन में कोई व्यवस्था उस दशा में अधिपत मान्य हो जायगी जो नाम में अधिकारी का महाविधि परिवार हो जाय या उसके परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जाय।

(5)—(क) प्रत्येक नाम-निर्देशन (क) से (घ) तक के किसी एक ऐसे व्यक्ति में होगा जो उस मामले की परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हो।

(ख) कोई अधिकारी किसी भी समय दोबो उपनियम (7) में उल्लिखित समुचित प्राधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर नाम-निर्देशन रद्द कर सकता है। परन्तु अधिकारी ऐसी नोटिस के साथ इस नियमावली के अनुसार किया गया तथा नाम-निर्देशन भेजेगा।

(6) किसी ऐसे नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, की जिसके सम्बन्ध में उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन नाम-निर्देशन में किसी अन्य व्यक्ति को उक्त अधिकार अर्पित हो जाने के सम्बन्ध

में कोई व्यवस्था न की गई हो, मृत्यु हो जाने पर तुरन्त ही या किसी ऐसी घटना के हो जाने पर जिसके कारण नाम-निर्देशन उपनियम (3) के खण्ड (ख) या उपनियम (4) के अनुकरण में अधिपत मान्य हो जाय, अधिकारी समुचित प्राधिकारी को अधिकाधिक रूप से नाम-निर्देशन रद्द करने की लिखित नोटिस के साथ इस नियमावली के अनुसार किया गया तथा नाम-निर्देशन भेजेगा।

(7) किसी अधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक नाम-निर्देशन और रद्द करने की प्रत्येक नोटिस निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजी जायगी जो उसमें प्रत्येक का दिनांक इंगित करते हुए उस समय प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(8) किसी अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक नाम-निर्देशन और रद्द किए जाने के लिए दो गई प्रत्येक नोटिस, जहाँ तक कि वह विधिमान्य हो, उपनियम (7) में उल्लिखित प्राधिकारी को प्राप्त होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

(9) यदि किसी अधिकारी की, जिसका कोई परिवार हो, ऐसा नाम-निर्देशन किए बिना जिसमें उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों को मृत्यु पूर्व सेवा-निवृत्ति उपदान की धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदात किया गया हो, मृत्यु हो जाय तो वह उसके परिवार के उस जोड़ित सदस्य को बराबर-बराबर अंशों में दिया जायगा जो विधवा पुत्रियों को छोड़कर नियम-2 के उपनियम (5) में उल्लिखित अंशों (एक) से (तीन) के अन्तर्गत आते हों। जहाँ कोई ऐसे जोड़ित सदस्य न हों, किन्तु विधवा पुत्री और या ऐसे अधिकारी के नियम 2 के उपनियम (5) में उल्लिखित अंशों (चार से आठ) के परिवार का एक या अधिक सदस्य जीवित हो/हों, वहाँ उपदान ऐसे व्यक्ति को या ऐसे समस्त व्यक्तियों को बराबर-बराबर अंशों में दिया जायगा।

भाग तीन

पारिवारिक पदान

7.—पारिवारिक पदान (1) ऐसे अधिकारी के, जिसकी कोई महाविधि के पश्चात् का कम से कम दोन-धन को अर्धकारी सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवा में राते हुए मृत्यु हो जाय, परिवार को दानार्थ को अधिपति के पारिवारिक पदान की आ सकती है जिसकी धनराशि नीचे उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न होगी।

परन्तु पारिवारिक पदान दिये जाने की अधिपति किसी भी स्थिति में उस दिनांक से जब मृत अधिकारी ने 60 वर्ष की आय पूरी कर ली होती, यदि यह सेवा में होता, पंच वर्ष से आगे नहीं बढ़ा जायगा।

टिप्पणी—

(1) निदेशक, स्थानीय निकाय, आपदाधिक परिस्थितियों में, उपविधका अनुसार किसी ऐसे अधिकारी के परिवार को किसी भी मृत्यु पूर्व की अर्धकारी सेवा पूरी करने के पूर्व किन्तु कम से कम दानार्थ को अर्धकारी सेवा पूरी करने के पश्चात् हो जाय, पारिवारिक पदान दिये जाने पर दिखार कर सकता है।

(2) ऐसे मामलों में, जहाँ अर्धकारी सेवा विहित मृत्यु के कम हो, वहाँ इस दान को माफ नहीं किया जाना चाहिये।

(2) पारिवारिक पेंशन को धनराशि—(क) सेवाकाल में मृत्यु होने पर, उस अधिकारी को पेंशन को आधी होगी, जो अधिकारी को उस समय अनुसूक्त होती यदि वह अपनी मृत्यु के दिनांक के अगले दिनांक को सेवानिवृत्त होता; और

(ख) सेवा निवृत्ति के पश्चात् मृत्यु होने पर, सेवा निवृत्ति के समय उसे स्वीकृत पेंशन को आधी होगी;

परन्तु पारिवारिक पेंशन की धनराशि अधिकतम 250.00 रुपये प्रतिमास और न्यूनतम 60 रुपये प्रतिमास होगी;

परन्तु यह और कि किसी भी वक्ता में न्यूनतम पेंशन मृत अधिकारी को उसकी सेवा निवृत्ति के समय पर स्वीकृत पेंशन को पूरी धनराशि से अधिक न होगी या उस वक्ता में जब उसकी मृत्यु सेवाकाल में हो जाय, तो पेंशन वही होगी जो उसे अनुसूक्त होती यदि वह अपनी मृत्यु के दिनांक के अगले दिनांक को अधिकाधिक पेंशन पर सेवा निवृत्त होता।

टिप्पणी—(1) पारिवारिक पेंशन को धनराशि में संशोधन भोगी द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व राजिखुल की गई पेंशन की धनराशि यदि कोई हो, कम हो जायगी। उदाहरणार्थ यदि सामान्य पेंशन 90.00 रुपये प्रतिमास थी और इसमें से 30 रुपये की धनराशि का, पश्चात्करण किया गया था तो पारिवारिक पेंशन की धनराशि 90.2—30 15 रुपये प्रतिमास होगी।

(2) नियम 4 के इस भाग के अधीन अनुसूक्त कोई पेंशन निम्नलिखित को देय नहीं होगी:—

(क) जोसे उपनियम (4) के खण्ड (ख) में उल्लिखित व्यक्ति को, जब तक कि पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह समझाव न हो जाय कि ऐसा व्यक्ति भरण पोषण के लिये मृत अधिकारी पर अधिकार था;

(ख) परिवार की किसी अविवाहित महिला सदस्य को, उसका विवाह हो जाने पर;

(ग) परिवार की किसी विधवा महिला सदस्य को, उसका पुनर्विवाह हो जाने पर;

(घ) मृत अधिकारी के भाई को, 15 वर्ष की आयु का हो जाने पर;

(ङ) ऐसे व्यक्ति को जो मृत अधिकारी के परिवार का सदस्य न हो।

(4) जोसे उपनियम (5) के अधीन नाम निर्देशन द्वारा तथा उपस्थिति के विषय—

(क) नियम के इस भाग के अधीन स्वीकृत पेंशन निम्नलिखित को दी जायेगी:—

(एक) स्वेच्छया उत्तरजीवी विधवा को, यदि मृत अधिकारी पुरुष अधिकारी था या पति को, यदि मृत अधिकारी महिला अधिकारी थी;

(दो) उपर्युक्त (एक) के न होने पर, स्वेच्छया उत्तरजीवी पुरुष को;

(तीन) उपर्युक्त (एक) और (दो) के न होने पर, स्वेच्छया उत्तरजीवी अविवाहित पुरुष को, और

(चार) उपर्युक्त (एक) से (तीन) के न होने पर, स्वेच्छया उत्तरजीवी पुरुष को, और

(पाँच) खण्ड (क) के अधीन पेंशन देय न होने की वक्ता में, पेंशन निम्नलिखित को दी जायेगी:—

(एक) पति को;

(दो) उपर्युक्त (एक) के न होने पर, माता को;

(तीन) उपर्युक्त (एक) और (दो) के न होने पर, 18 वर्ष से कम आयु के स्वेच्छया उत्तरजीवी भाई को;

(चार) उपर्युक्त (एक) से (तीन) के न होने पर, स्वेच्छया उत्तरजीवी अविवाहित बहिन को; और

(पाँच) उपर्युक्त (एक) से (चार) के न होने पर, स्वेच्छया उत्तरजीवी विधवा पति को; और

(छ) उपर्युक्त (एक) से (पाँच) के न होने पर, पूर्व मृत पुरुष के पत्नी की उसी कद में जिस कद में वह उपर्युक्त (क), (दो), (तीन) और (चार) के अधीन मृत अधिकारी के दायों की देय है।

टिप्पणी—उपर्युक्त खण्ड (क) (एक) में यह “स्वेच्छया उत्तरजीवी विधवा” का अधिकारी के साथ विवाह के होने के दिनांक के अन्तर्गत स्वेच्छया के निर्देश में, न कि उत्तरजीवी विधवा की आयु के निर्देश में लगाया जाता चाहिये।

(5) प्रत्येक अधिकारी अपने स्वयं के नाम के मृत पश्चात् प्रत्येक “द” में नाम निर्देशन करेगा किन्तु यह इंगित किया गया है कि इस भाग के अधीन स्वीकृत पेंशन उसके परिवार की सदस्यों को किन कद में देय होगी, और किन सीमा तक वह विधायक होगी। पेंशन दान प्रसार नाम निर्देशन के अनुसार देय होगा, परन्तु यह कि मरुद नाम निर्देशन व्यक्ति उस दिनांक को जो उसे पेंशन देय हो जाय, उपनियम (3) के उपर्युक्त के अधीन पेंशन प्राप्त करने के लिये अक्षम न हो। यदि मरुद नाम निर्देशन व्यक्ति उस उम्र के अधीन पेंशन प्राप्त करने के लिये अक्षम हो जाय तो पेंशन ऐसे नाम निर्देशन के प्रथम दिनांक अगले दिनांक की स्वीकृत की जायेगी। नियम 6 के उपनियम (5) (ग), (7) और (8) के अन्तर्गत इस उपनियम के अधीन नाम निर्देशन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(6) (क) इस भाग के अधीन प्रदत्त पेंशन मृत अधिकारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को एक साथ देय न होगी।

(ग) यदि इस भाग के अधीन प्रदत्त पेंशन नियम 7 के उपनियम (1) के परन्तु में उल्लिखित अधिकारी सम्पत्ति के पूर्व प्राधिकारों को मृत्यु हो जाने या विवाह हो जाने के कारण या किसी अन्य कारण से देय होता समझा हो जाय तो यह, सम्पत्ति, उपनियम (4) में, उल्लिखित कद में निकटतम अगले व्यक्ति को या उपनियम (5) के अधीन किये गये नाम निर्देशन में दिखाये गये कद में निकटतम अगले व्यक्ति को जो इस भाग के अन्य उपनियमों का समाधान करे, पुरा स्वीकृत की जायेगी।

(7) इस भाग के अधीन स्वीकृत पेंशन ऐसी किसी असाधारण पेंशन, उपदान या प्रतिकर के अतिरिक्त माय्य होगी जो वर्तमान नियमों या अधिनियमों के अधीन किसी अधिकारी के परिवार के सदस्य को स्वीकार की जाय।

(8) इस भाग के अधीन स्वीकृत प्रत्येक पेशन के लिये यह एक विरहित बात है कि प्राधिकारों का भावी आचरण अच्छा हो। यदि प्राधिकारों किसी सम्पत्ति अथवा धन के लिये भ्रष्टाचार का अपराध हो तो निदेशक, स्थानीय निकाय (एसी पेशन या उसके किसी भाग को रोक सकता है या वापस ले सकता है और ऐसे मामलों में उसका विनिर्देश अन्तिम होगा।

(9) पारिवारिक पेशन के लिये आवेदन-पत्र "ब" में दिया जायेगा।

(भाग चार)

राजीकरण

(10) पेशन के राजीकरण की सुविधा उत्तर प्रदेश विधायक पेशन (कम्प्यूटेशन) अधिनियम के अनुसार राजीकरण के भाग-एक के अधीन अनुसूचित पेशन की एक लिस्ट तक होगी।

परन्तु राजीकरण के पदचाल चतुर्थः दो पेशन किसी भी दशा में विधायक पेशन के अनुसूचित 474 और 474-ए के अधीन अनुसूचित पेशन का कम से कम आधा या 20 रुपये, जो भी अधिक हो, होंगे।

(भाग-पांच)

प्रत्येक

9—उपदान या पेशन से सम्बन्धी—निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश की सम्बन्धी अधिकारों द्वारा पालिका को विधायक पेशन की उद्देश्यकृत उपदान या पेशन से सम्बन्धित कार्य का अधिकार होगा।

10—कतिपय मामलों में उपदान/पारिवारिक पेशन स्वीकृत नहीं जायेंगे—यदि अधिकारों को आवश्यक अधिकार के कारण बन्द दिया गया हो या आवश्यक दिशा-निर्देश होने या स्थान करने के कारण सेवा से परवर्तित किया गया हो या हटाया गया हो तो उपदान या पेशन के लिये उपदान या पारिवारिक पेशन नहीं दी जायेंगी, किन्तु निदेशक स्थानीय निकाय अनुसूचित के आधार पर नियम 1 के अधीन अनुसूचित पेशन के अर्थ तक उपदान स्वीकृत कर सकता है।

11—पेशन सम्बन्धी अश्रदान—ऐसे प्रत्येक अधिकारों के सम्बन्ध से जो नियमावली के अधीन पेशन का एकदा है, नगर महापालिका में मुख्य नगरपालिकारी और नगर पालिका में अध्यक्ष, प्रतिमात उस निधि से जिससे अधिकारों का वेतन दिये हुए है, अधिकारों के वेतन के बराबर प्रतिमात धनराशि के बराबर पेशन सम्बन्धी अश्रदान को अश्रदान करेगा और उस निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार जमा करेगा। इस अश्रदान की धनराशि प्रत्येक मास के छठे दिन के पूर्व जमा की जायगी।

12—पेशन सम्बन्धी अश्रदान का लेखा—उपरोक्त नियम 11 में उल्लिखित अश्रदान और उसके लिए गए विनियोजन का लेखा निदेशक, स्थानीय निकाय के निदेशों के अनुसार रखा और संभाल किया जायगा।

13—सेवा-निवृत्त होने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में अधिकारों—(1) पालिकाओं के विभागाध्यक्ष या महा

पंच अधिकारियों के लिये, जहाँ ऐसे कार्यालय अधिकारों/प्रधान अधिकारों के लिये अधिष्ठाता का कार्य होता है, 1 जनवरी 1951 के लिये केन्द्रित सेवा के ऐसे सम्बन्ध अधिकारियों या आगामी दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले हों, छमाही में तैयार करेंगे और इस सूची को प्रति वर्ष 31 जनवरी और 31 जुलाई के नगर महापालिका के मुख्य नगरपालिकारी की और नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारों को भेजेंगे। पञ्चायति विभागाध्यक्ष या कार्यालय अधिकारों/प्रधान अधिकारों के सेवा-निवृत्त होने के दिनांक के छह वर्ष पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायगा कि वे 31 जनवरी से 31 जुलाई के बीच के दिनांक तक कार्य निवृत्त होने के लिए कार्य निवृत्त प्रमाणिका बिना न रह जायें। नगर महापालिका के मुख्य नगरपालिकारी और नगरपालिकाओं के कार्यपालक अधिकारों प्रति वर्ष 15 फरवरी और 15 अगस्त तक इस सूची को प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय को निवेदन कर भेजेंगे।

(2) केन्द्रित सेवा के प्रत्येक अधिकारों की सेवा-निधि के दिनांक के एक वर्ष पूर्व, पञ्चायति, विभागाध्यक्ष या कार्यपालक अधिकारों/प्रधान अधिकारों को "र" में उल्लिखित आदेश-पत्र और उनकी पेशन और उपदान से सम्बन्धित अन्य अनिवार्य सुविधाओं और नगर महापालिकाओं में सेवा-निधि की और नगरपालिकाओं में सेवा-निधि की सेवा-निधि के दिनांक के छह वर्ष पूर्व नगर महापालिका के मुख्य नगरपालिकारी को भेजेंगे। प्रत्येक सेवा-निधि पेशन और उपदान की धनराशि को जमा कर पेशन में उल्लिखित मुख्य नगरपालिकारी या कार्यपालक अधिकारों को भेजेंगे। नगर महापालिका के मुख्य नगरपालिकारी या कार्यपालक अधिकारों के अश्रदान को प्रत्येक वर्ष पेशन और उपदान के दिनांक के अन्तर्गत करेगा। इस पेशन की संवेक्षा उसी रीति में आयोजित होगी कि प्रत्येक महापालिका सेवा नियम के अनुसार पेशन के दिनांक के अन्तर्गत पालिका निधि से की जायगी की जायगी है। इस नगर प्रमुख/अध्यक्ष इन की अधिकारों की सेवा निवृत्त के दिनांक के छह वर्ष पूर्व निदेशक, स्थानीय निकाय को अवगत भेजेंगे।

3—निदेशक, स्थानीय निकाय पेशन और/या उपदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारों होंगे। यदि अधिकारों सेवा अनिवार्य सन्तोषप्रद न हो तो निदेशक, स्थानीय निकाय को पेशन और/या उपदान में कटौती करने का अधिकार पञ्चायति नगरमहापालिका का उप नगर प्रमुख या नगर अध्यक्ष, निदेशक, स्थानीय निकाय को पेशन पत्रादि में पूर्व यह सुनिश्चित करेगा और अपना यह समझाने का सेवा-निवृत्त होने वाले अधिकारों की सेवा सन्तोषप्रद और इस निष्कर्षों के अधीन देय पेशन और/या उपदान निष्कर्ष करेगा और यदि सेवा सन्तोषप्रद न रहे तो निदेशक, स्थानीय निकाय को पेशन और/या उपदान में कटौती का अधिकार होगा। जहाँ पेशन और/या उपदान में कटौती की जायगी नहीं। जहाँ पेशन और/या उपदान में कटौती की जायगी तो निदेशक, स्थानीय निकाय के द्वारा के सम्बन्ध में अपना समा

के उद्देश्य से सम्बद्ध अधिकारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया।

4—पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान के सलत निर्धारण के कारण अतिरिक्त भुगतान को वापस किया जायगा और इसके द्वारा वक्तव्य के लिए सेवा निवृत्त होने वाले प्रत्येक अधिकारी से वक्तव्य, प्रत्येक "ज" या "झ" में पहले से ही घोषणा करा ली जाएगी।

5—सम्बद्ध अधिकारी द्वारा प्रपत्र "घ" में पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जायगा और अधिकारी की मृत्यु होने की वृत्त में, उपदान/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायगा।

14—राज्य सरकार के सेवकों के लिए बने प्रपत्रों का उपयोग—यदि इस नियमावली के अधीन विहित प्रपत्र पेंशन के मामलों के निस्तारण के लिए अपर्याप्त हों तो राज्य सरकार के सेवकों की पेंशन स्वीकृत करने के लिए विहित प्रपत्रों का उपयोग किया जा सकता है।

15—विवाद या कठिनाई की वृत्त में राज्य सरकार का निर्णय—(1) यदि इस नियमावली के किसी उपबन्धों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार की निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका उसके सम्बन्ध में विनिश्चय अंतिम और निरन्तरक होगा।

(2) ऐसे विषय जो इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों, ऐसे आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे जिन्हें राज्य सरकार जारी करती उचित समझे।

(भाग—2)

पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया

16—पेंशन निधि—निदेशक, स्थानीय निकाय के नियन्त्रण में एक सामान्य पेंशन निधि स्थापित की जायेगी जो "उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रोपलब्ध सेवा अधिकारी पेंशन निधि" के नाम से जानी जायगी जिसे आगे "निधि" कहा गया है। नियम 11 के अधीन पालिकाओं द्वारा देय पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि इस निधि में जमा की जायगी।

17—रोकड़ वही रखना—निधि में जमा किया जाने वाला समस्त धन और उससे किए जाने वाले समस्त भुगतान को प्रविष्टि रोकड़ वही में की जायगी। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा रोकड़ वही इस नियमावली से संलग्न-पत्र "अ" में रखी जायगी।

18—पेंशन निधि का बैंक में रखा जाना—निधि का बैंक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखा जायगा।

19—पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में प्रक्रिया—नगर महापालिका के मुख्य नगराधिकारी और नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि प्रति मास के छठे दिनांक के पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा की जायगी। इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "द" में बालान तैयार किया जायगा। बालान के साथ एक सूची होगी जिसमें अधिकारी का नाम, पद

नाम, वेतन और अंशदान की धनराशि का पूर्ण विवरण दिया जायगा। यह बालान चार प्रतिवर्ष में तैयार किया जायगा। बालान की प्रथम और द्वितीय प्रतियां क्षेत्र द्वारा जमाकर्ता को वापस दी जायगी और बालान की तृतीय और चतुर्थ प्रतियां सूची के साथ प्रमुख जमाकर्ता और बैंक द्वारा प्रति मास के दसवें दिनांक तक निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजी जायगी। स्थानीय निकाय निदेशालय का लेखा अधिकारी बालान की इन प्रतियों का मिलान करेगा और रोकड़ वही में अंशदान की धनराशि की प्रविष्टि करेगा। बालान की प्रतियां देना-परीक्षा के प्रयोजनार्थ गाई फाइल में सुरक्षित रखी जायगी।

20—पेंशन-वही का रखा जाना—सम्बद्ध अधिकारी का पता लेखा और इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "ड" में रखा जायगा। बालान-वही में प्रतिमास अधिकारी की भुगतान किए गए वेतन की धनराशि और जमा किए गए अंशदान की धनराशि प्रविष्टि की जायगी। बालान-वही में प्रविष्टियां बालान की प्रतियों से की जायगी और प्रत्येक मास के अन्त में बालान-वही में प्रविष्टि किए गए अंशदान की धनराशि का बालान रोकड़ वही में प्रविष्टि की गई धनराशि धनराशि से मिलान जायगा। बालान-वही का पूर्वावलोकन यह अधिकारी द्वारा करने के लिए किया जायगा कि समस्त जमाकर्ताओं से सम्बन्धित पेंशन सम्बन्धी अंशदान जमा पत्र दिया गया है या नहीं। यदि किसी मामले में जमा नहीं किया गया है तो उसे तुरन्त जमा कराया जायगा।

21—पेंशन भुगतान आदेश—इस नियमावली के नियम 13 के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान की धनराशि स्वीकृत कर दिए जाने के पश्चात् प्रत्येक मास में स्वीकृत की गई पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान के भुगतान के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा इस निदेशालय से संलग्न प्रपत्र "इ" में "पेंशन भुगतान आदेश" जारी किया जायगा। इस आदेश की प्रतियां पेंशन बोर्ड, और उच्च न्यायलय की वृत्त में सम्बद्ध अधिकारी सेवा निवृत्त हुआ है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गृहीत की जायगी।

नगर निदेशक, स्थानीय निकाय यदि उनका यह समाधान हो जाए कि किसी विवाद मामले में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान स्वीकृत किए जाने में पर्याप्त विश्वास की सम्भावना है, सम्बद्ध अधिकारी द्वारा प्रपत्र "द" में की गई घोषणा के आधार पर अन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान स्वीकृत कर सकता है, किन्तु यह धनराशि नियन्त्रित पेंशन और उपदान की धनराशि के 75 प्रतिशत में अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार अन्तरिम पारिवारिक पेंशन और उपदान स्वीकृत करने के पूर्व पुराने अधिकारी के अधिक उत्तराधिकारी से प्रपत्र "ज" में घोषणा कराई जायगी।

22—पेंशन के प्रथम भुगतान का अभिलेख—पेंशन के प्रथम भुगतान के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभिलेख (एन्डो) पेंशन भुगतान आदेश पर मुद्रित/छापी के अनुसार उस पेंशन बोर्ड का विवरण और क्या यदि किसी और पेंशन भुगतान आदेश पर,

विशेष निदेश के अनुसार पंचतंत्र का कार्यक्रम भवनाय अभिलेखित किया जायेगा।

23--पंचतंत्र के मासिक भुगतान का प्रविष्टि--पंचतंत्र-संज्ञा प्रति मास प्रत्येक "त" में दो प्रविष्टि में अर्पित किए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को प्रस्तुत करेगा। जिस की सहायता करने के पश्चात् स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा पेंशनभोगी को भुगतान किया जाएगा और जिस पर दो भुगतान भी रसद ली जायेगी। भुगतान करने के पश्चात् स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जिस की एक प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजेगा।

24--निदेशालय में भुगतान का अभिलेख--स्थानीय निकाय निदेशालय में भुगतान किये गए जिस की प्रविष्टि प्राप्त होने पर लेखा अधिकारी रोकटू-वही में इन भुगतानों की प्रविष्टि करेगा और इन प्रविष्टि की लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ माह शुरुआत में सुरक्षित रखा जायेगा।

25--लेखा-परीक्षा और रजिस्टर--पेंशनभोगियों को पेंशन का समय पर और ठीक-ठीक भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थानीय निकाय निदेशालय में प्रत्येक "त" में एक लेखा-परीक्षा और रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर में प्रत्येक पेंशनभोगी को एक पृष्ठ कागज सौंपा जायेगा भुगतान किये गये पेंशन प्राप्त होने पर, सम्पूर्ण पेंशनभोगी के पेंशन-माता में भुगतान की प्रविष्टि की जायेगी।

26--उपदान भुगतान प्रविष्टि--उपदान स्वीकृत किये जाने के पश्चात् स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को प्रत्येक "त" में उपदान भुगतान प्रविष्टि (उ० नं० आ०) जारी किया जायेगा। इसकी एक प्रति सम्बद्ध पञ्चतंत्र की भी भूषणिकल की जायेगी। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया आवश्यक सहायता करने के पश्चात् सम्बद्ध पञ्चतंत्र को उसका भुगतान करेगा और भुगतान करने के पश्चात् इसे स्थानीय निकाय निदेशालय को प्रत्येक माह भेज दिया जायेगा।

27--उपदान और पेंशन के भुगतान का विवरण-पत्र--स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया प्रति माह पांचवें दिनांक तक स्थानीय निकाय निदेशालय की प्रत्येक "त" में एक विवरण-पत्र भेजेगा जिसमें पिछले मास में भुगतान की गई पेंशन और उपदान की धनराशि दिखायी जायेगी। स्थानीय निकाय निदेशालय में इस विवरण-पत्र का मिलान रोकटू-वही और आंच रजिस्टर में की सभी प्रविष्टियों से किया जायेगा।

28--मासिक और भुगतान का मासिक विवरण-पत्र--उपरोक्त नियम 27 में विहित विवरण-पत्र के अतिरिक्त स्टेट बैंक

ऑफ इण्डिया प्रतिमास के छठे दिनांक तक स्थानीय निकाय निदेशक को मासिक विवरण-पत्र भेजेगा जिसमें पिछले मास में की गयी जमा और भुगतान की धनराशि दिखायी जायेगी स्थानीय निकाय निदेशालय में इसका मिलान रोकटू-वही से किया जायेगा।

29--रोकटू-वही--रोकटू-वही में लेख प्रति दिन चन्द और सरसुचित किये जायेंगे और इस पर स्थानीय निकाय निदेशालय के लेखा अधिकारी द्वारा हस्तक्षर किये जायेंगे। प्रत्येक मास के अंत में रोकटू-वही में प्रविष्टि की गयी जमा और भुगतान का मिलान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरण-पत्र में किये गये हस्तक्षर जमा और भुगतान से किया जायेगा। यदि दोनों के बीच कोई अंतर हो तो मास के अंत में स्पष्टीकरण प्रेषित किया जायेगा। मास के अंत में रोकटू-वही की बन्द करने के पश्चात् इसे निदेशक, स्थानीय निकाय के समक्ष उसके पुन-निरीक्षण के लिये रखा जायेगा।

30--पेंशन-निर्णय और चिन्तित-पत्र--पेंशन निधि की धनराशि वसूली प्रतिमास में या किसी अनुसूचित बैंक/आफिस पर की धारणीय जमा/गार्यवक जमा और अन्य वचत लेख में, जिन निदेशक, स्थानीय निकाय अधिकारी, समर्थ, चिन्तित-पत्र की जायेगी, किन्तु मास-रकत में अंतरास गयेन उनका रखा जायेगा जिसका कि अनुपातितता पर हस्तक्षर आंच उसके उपदान और मासिक पेंशन की अंतरासकता को पूरा करने के लिये पड़ता हो। चिन्तित-पत्र की प्रविष्टि एक चिन्तित-पत्र रजिस्टर में की जायेगी जो पृष्ठ "त" में भेजा जायेगा।

31--लेखा-परीक्षा--पेंशन निधि की प्रति वर्ष परीक्षा, स्थानीय निकाय लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी और उसके पश्चात् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और अग्रतिथियों का स्थानीय निकाय निदेशालय के लेखा अधिकारी द्वारा निराकरण किया जायेगा।

32--अतिरिक्त प्रत्येक--निदेशक, स्थानीय निकाय पेंशन निधि के लेखों को वचत-पत्र रीति से रखने के लिये इस नियमावली से सम्बन्धित प्रत्येक के अतिरिक्त कोई अन्य प्रवृत्ति कर सकता है।

आज्ञा से,
रोशन लाह,
सचिव।

प्रत्येक "त"

नियम 6(5) के लिये

मृत्यु एवं सेवा-निवृत्त उपदान के लिए मास-निर्देशक--

अधिकाधिकारी का परिचारक हो और वह उसके एक सदस्य की मास-निर्देशक करता रहे।

जो निकाय निदेशक निकाय को, जो सेवा-परिवार का एक सदस्य है, मास-निर्देशक करता है और उसे कोई उपदान, जो सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने को रक्षा में निदेशक द्वारा मृत्यु स्वीकृत किये जाय, प्रत्येक करने का अधिकार और मेरी मृत्यु हो जाने पर कोई सेवा उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, जो सेवा-निवृत्त होने पर मृत्यु अनुभव हो जाने पर, मेरी मृत्यु के समय अक्षर रह जाय।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा , सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली,
1981) नियमावली अनुकूलन और उपान्तरण आदेश , 2002

अभिलेख का नाम : उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत)
प्रकार
सेवा , सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली , 1981)
नियमावली अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

अभिलेख का

विनियम

निम्न में से किसी एक प्रकार को चुने
(नियम ,विनियम ,अनुदेश, निर्देशिका ,
अभिलेख , अन्य)

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :- उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्मिकों के सेवा निवृत्ति लाभ के विनियम

नियम ,विनियम, अनुदेश ,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां उपलब्ध है ?

पता: कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
जल भवन ,बी-ब्लॉक ,
नेहरू कालोन
देहरादून

दूरभाष :- 2676260,

फैक्स :- 2676177

ई0 मेल0
अन्य ..

नियम ,विनियम ,अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की
प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

वांछित अभिलेख की फोटो कापी का वास्तविक मूल्य

उत्तरांचल शासन
 आवास एवं शहरी विकास विभाग
 संख्या: 165/शा0वि0-आ0/2002-270(न0वि)/2002
 देहरादून दिनांक 02 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकते हैं जो आवश्यक व समीचीन हो ;


चूंकि, उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयत) सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल में यथावत लागू है ;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 वन 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महाराज निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयत) सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रावधानों के अन्वये लागू रहेगा :

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयत) सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981) नियमावली अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयत) सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा ।
 (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयत) सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981 में जहाँ-जहाँ पर शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है, वहाँ-वहाँ "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा ।


 (पी0के0 महान्ति)

सचिव

सं-1065(11)
श0वि0/आ-2002-270(न0वि0)/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि : उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस अधिसूचना को एक अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना के 8.11.2002 के अंक में प्रकाशित कर 100 मुद्रित प्रतियां शासन को तथा प्रतियां निदेशक, शहरी विकास उत्तरांचल, देहरादून को प्रेषित करने का आदेश है।

भा.म. प्र.
(जो0बो0 ओली)
अनुसचिव

सं-1065(11)
श0वि0/आ-2002-270(न0वि0)/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल
2. निदेशक, शहरी विकास उत्तरांचल, देहरादून
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/पंचायत, उत्तरांचल
5. गार्ड फाईल

भा.म. प्र.
(जो0बो0 ओली)
अनुसचिव

**उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती
नियमावली,
1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002.**

अभिलेख का नाम : उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत

सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती
नियमावली ,1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण
आदेश , 2002 .

विनियम अभिलेख का प्रकार

निम्न में से किसी एक प्रकार को चुने
(नियम ,विनियम ,अनुदेश, निर्देशिका ,
अभिलेख , अन्य)

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :- उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्मिकों के मृतक आश्रितों के रोजगार विनियम

नियम ,विनियम ,अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां उपलब्ध है ?

पता : कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
जल भवन ,बी-ब्लॉक ,
नेहरू कालोन
देहरादून

दूरभाष :- 2676260,

फैक्स :- 2676177

ई0मेल0

अन्य ..

नियम ,विनियम ,अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

वांछित अभिलेख की फोटो कापी का
वास्तविक मूल्य

राकेश शर्मा
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक विभाग

देहरादून : दिनांक : 20 जून, 2001

विषय :- मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तरांचल राज्य में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों के सम्बन्ध में जब तक कि कोई नई नीति निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) उत्तरांचल में यथावत् लागू रहेगी।

2. कृपया तदनसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0
(राकेश शर्मा)
सचिव।

संख्या 1055 / का-1 / 2001, तद् दिनांक।

उत्तर प्रदेश सरकार
नियुक्ति अनुभाग-4
सख्या-6/12-1973-नियुक्ति-4
लखनऊ : 7 अक्टूबर, 1974

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 509 में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा तदर्थ समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ: 1-(1) यह नियमावली उत्तरप्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 कहलायेगी।

(2)- यह 21 दिसम्बर, 1973 में प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

परिभाषाये:-

2- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

(क) सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो -

(1) ऐसे सेवा योजन में स्थाई था : या

(2) यद्यपि अस्थायी है, तथापि ऐसे सेवा योजनों में, नियमित रूप से नियुक्त किया गया था: या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है। तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ती में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण

“नियमित रूप से नियुक्ति” का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिये अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है।

(ख) “मृत सरकारी सेवक” का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है, जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाये,

(ग) “कुटुम्ब” के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:-

(1) पत्नी या पति,

(2) पुत्र,

(3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।

(घ) “कार्यालय का प्रधान” का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

नियमावली का लागू किया जाना

3- यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

इस नियमावलीका अवरोही प्रभाव

4- इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्ही नियमों, विनियमों या आदेशों के अन्तर्दिष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली तथा तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती

5- यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी नियम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथासंभव उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

सेवायोजन के लिए
आवेदन पत्र की विषय
वस्तु

6— इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र जिस पद पर नियुक्ति अभिलिखित है उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहां मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी:—

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहां और वह पद जिस पर अपनी मृत्यु के पूर्व कर रहा था,

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु, तथा अन्य ब्यौरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्यौरे।

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा, का ब्यौरा, और,

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताये, यदि कोई हों।

प्रक्रिया जब कुटुम्ब
के एकाधिक सदस्य
सेवायोजन चाहते
हों—

7— यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हो तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिये व्यक्ति की उपयुक्ता को विनिश्चित करेगा। अर्थात् कुटुम्ब विशेषतया उसकी विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

आयु या अन्य अपेक्षाओं
में शिथिलता—

8— (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अट्ठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

(2) चयन के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से, यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा। किन्तु अभ्यर्थी पद विषयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बाल का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन कोई निपुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जायेगी।

सामान्य अर्हताओं के
सम्बन्ध में नियुक्ति

प्राधिकारी का समाधान—9— किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि:—

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है, जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो, तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपरिस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हो और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति—

10— राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एक मात्र निणयिक हो)। दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

आज्ञा सैं,

गुलाम हुसैन
आयुक्त एवं सचिव।

‘वित्तीय हस्त पुस्तिका’

अभिलेख का नाम : वित्तीय हस्त पुस्तिका

अभिलेख का प्रकार

नियम

निम्न में से किसी एक प्रकार को चुने
(नियम ,विनियम ,अनुदेश, निर्देशिका ,
अभिलेख , अन्य)

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :- अधिष्ठान एवं कार्य सम्पादन सम्बन्धी सभी प्रकार के नियम ।

नियम ,विनियम, अनुदेश ,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां उपलब्ध है ?

पता : कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
जल भवन ,बी-ब्लॉक ,
नेहरू कालोन
देहरादून

दूरभाष :- 2676260,

फैक्स :- 2676177

ई0 मेल0
अन्य ..

नियम ,विनियम ,अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

वांछित अभिलेख की फोटो कापी का को
वास्तविक मूल्य

वाटर सप्लाई मैनुअल'

अभिलेख का नाम : वाटर सप्लाई मैनुअल
प्रकार

चुने

निर्देशिका ,

अभिलेख का अनुदेश

निम्न में से किसी एक प्रकार को

(नियम , विनियम , अनुदेश,

अभिलेख , अन्य)

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :- पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं रख रखाव से सम्बन्धित अनुदेश

नियम , विनियम , अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां उपलब्ध है ?

पता : कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
जल भवन , बी-ब्लॉक ,
नेहरू कालोन
देहरादून

दूरभाष :- 2676260,

फैक्स :- 2676177

ई0 मेल0
अन्य ..

नियम , विनियम , अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की
मूल्य प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

वांछित अभिलेख की फोटो कापी का वास्तविक

‘टैरिफ’

अभिलेख का नाम : टैरिफ
प्रकार

को चुने
निर्देशिका ,

अभिलेख का अनुदेश

निम्न में से किसी एक प्रकार
(नियम , विनियम , अनुदेश,
अभिलेख , अन्य)

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :- उत्तराखण्ड जल संस्थान के जल मूल्य , जलकर , जल स्तम्भ शुल्क , सीवर
कर , सीवर
शीट शुल्क एवं अन्य दरों से सम्बन्धित अनुदेश

नियम , विनियम , अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां उपलब्ध है ?

पता : कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
जल भवन , बी-ब्लॉक ,
नेहरू कालोन
देहरादून

दूरभाष :- 2676260,

फैक्स :- 2676177

ई0 मेल0

अन्य ..

नियम , विनियम , अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की
वास्तविक मूल्य
प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

वांछित अभिलेख की फोटो कापी का

उत्तरांचल शासन
कार्यालय, मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, "जल भवन"
बी-ब्लॉक, नेहरु कालोनी, देहरादून

09 अक्टूबर, 2006 ई०

पत्रांक 3354/वि०अनु०टैरिफ/2006-07-उत्तरांचल, (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2), (6) एवं धारा 52 (2) की उपधारा (1) एवं धारा 59 (1), (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तरांचल जल संस्थान बोर्ड के अनुमोदन एवं शासनादेश सं०-वी०आई०पी० 02/उन्तीस (1)/06-2 (59 पै०)/2004 पेयजल अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 04 मार्च, 2006 तथा शासनादेश संख्या-222/उन्तीस/(1)/06-2 (59 पै०)/2004 पेयजल अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 18 मार्च, 2006 द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति उपरान्त शासनादेश संख्या-1007/उन्तीस (1)/06-2 (59 पै०)/2004 पेयजल अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 03 अक्टूबर, 2006 के अनुपालन में उत्तरांचल जल संस्थान अपने क्षेत्रान्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शायी गयी दरें राजपत्र में प्रकाशित कर दिनांक 01 अक्टूबर, 2006 अथवा राजपत्र में प्रकाशन की तिथि, जो भी पहले हो, से प्रभावी करता है। अन्य दरें जिनको पुनरीक्षित नहीं किया गया है, वह यथावत प्रभावी रहेंगी।

1-घरेलू श्रेणी के सभी जल उपभोक्ताओं पर जलकर स्थगित (समाप्त) किया जाता है। उपभोक्ताओं से पूर्व की भांति केवल न्यूनतम जलमूल्य चार्ज किया जायेगा।

2-अधरेलू श्रेणी के सभी जल उपभोक्ताओं पर जलकर स्थगित (समाप्त) किया जाता है। अधरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से मीटर रीडिंग के आधार पर वास्तविक खपत के अनुसार पूर्व स्वीकृत जलमूल्य की दरों पर देयक भेजे जायें, किन्तु निम्न श्रेणी के अधरेलू उपभोक्ताओं के लिये प्रति संयोजन न्यूनतम जलमूल्य प्रभार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह (15 एम०एम० व्यास मीटर की अधरेलू जलापूर्ति)

क्रमांक	विवरण	गुरुत्व	लो हैड	हाई हैड
1.	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	300.000	400.000	500.000
2.	अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान	275.000	325.000	375.000
3.	अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्थागत प्रतिष्ठान	275.000	300.000	350.000

नोट-उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी की दरें जिन्हें पुनरीक्षित नहीं किया गया है, वह यथावत प्रभावी रहेंगी। उपरोक्त दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि दिनांक 01-10-2008 से प्रभावी होगी।

3-सर्विस, सुपरविजन फीस (शुल्क) की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। उपभोक्ता अपने निजी जल संयोजन का रखरखाव स्वयं करेंगे।

4-जलमूल्य मद में प्रतिवर्ष की जा रही 7.50 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि को दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से समाप्त किया जाता है। इसके स्थान पर स्वीकृत दरों पर प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। प्रथम वृद्धि दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 से प्रभावी होगी।

5-ऐसे भवन/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिनके द्वारा जल संयोजन नहीं लिया गया है, वह जल या तो अन्य संयोजनों से प्राप्त करते हैं अथवा प्रथम स्ट्रेटा के भू-जल को बोरिंग कर प्राप्त करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से पूर्व की भांति जलकर आरोपित किया जायेगा। किन्तु यह व्यवस्था बी०पी०एल० श्रेणी के परिवारों पर लागू नहीं होगी।

6-उत्तरांचल जल संस्थान के सभी उपभोक्ताओं पर सीवरकर की व्यवस्था को स्थगित (समाप्त) किया जाता है।

7-घरेलू श्रेणी के सीवर संयोजनों वाले भवनों के लिये निर्धारित रु० 15.00 प्रतिशीट प्रतिमाह की व्यवस्था को समाप्त कर अब सभी सीवर उपभोक्ताओं से निम्नानुसार सीवर संयोजन चार्ज निर्धारित किया जाता है :-

क्र०सं०	भवन का निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन	सीवर संयोजन शुल्क (चार्ज)
1.	रु० 360.00 तक	10.00 प्रतिमाह
2.	रु० 361.00 से 2000.00 तक	15.00 प्रतिमाह
3.	रु० 2001.00 से अधिक	20.00 प्रतिमाह

नोट—उपरोक्त दरें एक संयोजन के लिये हैं, दो या अधिक सीवर संयोजनों पर प्रतिमाह उपरोक्तानुसार अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

(ब) अधरेलू श्रेणी में वर्गीकृत विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से रु० 20.00 प्रतिशीट प्रतिमाह चार्ज किया जायेगा।

8—उत्तरांचल जल संस्थान के देयकों का समयान्तर्गत भुगतान करने के लिये उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार "सरचार्ज" की व्यवस्था की जाती है—

- न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमन्य नहीं होगी, अर्थात् 10 हजार लीटर प्रतिमाह पेयजल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- 60 दिवस तक भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त घनराशि चार्ज नहीं की जायेगी। किन्तु 60 दिवस के पश्चात् भुगतान करने पर विलम्ब अवधि के लिये 1.50 प्रतिशत मासिक दर से "सरचार्ज" चार्ज किया जायेगा।

नोट—

1—विशेष श्रेणी में स्टार होटल, नर्सिंग होम, कोल्ड स्टोरेज, आईस फैक्ट्री, बाटलिंग प्लाण्ट, गैराज, सर्विस स्टेशन, आवासीय विद्यालय तथा समय-समय पर अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे।

2—न्यूनतम प्रभार 10 किलोमीटर तक के लिये निर्धारित है।

3—ऐसे स्थान जहाँ पर गुरुत्व लो हैड एवं हाई हैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो, वहाँ उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा।

4—उपरोक्त दरों के अतिरिक्त अन्य दरें जो पुनरीक्षित या समाप्त नहीं की गयी हैं, वह दिनांक 01-10-2003 से प्रभावी टैरिफ की शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार यथावत रहेंगी।

5—राजपत्र दिनांक 31-12-2005, भाग-01-क में प्रकाशित व्यवस्था यथावत लागू रहेंगी।

6—उपरोक्त सभी पुनरीक्षित दरों अथवा जिन दरों को पुनरीक्षित नहीं किया गया है, में प्रथम वृद्धि दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 से प्रभावी होगी।

7—15 प्रतिशत की वृद्धि दिनांक 01 अक्टूबर, 2003 के प्रभावी टैरिफ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल दर पर होगी। अर्थात् दिनांक 01-10-2005 को की गयी वृद्धि यथावत लागू रहेगी, इसके उपरान्त अगली 15 प्रतिशत की वृद्धि दिनांक 01-10-2008 को होगी।

एच०पी० उनियाल,
मुख्य महाप्रबन्धक।

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 14-10-2006, भाग 1-क में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 4 पेयजल/522-26-10-2006-100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

1398
6/10/06

संख्या-1007/उन्तीस(1)/06-2(59पे0/2004

प्रेषक

डा0एस0एस0सन्धू

सचिव

उत्तरांचल शासन

सेवामे

मुख्य महाप्रबन्धक

उत्तरांचल जल संस्थान

देहरादून।

पेयजल अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 03 अक्टूबर, 2006

विषय उत्तरांचल जल संस्थान की जलकर/जलमूल्य, सीवर कर/सीवर मूल्य की वर्तमान टैरिफ दरों में संशोधन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5538/बोर्ड बैठक अनु0/ 2005-06 दिनांक 18 फरवरी 2006 में उत्तरांचल जल संस्थान बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 28 जनवरी 2006 के प्रस्ताव सं0-1 के निर्णय के अनुपालन में उत्तरांचल जल संस्थान की जलकर/ जलमूल्य, सीवर कर/सीवर मूल्य की वर्तमान टैरिफ दरों में संशोधन के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल एवं सीवर के उपभोक्ताओं पर जलकर एवं सीवर कर को स्थगित(समाप्त) करने का निर्णय लिया गया है तथा इन उपभोक्ताओं से पूर्व स्वीकृत करों के स्थान पर सरकारी गजट उत्तरांचल दिनांक 18 अक्टूबर 2003 द्वारा निर्धारित टैरिफ में निम्न विवरणानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) सभी प्रकार के सीवर उपभोक्ताओं से निम्नानुसार सीवर संयोजन चार्ज निर्धारित किया जायेगा :-

क्रमसं0	भवन का वार्षिक मूल्यांकन	सीवर संयोजन चार्ज प्रतिमाह
1	रु0 360.00 तक	रु0 10.00 प्रति माह
2	रु0 361.00 से रु0 2000.00 तक	रु0 15.00 प्रति माह
3	रु0 2001.00 से अधिक	रु0 20.00 प्रति माह
4	अघरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये	रु0 20.00 प्रति सीट प्रतिमाह

(2) घरेलू श्रेणी के सभी जल उपभोक्ताओं पर जलकर स्थगित (समाप्त) किया जाय। पूर्व की भांति केवल न्यूनतम जलमूल्य चार्ज किया जाय।

क्रमशः...2

- (3) अघरेलू श्रेणी के सभी जल उपभोक्ताओं पर जलकर स्थगित (समाप्त) किया जाय। पूर्व की भांति केवल न्यूनतम जलमूल्य चार्ज किया जाय। ऐसे उपभोक्ताओं से मीटर रीडिंग के आधार पर वास्तविक खपत के अनुसार पूर्व स्वीकृत जलमूल्य की दरों पर देयक भेजे जाय, किन्तु निम्न श्रेणी के अघरेलू उपभोक्ताओं के लिये प्रति संयोजन न्यूनतम जलमूल्य प्रभार में निम्नानुसार वृद्धि की जाय :-

क्र० सं०	विवरण	वर्तमान न्यूनतम प्रभार			प्रस्तावित न्यूनतम प्रभार		
		गुरुत्व	लो-हैड	हाई-हैड	गुरुत्व	लो-हैड	हाई-हैड
क	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	287.50	345.00	402.50	300.00	400.00	500.00
ख	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	253.00	287.50	345.00	275.00	325.00	375.00
ग	अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्थागत प्रतिष्ठान	253.00	264.50	287.50	275.00	300.00	350.00

- (4) ऐसे भवन/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिनके द्वारा जल संयोजन नहीं लिया गया है वे जल या तो अन्य संयोजनों से प्राप्त करते हैं अथवा प्रथम स्ट्रेटा के भू-जल को बोरिंग कर प्राप्त करते हैं। प्रथम स्ट्रेटा का भू-जल प्रायः दूषित होता है तथा इसके उपयोग से बिमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिये इस व्यवस्था को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व की भांति जलकर आरोपित किया जायेगा किन्तु यह व्यवस्था बी०पी०एल० श्रेणी के परिवारों पर लागू नहीं होगी।
- (5) जलमूल्य मद में प्रति वर्ष की जा रही 7.5 प्रतिशत की वृद्धि को दिनांक 01 अप्रैल 2006 से समाप्त कर इसके स्थान पर स्वीकृत दरों पर प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाय। प्रथम वृद्धि दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 से प्रभावी होगी।
- (6) (1) उत्तरांचल जलसंस्थान के देयकों का समयान्तर्गत भुगतान करने के लिये उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से "सरचार्ज" की व्यवस्था की जाय निर्धारित अवधि जो कि अधिकतम 30 दिन होगी, के अंतर्गत भुगतान करने से पूर्व की भांति निर्धारित छूट अनुमन्य होगी।

....3....

- (2) 60 दिवस तक भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त धनराशि चार्ज नहीं की जायेगी किन्तु 60 दिवस के पश्चात भुगतान करने पर विलम्ब अवधि के लिये 1.5 प्रतिशत मासिक दर से "सरचार्ज" चार्ज किया जायेगा ।
- (7) सर्विस सुपरवीजन शुल्क व्यवस्था को समाप्त किया जाता है ।
- 2- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय
(डा० एस०एस०सन्धू)
सचिव
19/9/06

संख्या- 3167/उन्तीस/05-(59पे0)/2004

प्रेषक

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जलसंस्थान
देहरादून

पेयजल अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2005

विषय जनपद हरिद्वार में उत्तरांचल जलसंस्थान द्वारा जलमूल्य आदि का पुनरीक्षित टैरिफ लागू किया जाना।

महोदय

जनपद हरिद्वार में जलसम्भरण सम्बन्धी सेवाओं में सुधार करने एवं राज्य में पेयजल व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्देश्य से अधिसूचना सं०-1920/नौ-2(63पे0)/2002 दिनांक 29 जुलाई 2002 द्वारा जनपद हरिद्वार की जलसम्भरण व्यवस्था का अनुसंधान एवं रखरखाव जलसंस्थान के अधीन किया गया है। जलसंस्थान द्वारा 01 अक्टूबर 2003 से पूरे राज्य में टैरिफ की पुनरीक्षित दरें लागू की गयी किन्तु जनपद हरिद्वार में इसे स्थगित किया गया।

2- जनपद हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जनपदों में पुनरीक्षित दरों के आधार पर टैरिफ की वसूली की जा रही है। पेयजल योजनाओं के संचालन, अनुसंधान आदि कार्यों में व्यय होने वाली धनराशि एवं विद्युत आधारित योजनाओं के अत्यधिक विद्युत व्यय को दृष्टिगत रखते हुए जनपद हरिद्वार सहित पूरे प्रदेश में समान रूप से टैरिफ लागू किया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव पर विचारोपरान्त लिये गये निर्णय अनुसार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए घर्मशालाओं एवं आश्रमों में वर्तमान में लागू जलमूल्य की अघरेलू दरों के स्थान पर घरेलू दरें लागू की जायेंगी, शेष यथावत् रहेंगी। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

10/10

(कुँवर सिंह)

अपर सचिव

संख्या- /उन्तीस/05-(59पे0)/2004 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-आयुक्त, कुमायूँ /गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/ पौड़ी।

2-समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।

3-निजी सचिव मा० मुख्यमंत्री/मा० शहरी विकास मंत्री जी।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)

अपर सचिव

1145
20/10/05

उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल जल संस्थान

20 दिसम्बर, 2005 ई०

पत्रांक 4440/वि०अनु० टैरिफ/2003-04-उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2), (6) एवं 59(1) का प्रयोग कर, उत्तरांचल जल संस्थान बोर्ड के अनुमोदन एवं शासनादेश संख्या 3167/उन्तीस/05-(59पे०)/2004 पेयजल अनुभाग-1, देहरादून, दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 से उत्तरांचल जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत समस्त पंजीकृत धर्मार्थ (Charitable) धर्मशालाओं एवं आश्रमों के लिये जलमूल्य की अघरेलू दरों के स्थान पर घरेलू दरों पर जलमूल्य लिये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उत्तरांचल जल संस्थान के अन्य 12 जनपदों में दिनांक 01 अक्टूबर, 2003 से प्रभावी दरें जनपद हरिद्वार की जलापूर्ति व्यवस्था के लिये भी मूल दरों में 7.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित यथावत् रहेंगी।

पुनरीक्षित दरें दिनांक 01 नवम्बर, 2005 अथवा गजट में नोटिफिकेशन की तिथि से जो भी पहले हों, से प्रभावी होंगी। अन्य दरें जो पुनरीक्षित नहीं की गयी हैं, वह यथावत् रहेंगी।

एच० पी० उनियाल,

मुख्य महाप्रबन्धक,

उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 31-12-2005, भाग 1-क में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 01 पेयजल/23-13-01-2006-100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तरांचल शासन
उत्तरांचल जल संस्थान

08 अक्टूबर, 2003 ई0

संख्या 2964/कि0अनु0 टैरिफ/2003-2004-उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2), (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तरांचल जल संस्थान पेयजल योजनाओं के अनुस्वांग, सुचारु संचालन एवं विद्युतभार अपने ही स्रोत से वहन करने हेतु उत्तरांचल जल संस्थान बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 के प्रस्ताव सं0 8 "उत्तरांचल जल संस्थान की जलमूल्य आदि की दरों के निर्धारण" सम्बन्धी पारित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 1818/नौ-2 (275 पै0)/2001 पेयजल अनुभाग, देहरादून, दिनांक 08 अक्टूबर, 2003 से उत्तरांचल जल संस्थान की जलमूल्य आदि की दरों के निर्धारण की स्वीकृति के उपरान्त उत्तरांचल जल संस्थान अपने क्षेत्रान्तर्गत जलस्तम्भ की दरें जो कि बहुत न्यून हैं, के उपभोक्ता निर्बल वर्ग के होने के कारण तथा शुल्क की वसूली में होने वाली कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए जलस्तम्भ शुल्क समाप्त करते हुए, निम्न अनुसूची में दर्शित पुनरीक्षित दरें लगाता है। अधिनियम की धारा 59 (1) एवं (2) के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शायी गयी दरें सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती हैं। यह दरें दिनांक 01 अक्टूबर, 2003 से प्रभावी होंगी।

उत्तरांचल जल संस्थान क्षेत्र में जहाँ किसी भवन या भूमि में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत जलापूर्ति/सीवर व्यवस्था की जाती है तो उनकी पुनरीक्षित दरें निम्न प्रकार होंगी:-

पुनरीक्षित दरें

- न्यूनतम प्रभार (रुपये) प्रतिमाह घरेलू नगरीय क्षेत्र की जलापूर्ति हेतु नगरपालिका परिषद् द्वारा निर्धारित भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर :

क्रमांक	भवन का वार्षिक मूल्यांकन	पुनरीक्षित दरें		
		गुरुत्व	लोहैड	हाईडैड
1.	रु0 360.00 तक	87.00	70.00	75.00
2.	रु0 361.00 से 2000.00 तक	70.00	75.00	80.00
3.	रु0 2001.00 से 3500.00 तक	75.00	80.00	90.00
4.	रु0 3501 से 8000.00 तक	100.00	110.00	125.00
5.	रु0 8001 से 8000.00 तक	120.00	125.00	150.00
6.	रु0 8001 से ऊपर	140.00	150.00	180.00

नोट:-नगर क्षेत्र में जिन भवनों में अध्यासी द्वारा अलग से संयोजन लिया हुआ है किन्तु उनके नाम से वार्षिक मूल्यांकन अंकित नहीं है, ऐसे उपभोक्ताओं से क्रमांक 1 के अनुसार न्यूनतम प्रभार लिया जावेगा।

- न्यूनतम प्रभार (रुपये) प्रतिमाह, जहां भवन का वार्षिक मूल्यांकन नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्र की घरेलू जलापूर्ति हेतु:

क्रमांक	विवरण	पुनरीक्षित दरें		
		गुरुत्व	लोहैड	हाईडैड
1.	एक टॉटीयुक्त जल संयोजन	41.00	45.00	50.00
2.	दो टॉटीयुक्त जल संयोजन	45.00	50.00	60.00
3.	तीन टॉटीयुक्त जल संयोजन	60.00	75.00	90.00
4.	चार टॉटीयुक्त या उससे अधिक	75.00	90.00	100.00

3. अधरेलू जलापूर्ति हेतु दरें (मीटर युक्त जल संयोजन) रु० प्रति किलोलीटर:

क्रमांक	विवरण	पुनरीक्षित दरें		
1.	नगरपालिका परिषद् क्षेत्र	गुरुत्व	लोईड	हाईडैड
क	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	8.00	10.00	12.00
ख	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	7.00	8.00	10.50
ग	अन्य सरकारी/अर्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/छात्राश्रम परिषद्	6.70	7.50	10.50
2.	नगर पंचायत क्षेत्र/म्युनिसिपल बहुउद्देशीय	6.70	7.00	10.50
3.	ग्रामीण क्षेत्र	6.70	6.80	10.50

4. न्यूनतम प्रमाण, प्रतिमाह [15 एमएम10 मीटर अधरेलू जलापूर्ति हेतु]

क्रमांक	विवरण	पुनरीक्षित दरें		
1.	नगरपालिका परिषद् क्षेत्र	गुरुत्व	लोईड	हाईडैड
क	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	250.00	300.00	350.00
ख	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	220.00	250.00	300.00
ग	अन्य सरकारी/अर्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/छात्राश्रम परिषद्	220.00	230.00	250.00
2.	नगर पंचायत क्षेत्र/म्युनिसिपल बहुउद्देशीय	150.00	200.00	225.00
3.	ग्रामीण क्षेत्र	110.00	125.00	150.00

नोट:-

- उपरोक्त दरों में प्रतिवर्ष 7.50 प्रतिशत की वृद्धि प्रारम्भिक दरों में की जावेगी।
- न्यूनतम प्रमाण पर छूट देय नहीं होगी अर्थात् 10,000 लीटर प्रतिमाह पेयजल खपत के ऊपर देयक पर ही निर्धारित तिथि तक भुगतान होने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- न्यूनतम प्रमाण 10 किलोलीटर तक के लिये है।
- विशेष श्रेणी में स्टोर होटल, नर्सिंग होम, कोल्ड स्टोरेज, आईस फैक्ट्री, बाटलिंग प्लांट, गैराज, सर्विस स्टेशन, आवासीय विद्यालय तथा समय-समय पर अभिसूचित अन्य प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे।
- ऐसे स्थान जहाँ पर गुरुत्व, लोईड एवं हाईडैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो, वहाँ उच्च श्रेणी की दरों से जल मूल्य लिया जावेगा।

5. जल मूल्य की दरें:

क्रमांक	विवरण	पुनरीक्षित दरें		
1.	घरेलू दरें, मीटर मुक्त (वर रु० प्रति कि०ली०)	गुरुत्व	लोईड	हाईडैड
क	नगर क्षेत्र	2.50	3.50	4.00
ख	ग्रामीण क्षेत्र	2.00	3.00	4.00

नोट:-

- निर्धारित तिथि तक बिल भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमत्य होगी। यह छूट वर्ष की चालू मांग पर देय होगी।
- उपरोक्त दरों में 7.50 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रारम्भिक दरों में की जावेगी।

टिप्पणी:-

- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक दरें व शुल्क दिनांक 17-12-1994 को स्वीकृत टैरिफ के अनुसार होंगे।
- दिनांक 17-12-1994 को स्वीकृत दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि प्रति वर्ष स्वतः बढ़ाये जाने का प्रावधान है, में आंशिक संशोधन कर यह वृद्धि 15 प्रतिशत के स्थान पर 7.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रारम्भिक दरों में की जावेगी।
- घरेलू प्रयोजनार्थ जलापूर्ति हेतु मीटर किराया (मीटर रेंट) नहीं लिया जावेगा। अधरेलू एवं अन्य प्रयोजनार्थ जलापूर्ति के लिये दिनांक 17-12-1994 को स्वीकृत दरों पर मीटर किराया (मीटर रेंट) लिया जावेगा।

अन्य दरें जिन्हें पुनरीक्षित नहीं किया जा रहा है, वह दिनांक 17 दिसम्बर, 1994 के टैरिफ के अनुसार न्यूनतम दरों पर यथावत् लागू रहेंगी।

6. घरेलू न्यूनतम प्रभार (रुपये प्रतिमाह) नगरीय एवं ग्रामीण:

क्रमांक	मीटर साईज (एम्0एम0)	गुरुत्व	लोड	हाईड
1.	20	200.00	250.00	300.00
2.	25	400.00	500.00	600.00

टिप्पणी:-

- (क) घरेलू उपयोग के लिये 25 एम्0एम0 फेकल साईज से ऊपर के संयोजन आवास विकास परिषद/सरकारी/अर्द्ध सरकारी कालोनी एवं सरकारी आवासीय समितियों को छोड़कर अन्य किसी को नहीं दिये जायेंगे। उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त 25 एम्0एम0 व्यास से अधिक के वर्तमान जल संयोजनों के लिये दरें, अनुबन्ध के आधार पर निर्धारित की जायेंगी। अधरेलू की अन्य दरें व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिये निर्धारित दर से कम नहीं होंगी।
- (ख) ऐसे स्थान जहाँ पर गुरुत्व, लोड एवं हाईड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो वहाँ उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा।

7. औद्योगिक, व्यवसायिक, भवन निर्माण आदि हेतु प्रतिमाह न्यूनतम दरें- न्यूनतम प्रभार (अधरेलू) रुपये प्रतिमाह:

क्रमांक	मीटर साईज (एम्0एम0)	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक			अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान			अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान			मुद्राश्रित एवं सुपरवेरीय			ग्रामीण प्रतिष्ठान		
		गुरुत्व	लोड	हाईड	गुरुत्व	लोड	हाईड	गुरुत्व	लोड	हाईड	गुरुत्व	लोड	हाईड	गुरुत्व	लोड	हाईड
1.	20	700	800	900	700	800	900	350	400	480	380	400	500	350	400	500
2.	25	1500	1700	1800	1500	1700	1800	750	850	900	750	880	900	750	880	900
3.	50	2700	3000	3300	2700	3000	3300	2700	3000	3300	2700	3000	3300	2700	3000	3300
4.	80	3500	4000	4700	3300	4000	4700	3300	4000	4700	3300	4000	4700	3300	4000	4700
5.	100	4300	5700	7200	4300	5700	7200	4700	5700	7200	4300	5700	7200	4300	5700	7200
6.	150	8300	7500	8700	8300	7500	8700	8300	7500	8700	8300	7500	8700	8300	7500	8700

टिप्पणी:- (1) भवन निर्माण/परिवर्तन/परिवर्द्धन के लिये-

- (क) रुपये 30.00 प्रतिवर्ग मीटर प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल पर अथवा जहाँ नक्शा नहीं पारित हो वहाँ मुख्यण्ड क्षेत्रफल के 70 प्रतिशत क्षेत्रफल पर एक मुरत।
- (ख) निर्माण कार्य हेतु जल संयोजन की तिथि के एक वर्ष के पश्चात् जल उपयोग के प्रयोजन के अनुसार न्यूनतम प्रभार की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा। यदि एक वर्ष में निर्माण कार्य पूरा न होने पर सम्पत्ति के प्रयोजन के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रभार दर से जलमूल्य लिया जायेगा।
- (2) ऐसे स्थान जहाँ पर गुरुत्व, लोड एवं हाईड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो, वहाँ उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा।
- (3) विशेष श्रेणी में स्टार होटल, नर्सिंग होम, कोल्ड स्टोरेज, आईस फैक्ट्री, बाटलिंग प्लांट, गैराज, सर्विस स्टेशन, आवासीय विद्यालय तथा समय-समय पर अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे।
- (4) निर्माण हेतु 25 एम्0एम0 से ऊपर के जल संयोजन नहीं दिये जायेंगे।

8. सर्विस (सुपरविजन) फीस (रु0 में):

क्रमांक	मीटर साईज (एम्0एम0)	मासिक	वार्षिक
1.	15	2.00	24.00
2.	20	3.00	36.00
3.	25	5.00	60.00
4.	25 एम्0एम0 से अधिक	20.00	240.00

(६१)

9. विकास शुल्क:

जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था पर पूंजीगत व्यय के लिये विकास शुल्क (रु० में) निम्नानुसार होगा:

विकास शुल्क (जल)				घरेलू/अघरेलू (प्लाट एरिया पर रुपये)			
क्षेत्र	दर प्रति वर्ग मीटर प्लाट एरिया पर	न्यूनतम प्रमाण	दर प्रति वर्ग मीटर प्लाट एरिया पर	न्यूनतम प्रमाण	क्षेत्र	दर प्रति वर्ग मीटर प्लाट एरिया पर	न्यूनतम प्रमाण
नगरीय क्षेत्र	7.50	750.00	10.00	1000.00	15.00	1500.00	
ग्रामीण क्षेत्र	2.50	250.00	5.00	500.00	7.50	750.00	
विकास शुल्क (सीवर व्यवस्था)							
नगरीय क्षेत्र	7.50	750.00	10.00	1000.00	15.00	1500.00	
ग्रामीण क्षेत्र	2.50	250.00	5.00	500.00	7.50	750.00	

10. सीवर सीट फीस-रुपये 15.00 प्रति सीट प्रतिमाह।

11. मीटर किराये की दरें प्रतिमाह (रुपये में):

क्रमांक	मीटर साईज (एम०एम०)	दरें
1.	15	5.00
2.	20	6.00
3.	25	8.00
4.	32	9.00
5.	40	10.00
6.	50	15.00
7.	80	20.00
8.	100	30.00
9.	150 और उससे अधिक	40.00

टिप्पणी:-

- उपरोक्त के प्रतिरिक्त अन्य शर्तें दरें व शुल्क जितको पुनरीक्षित नहीं किया गया है, यथावत् प्रभावी रहेंगी।
- दिनांक 01-10-2003 के पश्चात् प्रतिवर्ष 7.50 प्रतिशत की वृद्धि उपरोक्त सभी दरों में स्वतः ही प्रभावी होगी।
- घरेलू प्रयोजनार्थ जलापूर्ति हेतु मीटर किराया नहीं लिया जायेगा।

एच०पी० उनियाल,

मुख्य महाप्रबंधक

00.10	00.5	00	1
00.25	00.8	05	5

टिप्पणी: दिनांक 18-10-2003 भाग 1-क में प्रकाशित।

प्रतिलिपि सूचनाएं प्रेषित-

पी०एस०यू० (आर०ई०) 03 पेजल/448-01-11-2003-100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

सं०- 1616/नौ-2 (275 पेठ)/2001

प्रेषक,

सचिव पेयजल
उत्तरांचल शासन,
देहरादून ।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग -

देहरादून दिनांक 08 अक्टूबर 03


विषय : उत्तरांचल जल संस्थान की जलमूल्य आदि की दरों का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल जल संस्थान बोर्ड की 'प्रथम' बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 में जल संस्थान के टैरिफ के संबंध में पारित प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति दिये जाने के संबंध में अपने पत्र संख्या -1537/बोर्ड बैठक अनु०/2003-04 दिनांक 2 जुलाई, 2003 का कृपया संदर्भ लें ।

2 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये टैरिफ की पुनरीक्षित दरों का संचालन बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 के प्रस्ताव-06 के अनुमोदन अनुसार प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ लागू करने की अनुमति प्रदान की जाती है कि जल स्तम्भ की दरें जो कि बहुत न्यून हैं, के उपभोक्ता निर्बल वर्ग के होने के कारण तथा शुल्क की वसूली में होने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जल स्तम्भ शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया गया है । शेष अन्य दरें जल संस्थान बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ही रहेगी ।

कृपया तदनुसार जल संस्थान में वर्तमान में विद्यमान जल मूल्य की दरों, जलकर, एवं सीवर कर को पुनरीक्षित करके तात्कालिक प्रभाव से तुरन्त लागू किया जाय तथा सम्बन्धित अधिसूचना की 10-10 प्रतियां शासन के उपयोगार्थ तत्काल उपलब्ध करायी जाय

भवदीय,

(पी० के० महान्ति)
सचिव



संख्या १०. १०. १००—४
साइसेन्स सं०-१६५० पी०—४)
(कानूनी दृष्टि से विवाद प्रोपिनेट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 24 अगस्त, 1991 ई० (भाद्र 2, 1913 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कामकाज-पत्र, वहाँ-हैं वहाँ की गतियों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगप्रसूत होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और अन्य सम्बन्धी रिपोर्टें, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[समि अर्जन अनुभाग]

संख्या 806-मू० अ०, दो-1105(2)

2 अगस्त, 1991 ई०

सूचना

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 1 (मृ० 1966) की धारा 32 (1) के तहत एतद्द्वारा यह विज्ञापित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 31 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए "नेलोबाग 3 विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 2, लखनऊ" नामक जमीन को, जो उक्त अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय गजट, दिनांक 30 जुलाई, 1983 भाग-8 में पृष्ठ संख्या 120-121 पर प्रथम बार प्रकाशित हुई थी और परिषद् ने अपने संकल्प संख्या प्रथम 7)/87, दिनांक 12 मार्च, 1987 द्वारा परिकृत की शासनादेश संख्या 2017/37-2-91-2-एच० वी०-83-1स अनुभाग-2, दिनांक 26 जुलाई, 1991 द्वारा स्वो-प्रदान कर दी है।

स्वीकृति योजना जिसका अर्जन प्रस्तावित है, में ग्राम-विषय मूमि की सीमाएँ निम्न प्रकार हैं—

उत्तर—खमरा नम्बर 124 भाग, ग्राम देवनगर, सर्वदा, परगना बिजनौर, तहसील बजिला लखनऊ तथा खमरा नम्बर 381 भाग, 384 भाग, 386 भाग, 393 भाग, 397 भाग, 402 भाग, 396 भाग, 395 भाग, 377 भाग, 46, 47, 50, 51, 71, 72, 74 भाग, 73 भाग, 82, 91, 90, 94, 187 भाग, 188, 186, 185, 184, 190, 183, 182, 181, 199, 201, 207, 206, 205, 204, 203, ग्राम उरतदिया, पिरगुवा तिलानी, तहसील बजिला लखनऊ तथा खमरा नम्बर 113, 119, 129 भाग, 134 भाग, 133 भाग, 135, 136, 159 भाग (नहर), 214, 220, 221, 224, 225, 226, 207, 206, 236, 237, 240, 249, 379, 376, 373, 367, 368, 369, 370, 418 भाग, ग्राम शकूरपुर, परगना बिजनौर, तहसील बजिला लखनऊ।

पूरब—खमरा नम्बर 417, ग्राम शकूरपुर, परगना बिजनौर, तहसील बजिला लखनऊ तथा खमरा नम्बर 1566, ग्राम बरीली, खलीलाबाद, परगना बिजनौर, तहसील बजिला लखनऊ।

दक्षिण—खमरा संख्या 1567, 1554, 1544 भाग, 1534 भाग, 1542 भाग, 1536 भाग, 1534 भाग, 148 भाग,

Candidates for election should be nominated by means of nomination papers, which will be supplied to the elector on request by the Registrar of the U. P. Medical Council at his office at 5, Sarayopalli, Mall Avenue Road, Lucknow.

Nomination papers shall be subscribed by two elector as proposer and seconder.

The time and date for the various stages of the above election is as under :

An elector who does not receive voting paper in time should apply for it to the Returning Officer.

Date and Time

1. Nomination papers duly completed should reach to the Returning Officer at his office. 5.8.91 at 12 noon
2. Scrutiny of nomination papers by the Returning Officer. 5.8.91 at 12.30 p.m.
3. Withdrawal of candidates. 24.8.91.
4. Last date for sending voting papers to electors (in the event of more than required candidate). 23.10.91.
5. Last date and time for receiving of voting papers from electors in the Returning Officer's Office. 1-11-91 at 12 noon
6. Scrutiny and counting of voting 1.11.91 at 2.30 p.m. onwards.

P. D. P. MATHUR,
President,
U. P. Medical Council

सूचना

उत्तर प्रदेश जल सम्मरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 43, 1975) की धारा 25 की उपधारा (2), अनुच्छेद (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके गढ़वाल जल संस्थान उपर्युक्त अधिनियम की धारा 15, उपधारा (2) के अनुच्छेद (8) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त गढ़वाल मण्डल के गढ़वाल जल संस्थान क्षेत्र में निम्न अनुसूची में दर्शित पुनरोद्भूत टॉरिक तथा अन्य दरें लगाता है।

उक्त अधिनियम की धारा 59 (1) एवं (2) के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शायी गयीं वरें सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित की जाती हैं। यह वरें गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

जल मूल्य की वरें

गढ़वाल मण्डल के गढ़वाल जल संस्थान क्षेत्र में जहाँ किसी मकान या भूमि में उत्तर प्रदेश जल सम्मरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43, 1975) या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी अनुबन्ध द्वारा जलापूर्ति की जाती है तो वरें निम्नानुसार होंगी :

क्रम- सं०	विवरण	घरेलू प्रति हजार लीटर	अघरेलू प्रति हजार लीटर
1	2	3	4

₹0

1 सोहैड--100 मीटर तक
जहाँ पेय जल उपलब्ध
कराया जाता है--

(1) मीटर युक्त संयोजन
प्रति हजार लीटर

(क) नगरपालिका क्षेत्र में
जहाँ जल-कर लागू है 1.00 [2.00

(ख) नगरपालिका एवं
ग्रामीण क्षेत्र जहाँ जल-
कर नहीं लागू है 1.50 3.50

(2) मीटर रहित संयोजन-ग्रामीण 10.00 [30.00

(क) एक टोटी युक्त संयोजन 10.00 30.00

(ख) एक से अधिक टोटों
युक्त संयोजन 15.00 30.00

2 हाई हैड--जहाँ 100 मीटर से
अधिक हैड पर पेय जल उपलब्ध
कराया जाता है--

(1) मीटर युक्त संयोजन

(क) नगरपालिका क्षेत्र में
जहाँ जल-कर लागू है 2.00 4.00

(ख) ग्रामीण क्षेत्र 2.00 4.00

(ग) नगरपालिका क्षेत्र जहाँ
जल-कर लागू नहीं है 2.00 4.00

(2) मीटर रहित संयोजन-ग्रामीण

(क) एक टोटी युक्त संयोजन 15.00 30.00

(ख) एक से अधिक टोटों
युक्त संयोजन 25.00 50.00

नोट--उपरोक्त दरों पर समय के अन्तर बीजक के मुताबिक
करने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।

2--ग्रामीण क्षेत्र में आगे मीटर रहित संयोजन नहीं दिये
जायेंगे। वर्तमान में मीटर रहित संयोजनों पर मीटर युक्त किये
जाने तक ग्रामीण के समान दरें लागू होंगी।

3--न्यूनतम चार्ज ₹15 एम० एम० लाइट जल संयोजनों
के लिये--

विवरण	घरेलू	अघरेलू
1	2	3
लॉहेड--		
(क) घरेलू	६०	६०
(ख) अघरेलू जहाँ जल-कर लगा है	10.00	---
(ग) अघरेलू जहाँ जल-कर नहीं लगा है	---	20.00
हाईड्रेड--		
(क) घरेलू	15.00	---
(ख) अघरेलू जहाँ जल-कर लगा है	---	40.00
(ग) अघरेलू जहाँ जल-कर नहीं लगा है	---	50.00

नोट--1--पन्द्रह मिली-मीटर से अधिक साइज के जल संयोजन हेतु प्रति माह न्यूनतम चांजेंज की दरें पूर्ववत् रहेंगी।
 2--विकास शुल्क, सवन निर्माण, अग्रिम जल-मूल्य पूर्ववत् रहेगा।
 3--अनुसूचित जाति, जन-जाति के व्यक्ति, निराश्रित सैनिक विधवायें, भूमिहीन धनिक तथा संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी समस्त जमानतें, अग्रिम धन तथा विभागीय शुल्कों से पूर्व की भांति मुक्त रहेंगे।

पॉ० एम० यू० पॉ०--21 हिन्दी गजट भाग 1--1990 ई०।

मुद्रक और प्रकाशक--निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4--गुनरीकृत दरों से अधिक दरें यदि किसी शाखा में होंगी तो वह यथावत् रहेंगी।

5--प्रथम बार दरें लागू होने के उपरान्त प्रत्येक 2 वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत बढ़ोतरी निरन्तर होती रहेगी।
 गड़वाल में जल मापक यंत्र की किरायों की वर्तमान स्वीकृत दरें:

जल मापक यंत्र का साइज (एम० एम०)	निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत दर प्रति माह
15 एम० एम०	६०
20 एम० एम०	2.00
25 एम० एम०	6.00
32 एम० एम०	8.00
40 एम० एम०	---
50 एम० एम०	10.00
80 एम० एम०	12.00
100 एम० एम०	20.00
150 एम० एम०	30.00
	40.00

दिनांक 2 अगस्त, 1991 ई०

एच० पी० उन्नाल,

महाप्रबन्धक,

गड़वाल जल संस्थान, देहरादून।



रजिस्ट्रार नं० २० डी०-४

नाइमेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-४१

लाइसेंस नं० पोस्ट विदुलउट प्रीपेमेंट

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 22 मार्च, 1986 ई० (चैत्र 1, 1908 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, बचाई हुई हुई की गतों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के अंकड़े, रोगग्रस्त होने वाली और मरने वाली के अंकड़े, फसल और पशु संबंधी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विनायन इत्यादि।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर में निपुक्त संग्रह अमीन श्री मोहुर सिंह, संग्रह अमीन से रसीद बही संख्या 98217 की रसीद नं० 1 लो गई है और तलाश करने पर भी कहीं नहीं मिली है। इस रसीद नं० 1/98217 का प्रयोग अवैध घोषित किया जाता है और अगर इस रसीद नं० 1 का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वैध न माना जाय। यदि किसी व्यक्ति को उक्त रसीद बही की रसीद नं० 1 मिले तो तत्काल इसकी सूचना अधोहस्तक्षरी को दी जाये।

लोई हुई रसीद बही का विवरण

नाम तहसील/जिला	रसीद बही का नम्बर	रसीद बही का प्रकार
जानसठ/मुजफ्फरनगर	1/98217	मू-राजस्व

दिनांक: 24 फरवरी, 1986 ई०। चन्द्र हास शर्मा, अपर जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

सूचना

24 फरवरी, 1986 ई०

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील सदर (मुजफ्फरनगर) जनपद मुजफ्फरनगर में निपुक्त संग्रह अमीन

श्री मी० जफर से निम्नलिखित विवरण की रसीद बही दिनांक 7 फरवरी, 1986 को लो गई है और तलाश करने पर भी कहीं नहीं मिली है। इस रसीद बही का प्रयोग अवैध घोषित किया जाता है और अगर इस रसीद बही का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे वैध न माना जाय। यदि किसी व्यक्ति को उक्त रसीद बही मिले तो तत्काल इसकी सूचना अधोहस्तक्षरी को दी जाये।

लोई हुई रसीद बही का विवरण

नाम जनपद/तहसील	रसीद बही का नम्बर	रसीद बही का प्रकार	प्रयोग की गई रसीदों की संख्या	बिना प्रयोग की गई रसीदों की संख्या
मुजफ्फरनगर/सदर (मुजफ्फरनगर)	299201 से 299300 तक	मू- ¹ राजस्व	299201 से 299277 तक	299278 से 299300 तक

दिनांक: 28 फरवरी, 1986 ई०।

चन्द्र हास शर्मा, अपर जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

सूचना

सम्बन्धित प्राप्ति में उनके नाम के सामने लिखें गाटा संख्या सम्बन्धों में बालू होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतएव जहाँ पर उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 लागू होती है।

अतएव इस वित्तित के प्रकाशन के विनोद से निम्न क्षेत्रों को निज (परिहार) नियमावली के अन्तर्गत बालू क्षेत्र घोषित जाता है।

1—वाराणसी तहसील—चन्दौली उप खनिज—बालू

नाम सौजा या	परगना उपखनिज	गाटा संख्या	क्षेत्रफल एकड़
कोनिया	मन्सवार बालू	2	3.00
		234	8.67
		287	2.02
		340	0.52
सुबर्णा	नरबन "	247	6.32
		87	5.87
3 सोगाई	" "	1091	1.73
		1090	0.72
		1071	4.99
		1099	2.94

तारीख : 11 मार्च, 1986 ई०। आर० एम० टोलिया, जिलाधिकारी, वाराणसी।

सूचना

गढ़वाल जल संस्थान

उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 25 की उपधारा (2) अनुच्छेद (6) द्वारा इस वि. कारों का प्रयोग करके (उत्तर प्रदेश अधिनियम 43, 1975) गढ़वाल जल संस्थान उपयुक्त अधिनियम की धारा 15 उपधारा (2) के अनुच्छेद (8) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त गढ़वाल मण्डल के गढ़वाल जल संस्थान क्षेत्र में निम्न अनुसूची में वर्णित पुनरोक्षित टैरिफ तथा अन्य दरें लगाता है।

उक्त अधिनियम की धारा 59 (1) एवं (2) के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शायी गयी दरें सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित की जाती हैं। यह दरें दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से प्रभावी होंगी।

जल मूल्य की दरें

गढ़वाल मण्डल के गढ़वाल जल संस्थान क्षेत्र में जहाँ किसी मकान या भूमि में उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था

अधिनियम, 1975, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43, 1975) या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी अनुसूची द्वारा जलापूर्ति की जाती है तो वरें निम्नानुसार होंगी।

लो हेड—ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वेप जल 100 मीटर हेड तक उपलब्ध कराया जाता है।

क्रम-सं०	विवरण	घरेलू प्रति हजार लीटर	अघरेलू प्रति हजार लीटर
1	2	3	4
		₹0	₹0
1	मीटरयुक्त संयोजन—		
	क—नगरपालिका क्षेत्र में जहाँ जल कर लगा है	0.70	1.50
	ख—नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जल कर नहीं लगा है	0.75	2.25
2	मीटर रहित संयोजन ग्रामीण—	प्रति माह	प्रति माह
	क—एक टॉटोयुक्त संयोजन	8.00	16.00
	ख—एक से अधिक टॉटोयुक्त संयोजन	14.00	..

नोट—(1) उपरोक्त दरों पर समय के अन्दर बीजक के मुग्तान पर 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) की छूट देय होगी।

(2) नगरीय क्षेत्र में आगे मीटर रहित संयोजन नहीं दिये जायेंगे। वर्तमान मीटर रहित संयोजनों पर मीटरयुक्त किये जाने तक ग्रामीण के समान दरें लागू होंगी।

(3) मीटर किराया यथावत् रहेगा।

क्रम-सं०	विवरण	घरेलू प्रति हजार लीटर	अघरेलू प्रति हजार लीटर
1	2	3	4
		₹0	₹0
3	मूलतम लाजेंज		
	क—घरेलू	..	7.50
	ख—अघरेलू जहाँ जल कर लगा है	..	15.00
	ग—अघरेलू जहाँ जल कर नहीं लगा है	..	30.00

हार्ड हैड—ऐसे क्षेत्र जहाँ वेप जल 100 मीटर से अधिक है पर उपलब्ध कराया जाता है।

क्रम-सं०	विवरण	घरेलू प्रति हजार लीटर	अघरेलू प्रति हजार लीटर
1	2	3	4
		₹0	₹0
1	मीटरयुक्त संयोजन—		
	क—नगरपालिका क्षेत्र जहाँ जल कर लगा है	1.15	2.25
	ख—ग्रामीण क्षेत्र	1.15	2.25

2	3	4	क—ऐसे क्षेत्र जहाँ जल कर लगा हो ।			
	₹0	₹0	क्रम- सं०	विवरण मीटर का आकार	न्यूनतम प्रति माह	अधिकतम प्रति माह
1—ग—नगरपालिका क्षेत्र जहाँ जल कर नहीं है	1.25	2.65	1	2	3	4
2 मीटर रहित संयोजन, ग्रामीण	प्रति माह	प्रति माह				
क—एक टॉटी पोषित संयोजन	14.00	35.00				
ख—एक से अधिक टॉटीयुक्त संयोजन	20.00	..				
					₹0	₹0
			1	20 एम० एम०	125.00	400.00
			2	25 एम० एम०	250.00	800.00
			3	50 एम० एम०	500.00	1600.00
			4	80 एम० एम०	750.00	2500.00
			5	100 एम० एम०	1000.00	3500.00
			6	150 एम० एम०	1250.00	5000.00

नोट—(1) उपरोक्त दरों पर समय के अन्तर बीजक के गतान करने पर 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) की छूट देय होगी ।

(2) नगरीय क्षेत्र में मीटर रहित संयोजन नहीं दिये जायेंगे । ईमान मीटर रहित संयोजनों पर मीटर युक्त किये जाने तक मीण के समान दरें लागू होंगी ।

(3) मीटर किराया यथावत् रहेगा ।

3 न्यूनतम चार्ज :	प्रति माह
	₹0
क—घरेलू	12.50
ख—अघरेलू जहाँ जल कर लगा है	30.00
ग—अघरेलू जहाँ जल कर नहीं लगा है	35.00

अन्य दरें

लोहूँ—ऐसे क्षेत्र जहाँ पेय जल 100 मीटर हैड तक उपलब्ध न हो

बल्क सप्लाय—जहाँ जल संयोजनों पर 15 एम० एम० ज से अधिक साइज का जल मापक यंत्र (मीटर) लगा हो तु जल का उपयोग व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक तथा विनिर्माण हेतु न हो ।

विवरण	घरेलू	अघरेलू
मीटर का आकार	न्यूनतम प्रति माह	न्यूनतम प्रति माह
2	3	4
	₹0	₹0
20 एम० एम०	125.00	300.00
25 एम० एम०	250.00	600.00
50 एम० एम०	500.00	1200.00
80 एम० एम०	750.00	1800.00
100 एम० एम०	1000.00	2400.00
150 एम० एम०	1250.00	3800.00

औद्योगिक, व्यवसाय, व्यापार तथा विनिर्माण आदि :

ऐसे जल संयोजन जिनसे जल का उपयोग व्यापार, व्यवसाय, गिक तथा विनिर्माण हेतु हो और उन पर 15 एम० एम० से अधिक साइज के जल मापक यंत्र (मीटर) लगे हों ।

ख—ऐसे क्षेत्र जहाँ जल कर नहीं लगा है ।

क्रम- सं०	विवरण मीटर का आकार	घरेलू न्यूनतम प्रति माह	अघरेलू न्यूनतम प्रति माह
1	2	3	4
		₹0	₹0
1	20 एम० एम०	130.00	425.00
2	25 एम० एम०	260.00	850.00
3	50 एम० एम०	520.00	1700.00
4	80 एम० एम०	820.00	3000.00
5	100 एम० एम०	1120.00	4500.00
6	150 एम० एम०	1400.00	6000.00

नोट—उपरोक्त संयोजनों पर यदि एक ही मीटर से जल का उपयोग किया जाता है तो उग परत में अघरेलू दरें तथा अघरेलू न्यूनतम चार्ज लागू होंगे ।

भवन निर्माण अग्रिम जल मूल्य (नगरीय क्षेत्र)

क—नगरीय क्षेत्र 3.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर भवन के कवर्ड एरिया पर ।

ख—ग्रामीण क्षेत्र 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर भवन के कवर्ड एरिया पर ।

नोट—समस्त निर्माण कार्य पूरा होने के उपरान्त जल संयोजन घरेलू में परिवर्तित होगा तत्पश्चात् अग्रिम जल मूल्य का समायोजन किया जावेगा परन्तु निर्धारित दरों पर यदि उपभूक्त मात्रा का मूल्य कम होगा तो क्षेत्र धरराशि न तो वापस होगी और न ही उसका समायोजन किया जावेगा ।

विकासशुल्क :

क—नगरीय क्षेत्र—2.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर भूखण्ड (प्लॉट) के क्षेत्रफल पर ।

ख—ग्रामीण क्षेत्र—1.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर भू खण्ड (प्लॉट) के क्षेत्रफल पर ।

नोट—(1) अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति, निराश्रित, सैनिक विधवायें, भूमिहीन श्रमिक तथा संस्थान के अधिकारी/

कर्मचारी समस्त जमानतों, अधिम घन तथा विभागीय शुल्कों से मुक्त रहेंगे।

(2) पुनरोक्षित दरों से अधिक दरें यदि किसी शाखा में होगी तो वह यथावत् रहेंगी।

हाई हेंड—ऐसे क्षेत्र जहाँ पेय जल 100 मीटर से अधिक हेंड पर उपलब्ध कराया जाता है।

बटक सप्लाई—जहाँ जल संयोजनों पर 15 एम० एम० साइज से अधिक साइज का जल मापक यंत्र (मीटर) लगा हो परन्तु जल का उपभोग व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक तथा विनिर्माण प्रयोजन हेतु न हो।

क्रम- सं०	विवरण मीटर का आकार	घरेलू न्यूनतम प्रति माह	अघरेलू न्यूनतम प्रति माह
1	2	3	4
		₹०	₹०
1	20 एम० एम०	200.00	450.00
2	25 एम० एम०	300.00	900.00
3	50 एम० एम०	650.00	1800.00
4	80 एम० एम०	950.00	3000.00
5	100 एम० एम०	1250.00	4000.00
6	150 एम० एम०	1500.00	5000.00

औद्योगिक, व्यापार, व्यवसाय तथा विनिर्माण आदि :

ऐसे जल संयोजन जिनमें जल का उपभोग व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक तथा विनिर्माण हेतु हो और उन पर 15 एम० एम० साइज से अधिक साइज के मीटर लगे हों।

क—ऐसे क्षेत्र जहाँ जल कर लगा है।

क्रम- सं०	विवरण मीटर का आकार	घरेलू न्यूनतम प्रति माह	अघरेलू न्यूनतम प्रति माह
1	2	3	4
		₹०	₹०
1	20 एम० एम०	200.00	550.00
2	25 एम० एम०	300.00	1000.00
3	50 एम० एम०	650.00	2000.00
4	80 एम० एम०	950.00	3500.00
5	100 एम० एम०	1250.00	5000.00
6	150 एम० एम०	1500.00	7000.00

ख—ऐसे क्षेत्र जहाँ जल कर नहीं लगा है।

क्रम- सं०	विवरण मीटर का आकार	घरेलू न्यूनतम प्रति माह	अघरेलू न्यूनतम प्रति माह
1	2	3	4
		₹०	₹०
1	20 एम० एम०	250.00	600.00
2	25 एम० एम०	375.00	1200.00

1	2	3	4
		₹०	₹०
3	50 एम० एम०	750.00	2400.00
4	80 एम० एम०	1200.00	4200.00
5	100 एम० एम०	1500.00	5500.00
6	150 एम० एम०	2000.00	10000.00

नोट—उपरोक्त जल संयोजनों पर यदि एक ही मीटर से जल का उपभोग किया जाता है तो उस दशा में अघरेलू दरें तथा अघरेलू चार्ज लागू होंगे।

भवन निर्माण अधिम जल मूल्य :

क—नगरीय क्षेत्र—4.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर भवन के कवर्ड एरिया पर।

ख—ग्रामीण क्षेत्र—2.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर भवन के कवर्ड एरिया पर।

नोट—समस्त निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जल संयोजन घरेलू में परिवर्तित होगा तथा अघिम जल मूल्य का समायोजन किया जावेगा परन्तु निर्धारित दरों पर यदि उपभुक्त मात्रा का मूल्य कम होगा तो शेष धनराशि न तो वापस की जायेगी और न ही उसका समायोजन होगा।

विकास शुल्क :

क—नगरीय क्षेत्र—3.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर भूखण्ड (प्लॉट) के क्षेत्रफल पर।

ख—ग्रामीण क्षेत्र—1.88 रुपये प्रति वर्ग मीटर भूखण्ड (प्लॉट) के क्षेत्रफल पर।

नोट—(1) अनुसूचित जाति, जन-जाति के व्यक्ति, विरा-धित, सैनिक विधवाएँ, भूमिहीन अधिक तथा संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी समस्त जमानतों, अधिम घन तथा विभागीय शुल्कों से मुक्त रहेंगे।

(2) पुनरोक्षित दरों से अधिक दरें यदि किसी शाखा में होगी तो वह यथावत् रहेंगी।

प्रकाश नारायण निगम,

महा प्रबंधक,

मकुवाल जल संस्थान।

सूचना

[नोटरी ऐक्ट, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 के अन्तर्गत नियमावली के नियम 6 के अनुसार नोटरी की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्रों की सूचना।]

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सर्व-श्री योरेन्द्र रॉय सक्सेना, कृष्ण औतार दस्तोगी, श्री 0 एम० सक्सेना, भद्रसेन, डम्मर सिंह गंगवार और कन्हू सेन गंगवार अभिवक्तियों ने तहसील बीरगंज, जिला गोरखपुर के लिए

महाराष्ट्र सरकार



सचिव, महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र सरकार
(महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित)

सहकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

लाहौर, बुधवार, 9 अगस्त, 1988 ई० (श्रावण 18, 1988 शक संवत्)

भाग 8

सहकारी कानून-1962, बंदाई हुई सहकारी संस्थाओं का विवरण-पूरा, अन्त-प्रदेश के अधिकृत, रोगप्रति रोगप्रति होने का, मरने वाली के अधिकृत, फल और अन्तु संबंधी रिपोर्ट, आहार-आय, सुख, विचार्य इत्यादि।

सूचना

(उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973
अध्या 11 के अन्तर्गत)।

संसाधन को सुनिश्चित किया जाता है कि वाराणसी विकास
रूप द्वारा विकास होना के लिए को और सदा हुआ और
ज्या मुल के केंद्र हुआ है, इसका एक जोनल डेवलपमेंट
उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973
का 9 के अन्तर्गत तैयार किया गया है। उपरीक्त जोनल
की कोशिश निम्नलिखित है।

उत्तर-वर्धन पट्टी।

यह-कक्षा कुल के समीप निरुद्ध के विकास होना की
ने बाले वर्धन पट्टी।

पूर-वर्धन पट्टी से नदी के को और वर्धन पट्टी।

पूर-वर्धन पट्टी से नदी के को और वर्धन पट्टी।

वाराणसी महा नगर में इस क्षेत्र का उपयोग असावित
प्रस्तावित है। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त
"एरिड कॉम्प्लेक्स" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव
उपरोक्त क्षेत्र के जोनल प्लान में सुनिश्चित होने से सख्त
कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास हेतु वर्तमान भवनों को दूर
प्रस्तावित बगों तथा खुले स्थान आदि प्रस्तावित किये गये
आरोहण "एरिड कॉम्प्लेक्स" के अन्तर्गत भूमि पर पित
आ के पल्लों का निर्माण किया जा सकता है उनके

मूल्य के सादर, भूतल पर कवर, फ्लोर एरि
भवनों की बंदाई, सैद बंदा तथा पार्किंग आदि के
लोनिंग रोगप्रति को तैयार किये गये हैं। ६
कॉम्प्लेक्स क्षेत्र का जोनल प्लान एवं उसके अन्तर्गत
पट्टी एवं मूल्य विकास कार्य तथा भूमि, अन्तर्गत
जाने वाली को शर्तों के बारे में विस्तृत विवरण
अन्तर्गत वाराणसी विकास प्राधिकरण
प्रस्तावित समय में प्रस्तुत की जा सकती है।
प्लान के अन्तर्गत से अन्तर्गत से लिखित करने से
आवश्यक किये जाते हैं तथा उक्त आवस्यता
गज़ट में लोनिंग प्रकाशित होने के एक माह
आवश्यक तानी आवस्यता एवं सुझाव सन्धि
प्राधिकरण, वाराणसी को सन्तोषित किये जाये।

(ह)

वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी।

[9, दिनांक 23 अगस्त, 1988]

सूचना

उत्तर प्रदेश जल संचयन तथा सौकर व्यवस्था अधिनियम,
1975 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट 43 ऑफ 1975) की धारा-25 की
धारा-2(6) के अन्तर्गत प्रवर्तक अधिकारी का प्रयोग करते
हुए कुर्बाय जल संचयन नगरपालिका द्वारा उत्तर प्रदेश जल नियम के

औद्योगिक व्यवसाय तथा वित्तियोग आयि-
कम विगसे जल कः पयभोग कशपर, व्यवसाय
विनिर्माण हेतुही उद पर 1.5 एम एम 0 शार्डः से
मोडर-लगे हों ।

(क) — ऐसे क्षेत्र जहाँ बालक रह जायें हैं ।

विशेष मोटर का आकार	अवकाश प्रदान प्रतिमा	मर घट प्रतिमा
1 20 घट प्रतिमा	175.00	475.00
2 25 घट प्रतिमा	250.00	500.00
3 50 घट प्रतिमा	500.00	1600.00
4 80 घट प्रतिमा	750.00	2500.00
5 100 घट प्रतिमा	1000.00	3500.00
6 150 घट प्रतिमा	1250.00	5000.00

(प्र) ऐसे और नहीं चलकर नहीं लाया है—			
विवरण मोटर का प्रकार	धरतू	संरक्षण	
	न्यूनतम प्रतिमाह	न्यूनतम प्रतिमाह	
	₹ 0	₹ 0	
1 30 एच 0 एच 0	130.00	42.00	
2 25 एच 0 एच 0	260.00	85.00	
3 50 एच 0 एच 0	520.00	170.00	
4 80 एच 0 एच 0	820.00	300.00	
5 100 एच 0 एच 0	1120.00	400.00	
6 150 एच 0 एच 0	1400.00	600.00	

नोट :- उपरोक्त संगीतों पर यदि एक ही मोटर से
उपरोक्त लिखा जाता है तो इस प्रकार से आगे बढ़ते रहें
इसलिए बालक साफ़ होवे ।

भयान निर्याण तस्मिन् काले मृत्युः (भयानीय शोक) :-

क-समस्त क्षेत्र रु. 3. 00 प्रति वर्ष प्रति मूल्य
परिधि ।

ख-प्रतीक क्षेत्र २० १.५० प्रति वर्गमीटर प्रमाण
परिमाण ।

नोट :- प्रत्यक्ष निर्माण कार्य मुरा होने के उपरान्त
 भूमि पर लेख में परिचयित होना। समयानुसार अधिकार का
 योजना किताब कायदा, परन्तु निर्धारित धरोहर पर धर्म
 का मुख्य फल होना। जो क्षेत्र बनवाया न तो खपत
 उत्पन्न। समयानुसार किया जायगा।

विकास शाखा

प्रमाण क्षेत्र—४० १.३५ प्रति वर्गमीटर भू-भाग के क्षेत्रफल पर।

(१) अनुसूचित जाति, जाति के व्यक्ति, वंश प्रभुत्व, विधवा, भू-हीन व्यक्ति तथा संस्था के अधिकारी/कर्मचारी समस्त वर्गों में, अतिरिक्त वंश प्रभुत्व तथा विधवाओं को भी प्रदान रहेगा।

(२) पुनर्वासित वरों के अधिक वरें यदि किसी आस्था में हों तो वह संपादित रहेगी।

नोट—यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल १०० मीटर के अधिक क्षेत्र पर उपलब्ध करवाया जाता है।

नोट—यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल १५ एम०एम० के अधिक क्षेत्रफल का क्षेत्रफल उपलब्ध करवाया जाय तो, उपलब्ध, औद्योगिक तथा विनिर्माण क्षेत्र में हो।

मीटर का आकार	क्षेत्र	क्षेत्र
	न्यूनतम	न्यूनतम
	प्रतिमा	प्रतिमा
	४०	४०
१ २० एम०एम०	२००.००	४५०.००
२ २५ एम०एम०	३००.००	९००.००
३ ५० एम०एम०	६५०.००	१८००.००
४ ८० एम०एम०	९५०.००	३६००.००
५ १०० एम०एम०	१२५०.००	४०००.००
६ १५० एम०एम०	१५००.००	५०००.००

औद्योगिक क्षेत्र, व्यवसाय तथा विनिर्माण क्षेत्र—यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल, जिनसे क्षेत्र का क्षेत्रफल, व्यवसाय, औद्योगिक तथा विनिर्माण क्षेत्र में ही और क्षेत्र पर १५ एम० एम० का क्षेत्र के अधिक क्षेत्रफल के क्षेत्रफल रहेगा।

क—यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल उपलब्ध करवाया है—

मीटर का आकार	क्षेत्र	क्षेत्र
	न्यूनतम	न्यूनतम
	प्रतिमा	प्रतिमा
	४०	४०
२० एम०एम०	२००.००	३५०.००
२५ एम०एम०	३००.००	१०००.००
५० एम०एम०	६५०.००	२०००.००
८० एम०एम०	९५०.००	३५००.००
१०० एम०एम०	१२५०.००	४०००.००
१५० एम०एम०	१५००.००	५०००.००

क—यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल

मीटर का आकार

क्षेत्र

क्षेत्र

न्यूनतम

न्यूनतम

प्रतिमा

प्रतिमा

		४५	४०
१ २० एम०एम०	२५०.००	६००.००	
२ २५ एम०एम०	३७५.००	१२००.००	
३ ५० एम०एम०	७५०.००	२४००.००	
४ ८० एम०एम०	१२००.००	४२००.००	
५ १०० एम०एम०	१५००.००	५५००.००	
६ १५० एम०एम०	२०००.००	१००००.००	

नोट—यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल १५ एम०एम० के क्षेत्रफल उपलब्ध करवाया जाय तो, उपलब्ध, औद्योगिक तथा विनिर्माण क्षेत्र में हो।

न्यूनतम क्षेत्रफल—

क—यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल ४० ४.५० प्रति वर्गमीटर क्षेत्र के क्षेत्रफल उपलब्ध करवाया है।

क—यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल ४० २.५० प्रति वर्गमीटर क्षेत्र के क्षेत्रफल उपलब्ध करवाया है।

नोट—यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल १५ एम०एम० के क्षेत्रफल उपलब्ध करवाया जाय तो, उपलब्ध, औद्योगिक तथा विनिर्माण क्षेत्र में हो।

नियम क्षेत्रफल—

क—यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल ४० ३.७५ प्रति वर्गमीटर क्षेत्र के क्षेत्रफल उपलब्ध करवाया है।

क—यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल ४० १.९८ प्रति वर्गमीटर क्षेत्र के क्षेत्रफल उपलब्ध करवाया है।

नोट—

१—यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल ४० ३.७५ प्रति वर्गमीटर क्षेत्र के क्षेत्रफल उपलब्ध करवाया जाय तो, उपलब्ध, औद्योगिक तथा विनिर्माण क्षेत्र में हो।

२—यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल ४० १.९८ प्रति वर्गमीटर क्षेत्र के क्षेत्रफल उपलब्ध करवाया जाय तो, उपलब्ध, औद्योगिक तथा विनिर्माण क्षेत्र में हो।

एम०एम० क्षेत्रफल,
महानगर,
मुम्बई क्षेत्र, नवीमुम्बई।

‘ बजट ’

अभिलेख का नाम : बजट

अभिलेख का प्रकार

अभिलेख

निम्न में से किसी एक प्रकार

को चुने

(नियम , विनियम , अनुदेश,

निर्देशिका ,

अभिलेख , अन्य)

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :- उत्तराखण्ड जल संस्थान के वार्षिक आय- व्ययक सम्बन्धित अभिलेख

नियम , विनियम , अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां उपलब्ध है ?

पता : कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
जल भवन , बी-ब्लॉक ,
नेहरू कालोन
देहरादून

दूरभाष :- 2676260,

फैक्स :- 2676177

ई0 मेल0

अन्य ..

नियम , विनियम , अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की
वास्तविक मूल्य
प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

वांछित अभिलेख की फोटो कापी का

‘ मैन्टीनेन्स मैनुअल ’

अभिलेख का नाम : मैन्टीनेन्स मैनुअल
प्रकार

को चुने
निर्देशिका ,

अभिलेख का अनुदेश

निम्न में से किसी एक प्रकार

(नियम ,विनियम ,अनुदेश,
अभिलेख , अन्य)

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :- पेयजल योजनाओं के समुचित रख रखाव सम्बन्धी अनुदेश ।

नियम ,विनियम, अनुदेश ,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां उपलब्ध है ?

पता : कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
जल भवन ,बी-ब्लॉक ,
नेहरू कालोन
देहरादून

दूरभाष :- 2676260,

फैक्स :- 2676177

ई0 मेल0

अन्य ..

नियम ,विनियम ,अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की
वास्तविक मूल्य
प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

वांछित अभिलेख की फोटो कापी का

‘ फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम ’

अभिलेख का नाम : फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम
प्रकार

को चुने
निर्देशिका ,

अभिलेख का अनुदेश

निम्न में से किसी एक प्रकार
(नियम ,विनियम ,अनुदेश,
अभिलेख , अन्य)

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :- अभिलेखों के समुचित रख रखाव एवं संचालन सम्बन्धी अनुदेश ।

नियम ,विनियम, अनुदेश ,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां उपलब्ध है ।

पता : कार्यालय, मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
जल भवन ,बी-ब्लॉक ,
नेहरू कालोन
देहरादून

दूरभाष :- 2676260,

फैक्स :- 2676177

अन्य ..

नियम ,विनियम ,अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की
वास्तविक मूल्य
प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

वांछित अभिलेख की फोटो कापी का



उत्तराखण्ड जल संस्थान 'जलभवन' बी-ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून।

पत्रांक / 6022 / कार्मिक / 01 / सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 / 85 / 2011-12 दिनांक
08.11.11

महाप्रबन्धक

(मुख्यालय / गढ़वाल / कुमायूँ)

उत्तराखण्ड जल संस्थान

देहरादून / पौड़ी / नैनीताल।

विषय:- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन के संबंध में।

आपको उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की छायाप्रति, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित सेवायें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा पेयजल एवं सीवर के संयोजन स्वीकृत करने की सेवायें चिन्हित हैं, की छायाप्रति एवं शासनादेश संख्या: 1353/XXXI(13)G/2011 सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 की छायाप्रति निम्न आदेशों के साथ प्रेषित है:-

1. उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचना संख्या: 1337/ XXXI(13)G/2011 दिनांक 28 अक्टूबर, 2011 से उत्तराखण्ड जल संस्थान के द्वारा विभिन्न व्यास की पाईप लाईन के द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले जल संयोजनों तथा नये सीवर संयोजनों के स्वीकृत करने की समय-सीमा प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी के नाम अधिसूचित किये हैं। पेयजल एवं सीवर संयोजन स्वीकृत करने तथा अपील निस्तारण करने की समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए।
2. यह सम्भव है कि नीचे के स्तर से पत्रावली प्राप्त होने पर कुछ कमियां परिलक्षित होने पर पत्रावली आपत्ति सहित नीचे के स्तर पर वापस की जाए अतः सम्यक विचारोपरांत 15 एवं 20 व्यास की पाईप लाईन के कनेक्शन स्वीकृत करने की समय-सीमा अधिकतम् 10 दिन निर्धारित की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर पत्रावली पर कार्यवाही करने की अधिकतम् समय-सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

क) जल संयोजन नगरीय क्षेत्र

राजस्व निरीक्षक / संबंधित कार्मिक-	2 दिवस
कनिष्ठ अभियंता	4 दिवस
सहायक अभियंता	2 दिवस
अधिशाली अभियंता	2 दिवस

ख) 20 एम.एम. व्यास से अधिक के घरेलू/अघरेलू जल संयोजन हेतु

अधीक्षण अभियंता	5 दिवस
महाप्रबन्धक	5 दिवस

यदि उच्च स्तर से आपत्ति सहित कोई पत्रावली वापस की जाती है तो उस पर नीचे के स्तर के द्वारा आपत्ति का निराकरण कर 01 दिन में पत्रावली पुनः उच्च स्तर पर प्रेषित करनी होगी। यदि नीचे के स्तर के अधिकारी को किसी आपत्ति का निराकरण उससे भी नीचे के स्तर से कराया जाना है तो वह स्वयं यह व्यवस्था करेगा किन्तु पत्रावली 01 दिन में ही वापस की जानी होगी।

अधिकतम समय-सीमा में पत्रावली को उच्च स्तर पर प्राप्त कराया जाना सम्मिलित है।

क) जल संयोजन ग्रामीण क्षेत्र

कनिष्ठ अभियंता कार्यालय	2 दिवस
कनिष्ठ अभियंता	4 दिवस
सहायक अभियंता	2 दिवस
अधिशाली अभियंता	2 दिवस

ख) 20 एम.एम. व्यास से अधिक के घरेलू/अघरेलू जल संयोजन हेतु

अधीक्षण अभियंता	5 दिवस
महाप्रबन्धक	5 दिवस

यदि उच्च स्तर से आपत्ति सहित कोई पत्रावली वापस की जाती है तो उस पर नीचे के स्तर के अधिकारी आपत्ति का निराकरण कर 01 दिन में पत्रावली पुनः उच्च स्तर पर प्रेषित करनी होगी। यदि नीचे के स्तर के अधिकारी को किसी आपत्ति का निराकरण उससे भी नीचे के स्तर से कराया जाना है तो वह स्वयं यह व्यवस्था करेगा किन्तु पत्रावली 01 दिन में ही वापस की जानी होगी।

अधिकतम समय-सीमा में पत्रावली को उच्च स्तर पर प्राप्त कराया जाना सम्मिलित है।

3. सीवर संयोजन के लिए भी उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
4. अधिनियम के अनुसार संयोजन स्वीकृति करने में देरी होने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्राविधान है अतः शास्ति उसी स्तर पर आरोपित की जायेगी जिस स्तर पर विलम्ब होगा।
5. जल/सीवर संयोजन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। इसी आवेदन पत्र को प्राप्त कर जल/सीवर संयोजन स्वीकृत किये जाए।
6. जल/सीवर संयोजन स्वीकृत करने की प्रक्रिया कनिष्ठ अभियंता कार्यालय स्तर से प्रारम्भ होती है अतः देहरादून नगर की उत्तर एवं दक्षिण शाखा को छोड़कर शेष शाखाओं में समस्त कनिष्ठ अभियंता कार्यालयों में कनिष्ठ अभियंता पदाभिहित अधिकारी होंगे, उत्तर एवं दक्षिण शाखा में पदाभिहित अधिकारी संबंधित राजस्व निरीक्षक होंगे इन कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर शासनादेश संख्या: 1353/XXXI(13)G/2011 सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 से प्राप्त प्रारूप-1 के अनुसार स्पष्ट सूचना प्रदर्शित की जाए। किसी भी स्तर पर विलम्ब को समाप्त करने के लिए संबंधित शाखाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके तथा नीचे के स्तर पर जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संयोजन स्वीकृति की कार्यवाही की जानी है उनके अवकाश पर अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित होने पर संयोजन स्वीकृत करने संबंधी कार्य अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाए।

इस पट्ट पर अथवा इसके साथ एक अन्य पट्ट बनाकर संलग्न निर्देश एवं विवरण भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

7. जल/सीवर संयोजन का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त शासनादेश के साथ प्राप्त प्रारूप-2 के अनुसार उपभोक्ता को प्राप्ति प्राप्त करायी जायेगी। प्रत्येक कार्यालय के लिए संबंधित चिन्हित कर लिया जाए जो यह प्राप्ति उपभोक्ता को दे।
8. प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में एक पंजिका रखी जायेगी जो उपरोक्त शासनादेश के साथ प्राप्त प्रारूप-3 के द्वारा निश्चित प्रारूप पर रखी जायेगी।
9. प्रत्येक अधीक्षण अभियंता एवं महाप्रबन्धक विभिन्न संयोजनों के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी भी है अतः उनके द्वारा शासनादेश के साथ प्राप्त प्रारूप-4 के द्वारा निश्चित प्रारूप पर रखी जायेगी।
10. नये संयोजन पत्रावली के आगमन एवं निर्गमन की तिथि अंकित करने का प्रारूप भी पत्रावली में चस्पा किया जाए। इसी प्रकार प्रत्येक स्तर पर एक रजिस्टर में भी पत्रावलियों के आगमन एवं निर्गमन संबंधी सूचना अभिलेखित की जाए।

उपरोक्त आदेश अधिनियम की भावना के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा के अन्दर संयोजन स्वीकृत करने के उद्देश्य से निर्गत है। इसमें यदि किसी भी संशोधन अथवा अन्य कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता हो, जिससे संयोजन स्वीकृत करने की प्रक्रिया और भी सरल हो सके तो उसे भी समाहित कर लिया जाए।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

ह0/-
(डी.डी. डिमरी)
मुख्य महाप्रबन्धक

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. समस्त अधीक्षण अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
4. सहायक लेखाधिकारी(अधि.), उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

ह0/-
मुख्य महाप्रबन्धक

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3 समस्त जिलाधिकारी/
मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2-मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4-समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

समान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक 31 अक्टूबर 2011

विषय:- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की संख्या 307/XXXVI(3)/2011/55(1)/2011 दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 द्वारा प्रेषित "उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011" से सम्बन्धित अधिसूचना की प्रति एतद्वारा संलग्न कर संप्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 1337/XXXII(13)/G/2011 दिनांक 28 अक्टूबर 2011 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत चिह्नित "सेवाओं" के विभागीय "पदाभिहित अधिकारी" द्वारा नियत समय-सीमा के अन्तर्गत सेवा के रूप में प्रदान किया जाना बाध्यकारी है। अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति के आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन का नियत समय सीमा के भीतर निरस्तारण नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा-9 में दण्ड अथवा शास्ति का प्रावधान किया गया है।

2. अतः उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की महत्ता को दृष्टिगत रखते अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

- (1) उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 11 के अन्तर्गत सम्बंधित विभाग के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय अधिसूचित सेवाओं तथा समय-सीमा को विभाग की वेबसाईट पर अवश्य प्रदर्शित किया जाय।
- (2) उत्तराखण्ड राज्य के विभागाध्यक्षों के नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम, आदि की स्पष्ट सूचना का संलग्न प्रकृति-1 के अनुसार प्रदर्शित किया जाय।
- (3) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक सेवा प्रदाता पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान किये जाने हेतु आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी कार्यालय के सूचना पटों पर अवश्य प्रदर्शित की जाय।

- (4) अधिनियम की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि सेवा हेतु आवेदन की प्राप्ति के समय ही सक्षमों पूर्वक यह देख लिया जाय कि आवेदन यथा आवश्यक दस्तावेजों (बैंक लिस्ट) के अनुरूप पूर्ण हों। सेवा हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन की प्राप्ति संलग्न प्रारूप-2 के अनुरूप दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाय। प्राप्ति प्रारूप की एक प्रति आवेदक को दी जाय।
- (5) अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न सेवाओं से सम्बंधित आवेदन पत्रों एवं उन पर कृत कार्यवाही के विवरण ला रख-रखाव महत्वपूर्ण है। पदामिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के स्तर पर संलग्न प्रारूप-3, 4 एवं 5 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रक्रियाएँ तैयार की जायेंगी तथा निरन्तरित रूप से इनमें सूचनाएँ अद्यावधिक की जायेंगी।
3. यह भी आवश्यक है कि मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा मण्डलों/जनपदों में इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों एवं उनके समयान्तर्गत निस्तारण की रागीक्षा अपने मासिक विभागीय समीक्षा बैठक में अवश्य कर ली जाय, और इसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध कराया जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- निम्नवत् (छ: संलग्नक)।

- 1- सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011
- 2- चिन्हित सेवाएं, पदामिहित अधिकारी, समय-सीमा, प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
- 3- सूचना पट का प्रारूप-1
- 4- आवेदन पत्र की प्राप्ति का प्रारूप-2
- 5- पदामिहित अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली मंजित्र का प्रारूप-3
- 6- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली मंजित्र का प्रारूप-4
- 7- द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली मंजित्र का प्रारूप-5

भवदीय,
(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या- /xxxi(13)6/2011 तदतिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(मनीषा पंवार)
सचिव।

(3)

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पैयजल अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 29 जनवरी, 2013

विषय:-उत्तराखण्ड जल संस्थान में जलमूल्य व अन्य मदों की वर्तमान दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3781/ वि0 अनु0/02/ अ0 बो0बै0 अनु0/2010-11 दिनांक 08.10.2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड की अष्टम् बैठक दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के प्रस्ताव संख्या-8(9) के निर्णयानुसार उत्तराखण्ड जल संस्थान में जलमूल्य व अन्य मदों की वर्तमान दरों के पुनरीक्षण किये जाने के प्रस्ताव पर शासन की अनुमति चाही गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड (उ.प्र. जल सन्स्पर्ण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2007 की धारा 59 के अनुसार गजट अधिसूचना से जल संस्थान जल मूल्य निर्धारित कर सकता है और ऐसी दशा में शासन के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अतः उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड द्वारा जल मूल्य व अन्य मदों की वर्तमान दरों में पुनरीक्षण की निम्न प्रतिबन्ध के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

- क- प्रस्तावित जल स्तम्भ शुल्क 15 रु0 प्रतिमाह के स्थान पर 10 रु0 प्रतिमाह प्रति परिवार लिया जायेगा।
- ख- रा0 प्राथमिक विद्यालयों को संस्थागत संयोजन के स्थान पर घरेलू संयोजन की श्रेणी में रखा जायेगा।
- ग- प्रस्तावित टैरिफ की दरें 01 अप्रैल, 2013 से लागू होगी।

3. अतः उक्त अधिनियम, 1975 की धारा 59 के प्राविधानान्तर्गत अपने स्तर से जल मूल्य व अन्य मदों की वर्तमान दरों के पुनरीक्षण के संबंध में गजट में अधिसूचना द्वारा कार्यवाही करने का कष्ट करे।

अनुपालन 29/1

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

29/1

(2)

संख्या-1007/उन्तीस(1)/06-5910/2004

प्रेषक

डा0एस0एस0सन्धू

सचिव

उत्तरांचल शासन

सेवामे

मुख्य महाप्रबन्धक

उत्तरांचल जल संस्थान

देहरादून।

पेयजल अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 13 अक्टूबर, 2006

विषय उत्तरांचल जल संस्थान की जलकर/जलमूल्य, सीवर कर/सीवर मूल्य की वर्तमान टैरिफ दरों में संशोधन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5538/बोर्ड बैठक अनु0/2005-06 दिनांक 18 फरवरी 2006 में उत्तरांचल जल संस्थान बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 28 जनवरी 2006 के प्रस्ताव सं0-1 के निर्णय के अनुपालन में उत्तरांचल जल संस्थान की जलकर/जलमूल्य, सीवर कर/सीवर मूल्य की वर्तमान टैरिफ दरों में संशोधन के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल एवं सीवर के उपभोक्ताओं पर जलकर एवं सीवर कर को स्थगित (समाप्त) करने का निर्णय लिया गया है तथा इन उपभोक्ताओं से पूर्व स्वीकृत करों के स्थान पर सरकारी गजट उत्तरांचल दिनांक 18 अक्टूबर 2003 द्वारा निर्धारित टैरिफ में निम्न विवरणानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) सभी प्रकार के सीवर उपभोक्ताओं से निम्नानुसार सीवर संयोजन चार्ज निर्धारित किया जायेगा :-

क्रमसं0	भवन का वार्षिक मूल्यांकन	सीवर संयोजन चार्ज प्रतिमाह
1	रु0 360.00 तक	रु0 10.00 प्रति माह
2	रु0 361.00 से रु0 2000.00 तक	रु0 15.00 प्रति माह
3	रु0 2001.00 से अधिक	रु0 20.00 प्रति माह
4	अघरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये	रु0 20.00 प्रति सीट प्रतिमाह

(2) घरेलू श्रेणी के सभी जल उपभोक्ताओं पर जलकर स्थगित (समाप्त) किया जाय। पूर्व की भांति केवल न्यूनतम जलमूल्य चार्ज किया जाय।

क्रमशः 2

मु. क. उ.

दिनांक 13 अक्टूबर 2006

म. न. म. म.

10/10/06

- (3) अघरेलू श्रेणी के सभी जल उपभोक्ताओं पर जलकर रथगित (समाप्त) किया जाय। पूर्व की भांति केवल न्यूनतम जलमूल्य चार्ज किया जाय। ऐसे उपभोक्ताओं से मीटर रीडिंग के आधार पर वास्तविक खपत के अनुसार पूर्व स्वीकृत जलमूल्य की दरों पर देयक भेजे जाय, किन्तु निम्न श्रेणी के अघरेलू उपभोक्ताओं के लिये प्रति संयोजन न्यूनतम जलमूल्य प्रभार में निम्नानुसार वृद्धि की जाय :-

क्र० सं०	विवरण	वर्तमान न्यूनतम प्रभार			प्रस्तावित न्यूनतम प्रभार		
		गुरुत्व	लो-हैड	हाई-हैड	गुरुत्व	लो-हैड	हाई-हैड
क	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	287.50	345.00	402.50	300.00	400.00	500.00
ख	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	253.00	287.50	345.00	275.00	325.00	375.00
ग	अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्थागत प्रतिष्ठान	253.00	284.50	287.50	275.00	300.00	350.00

- (4) ऐसे भवन/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिनके द्वारा जल संयोजन नहीं लिया गया है वे जल या तो अन्य संयोजनों से प्राप्त करते हैं अथवा प्रथम स्ट्रेट के भू-जल को बोरिंग कर प्राप्त करते हैं। प्रथम स्ट्रेट का भू-जल प्रायः दुषित होता है तथा इसके उपयोग से बिमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिये इस व्यवस्था को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व की भांति जलकर आरोपित किया जायेगा किन्तु यह व्यवस्था बी०पी०एल० श्रेणी के परिवारों पर लागू नहीं होगी।
- (5) जलमूल्य मद में प्रति वर्ष की जा रही 7.5 प्रतिशत की वृद्धि को दिनांक 01 अप्रैल 2006 से समाप्त कर इसके स्थान पर स्वीकृत दरों पर प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाय। प्रथम वृद्धि दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 से प्रभावी होगी।
- (6) (1) उत्तरांचल जलसंस्थान के देयकों का समयान्तर्गत भुगतान करने के लिये उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से "सरचार्ज" की व्यवस्था की जाय निर्धारित अवधि जो कि अधिकतम 30 दिन होषी, के अंतर्गत भुगतान करने से पूर्व की भांति निर्धारित छूट अनुमन्य होगी।

- (2) 60 दिवस तक भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त धनराशि चार्ज नहीं की जायेगी किन्तु 60 दिवस के पश्चात भुगतान करने पर विलम्ब अवधि के लिये 1.5 प्रतिशत मासिक दर से "सरचाज" चार्ज किया जायेगा।
- (7) सर्विस सुपरवीजन शुल्क व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा० एस०एस०एस०एस०)

सचिव

19/3/06

सं०- 1616/नौ-2 (275 पै०)/2001

प्रेषक,

सचिव पेयजल
उत्तरांचल शासन,
देहरादून ।

सेवामें,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग -

देहरादून: दिनांक ०८ अक्टूबर ०३


विषय : उत्तरांचल जल संस्थान की जलमूल्य आदि की दरों का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल जल संस्थान बोर्ड की 'प्रथम' बैठक दिनांक 23 दिसम्बर 2002 में जल संस्थान के टैरिफ के संबंध में पारित प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति दिये जाने के संबंध में अपने पत्र संख्या -1537/बोर्ड बैठक अनु०/2003-04 दिनांक 2 जुलाई, 2003 का कृपया संदर्भ लें ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये टैरिफ की पुनरीक्षित दरों का संचालन बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 23 दिसम्बर 2002 के प्रस्ताव-06 के अनुमोदन अनुसार प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ लागू करने की अनुमति प्रदान की जाती है कि जल स्तम्भ की दरें जो कि बहुत न्यून हैं, के उपभोक्ता निर्बल वर्ग के होने के कारण तथा शुल्क की वसूली में होने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जल स्तम्भ शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया गया है । शेष अन्य दरें जल संस्थान बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ही रहेगी ।

कृपया तदनुसार जल संस्थान में वर्तमान में विद्यमान जल मूल्य की दरों, जलकर, एवं सीवर कर को पुनरीक्षित करके तात्कालिक प्रभाव से तुरन्त लागू किया जाय तथा सम्बन्धित अधिसूचना की 10-10 प्रतियां शासन के उपयोगार्थ तत्काल उपलब्ध करायी जाय

भवदीय,

(पी० के० महान्ति)
सचिव



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 अक्टूबर, 2006 ई० (आश्विन 22, 1928 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल

विज्ञप्ति

30 अगस्त, 2006 ई०

संख्या 119/XIV/30/प्रशा० अनु०-अ/2003-श्री के०डी० मट्ट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरकाशी को दिनांक 10-07-2006 से 14-07-2006 तक 05 दिन का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया गया।

न्यायालय की आज्ञा से,

रवीन्द्र मैठाणी,

अपर निबन्धक।

HIGH COURT OF UTTARANCHAL

AT NAINITAL

NOTIFICATION

August 31, 2006

No. 120/UHC/Admin. A/2006-Sri Birbhan Singh, Addl. District & Sessions Judge 7th F.T.C., Dehradun is hereby appointed Special Judge (E.C. Act) under section 12 A(2) of Essential Commodities Act, in addition to his duties.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

V. K. MAHESHWARI.

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तरांचल

(फार्म अनुभाग)

विज्ञप्ति

14 सितम्बर, 2006 ई०

पत्रांक 1478/फार्म अनु०-2006-2007/आ०घो०प०/खोया/चोरी/नष्ट हुए-उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 (यथा उत्तरांचल में लागू) के नियम-85 के उपनियम (12) सहपठित उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अध्यादेश, 2005 नियम 31(8) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं, आयुक्त कर, उत्तरांचल, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र/फार्म सी/जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 85 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :-

क्र०सं०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए आ०घो० पत्रों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए आ०घो० पत्रों का क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री गैरी अप्रैल 15 कल्याणी व्यू, आवास विकास, रुद्रपुर	02 आयात घोषणा पत्र	UM/D--007891 से UM/D--007892 तक

एस० रामास्वामी,
आयुक्त कर,
उत्तरांचल, देहरादून।

कार्यालय, मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, "जल भवन"

बी-ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून

09 अक्टूबर, 2006 ई०

पत्रांक 3354/वि०अनु०टैरिफ/2006-07-उत्तरांचल, (उत्तर प्रदेश जल सम्मरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2), (6) एवं धारा 52 (2) की उपधारा (1) एवं धारा 59 (1), (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तरांचल जल संस्थान बोर्ड के अनुमोदन एवं शासनादेश सं०-बी०आई०पी० 02/उन्तीस (1)/06-2 (59 पे०)/2004 पेयजल अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 04 मार्च, 2006 तथा शासनादेश संख्या-222/उन्तीस (1)/06-2 (59 पे०)/2004 पेयजल अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 18 मार्च, 2006 द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति उपरान्त शासनादेश संख्या-1007/उन्तीस (1)/06-2 (59 पे०)/2004 पेयजल अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 03 अक्टूबर, 2006 के अनुपालन में उत्तरांचल जल संस्थान अपने क्षेत्रान्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शायी गयी दरें राजपत्र में प्रकाशित कर दिनांक 01 अक्टूबर, 2006 अथवा राजपत्र में प्रकाशन की तिथि, जो भी पहले हो, से प्रभावी करता है। अन्य दरें जिनको पुनरीक्षित नहीं किया गया है, वह यथावत प्रभावी रहेंगी।

1-घरेलू श्रेणी के सभी जल उपभोक्ताओं पर जलकर स्थगित (समाप्त) किया जाता है। उपभोक्ताओं से पूर्व की भांति केवल न्यूनतम जलमूल्य चार्ज किया जायेगा।

2-अधरेलू श्रेणी के सभी जल उपभोक्ताओं पर जलकर स्थगित (समाप्त) किया जाता है। अधरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से मीटर रीडिंग के आधार पर वास्तविक खपत के अनुसार पूर्व स्वीकृत जलमूल्य की दरों पर देयक भेजे जायें, किन्तु निम्न श्रेणी के अधरेलू उपभोक्ताओं के लिये प्रति संयोजन न्यूनतम जलमूल्य प्रभार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

न्यूनतम प्रभार प्रतिमाह (15 एम०एम० व्यास मीटर की अघरेलू जलापूर्ति)

क्रमांक	विवरण	गुरुत्व	लो हैड	हाई हैड
1.	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	300.000	400.000	500.000 ✓
2.	अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	275.000	325.000	375.000
3.	अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्थागत प्रतिष्ठान	275.000	300.000	350.000

नोट-उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी की दरें जिन्हें पुनरीक्षित नहीं किया गया है, वह यथावत प्रभावी रहेंगी। उपरोक्त दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि दिनांक 01-10-2008 से प्रभावी होगी।

3-सर्विस, सुपरविजन फीस (शुल्क) की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। उपभोक्ता अपने निजी जल संयोजन का रखरखाव स्वयं करेंगे।

4-जलमूल्य मद में प्रतिवर्ष की जा रही 7.50 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि को दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से समाप्त किया जाता है। इसके स्थान पर स्वीकृत दरों पर प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। प्रथम वृद्धि दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 से प्रभावी होगी।

5-ऐसे भवन/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिनके द्वारा जल संयोजन नहीं लिया गया है, वह जल या तो अन्य संयोजनों से प्राप्त करते हैं अथवा प्रथम स्ट्रेटा के भू-जल को बोरिंग कर प्राप्त करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से पूर्व की मांग जलकर आरोपित किया जायेगा। किन्तु यह व्यवस्था बी०पी०एल० श्रेणी के परिवारों पर लागू नहीं होगी।

6-उत्तरांचल जल संस्थान के सभी उपभोक्ताओं पर सीवरकर की व्यवस्था को स्थगित (समाप्त) किया जाता है।

7-घरेलू श्रेणी के सीवर संयोजनों वाले भवनों के लिये निर्धारित रु० 15.00 प्रतिशीट प्रतिमाह की व्यवस्था को समाप्त कर अब सभी सीवर उपभोक्ताओं से निम्नानुसार सीवर संयोजन चार्ज निर्धारित किया जाता है :-

क्र०सं०	भवन का निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन	सीवर संयोजन शुल्क (चार्ज)
1.	रु० 360.00 तक	10.00 प्रतिमाह
2.	रु० 361.00 से 2000.00 तक	15.00 प्रतिमाह
3.	रु० 2001.00 से अधिक	20.00 प्रतिमाह

नोट-उपरोक्त दरें एक संयोजन के लिये हैं, दो या अधिक सीवर संयोजनों पर प्रतिमाह उपरोक्तानुसार अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

(ब) अघरेलू श्रेणी में वर्गीकृत विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से रु० 20.00 प्रतिशीट प्रतिमाह चार्ज किया जायेगा।

8-उत्तरांचल जल संस्थान के देयकों का समयान्तर्गत भुगतान करने के लिये उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार "सरचार्ज" की व्यवस्था की जाती है-

- न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमत्य नहीं होगी, अर्थात् 10 हजार लीटर प्रतिमाह पेयजल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमत्य होगी।
- 60 दिवस तक भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त घनराशि चार्ज नहीं की जायेगी। किन्तु 60 दिवस के पश्चात् भुगतान करने पर विलम्ब अवधि के लिये 1.50 प्रतिशत मासिक दर से "सरचार्ज" चार्ज किया जायेगा।

नोट-

1-विशेष श्रेणी में स्टार होटल, नर्सिंग होम, कोल्ड स्टोरेज, आईस फैक्ट्री, बाटलिंग प्लांट, गैराज, सर्विस

समय पर अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे।

3-ऐसे स्थान जहां पर गुरुत्व लो हैड एवं हाई हैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो, वहां उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा।

4-उपरोक्त दरों के अतिरिक्त अन्य दरें जो पुनरीक्षित या समाप्त नहीं की गयी हैं, वह दिनांक 01-10-2003 से प्रभावी टैरिफ की शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार यथावत रहेंगी।

5-राजपत्र दिनांक 31-12-2005, भाग-01-क में प्रकाशित व्यवस्था यथावत लागू रहेंगी।

6-उपरोक्त सभी पुनरीक्षित दरों अथवा जिन दरों को पुनरीक्षित नहीं किया गया है, में प्रथम वृद्धि दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 से प्रभावी होंगी।

7-15 प्रतिशत की वृद्धि दिनांक 01 अक्टूबर, 2003 के प्रभावी टैरिफ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल दर पर होगी। अर्थात् दिनांक 01-10-2005 को की गयी वृद्धि यथावत लागू रहेगी, इसके उपरान्त अगली 15 प्रतिशत की वृद्धि दिनांक 01-10-2008 को होगी।

एच०पी० उनियाल,
मुख्य महाप्रबन्धक।

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय, मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, "जल भवन",

बी-ब्लॉक, नेहरु कालोनी, देहरादून

30 जनवरी, 2013 ई०

पत्रांक/5722/वि०अनु०/०२/टैरिफ/2012-13-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्मरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2), (6) एवं धारा 59 (1), (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड के अनुमोदन एवं शासनादेश संख्या 118/उन्तीस (1)/2013-(59पे०)/2004 पेयजल अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 29 जनवरी, 2013 के अनुपालन में उत्तराखण्ड जल संस्थान अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुसूची में दर्शायी गयी पुनरीक्षित दरें सरकारी गजट में प्रकाशित कर, दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी करता है।

- न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) ₹ प्रतिमाह घरेलू नगरीय क्षेत्र की जलापूर्ति हेतु नगरपालिका परिषद् द्वारा निर्धारित भवन के वार्षिक मूल्यांकन (Annual Rental Value) पर 15 एम०एम० के संयोजन हेतु-

क्र० सं०	भवन का वार्षिक मूल्यांकन	पुनरीक्षित दर		
		गुरुत्व	लो हैड	हाई हैड
1.	₹ 360.00 तक	90.00	95.00	102.00
2.	₹ 361.00 से 2,000.00 तक	95.00	102.00	110.00
3.	₹ 2,001.00 से 3,500.00 तक	112.00	120.00	135.00
4.	₹ 3,501.00 से 6,000.00 तक	150.00	164.00	187.00
5.	₹ 6,001.00 से 8,000.00 तक	179.00	187.00	224.00
6.	₹ 8,001.00 से 10,000.00 तक	209.00	224.00	239.00
7.	₹ 10,001.00 से 12,000.00 तक	224.00	239.00	260.00
8.	₹ 12,001.00 से 14,000.00 तक	239.00	260.00	275.00
9.	₹ 14,001.00 से अधिक	325.00	350.00	375.00

नोट-(1) नगर क्षेत्र में जिन भवनों में अध्यासी द्वारा अलग से संयोजन लिया हुआ है किन्तु उनके नाम से वार्षिक मूल्यांकन अंकित नहीं है, ऐसे उपभोक्ताओं से ₹ 360.00 तक के लिये निर्धारित भवन के वार्षिक मूल्यांकन के अनुसार न्यूनतम प्रभार लिया जायेगा।

(2) ऐसे स्थान जहां पर गुरुत्व, लोहैड एवं हाईहैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो, वहां उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा।

(3) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

- घरेलू न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) (₹ प्रतिमाह) नगरीय एवं ग्रामीण, 15 एम०एम० से अतिरिक्त मीटर साईज के कनेक्शन हेतु :-

क्र० सं०	मीटर साईज (एम०एम०)	पुनरीक्षित दर		
		गुरुत्व	लो हैड	हाई हैड
1.	20	380.00	450.00	520.00
2.	25	600.00	750.00	900.00

टिप्पणी—

- (क) घरेलू उपयोग के लिये 25 एम0एम0 फेरुल साईज से ऊपर के संयोजन आवास विकास परिषद्/सरकारी/अर्द्ध सरकारी कालोनी एवं सरकारी आवासीय समितियों को छोड़कर अन्य किसी को नहीं दिये जायेंगे। उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त 25 एम0एम0 व्यास से अधिक के वर्तमान जल संयोजनों के लिये दरें, अनुबन्ध के आधार पर निर्धारित की जायेंगी। अघरेलू की अन्य दरें व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिये निर्धारित दर से कम नहीं होगी।
- (ख) ऐसे स्थान जहां पर गुरुत्व, लोहेड एवं हाईहैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो वहां उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा।
- (ग) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

3. न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) ₹ प्रतिमाह जहां भवन का वार्षिक मूल्यांकन नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्र की घरेलू जलापूर्ति—

क्र० सं०	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरुत्व	लोहेड	हाईहैड
1.	एक टॉटीयुक्त जल संयोजन	55.00	60.00	67.00
2.	दो टॉटीयुक्त जल संयोजन	67.00	75.00	90.00
3.	तीन टॉटीयुक्त जल संयोजन	90.00	112.00	135.00
4.	चार टॉटीयुक्त या उससे अधिक	112.00	135.00	150.00

नोट—उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

4. जल मूल्य दरें (अघरेलू मीटरयुक्त संयोजन) ₹ प्रति किलो लीटर (प्रतिमाह)—

क्र० सं०	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरुत्व	लोहेड	हाईहैड
1	2	3	4	5
1.	नगरपालिका परिषद् क्षेत्र—			
	(क) विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	12.50	15.60	18.75
	(ख) अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	11.00	12.50	16.50
	(ग) अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/ छावनी परिषद्	10.50	12.00	16.50
2.	नगर पंचायत क्षेत्र/म्यूनि० बहुउद्देशीय	10.50	10.50	16.50
3.	ग्रामीण क्षेत्र	10.50	10.50	16.50

नोट—(1) जलमूल्य बिल के निर्गम तिथि के 30 दिवस के अन्तर्गत भुगतान करने पर जलमूल्य धनराशि के 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट केवल चालू वर्ष की मांग पर अनुमन्य होगी।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

5. न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) ₹ (15 एम0एम0 मीटर अधरेलू जलापूर्ति हेतु)–

क्र० सं०	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरुत्व	लोहैड	हाईहैड
1.	नगरपालिका परिषद् क्षेत्र–			
	(क) विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	415.00	550.00	700.00
	(ख) अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	380.00	450.00	520.00
	(ग) अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/छावनी परिषद्	375.00	425.00	485.00
2.	नगर पंचायत क्षेत्र/म्युनि० बहुउद्देशीय	235.00	315.00	350.00
3.	ग्रामीण क्षेत्र	175.00	195.00	235.00

नोट–(1) न्यूनतम प्रभार 10 किलोलीटर तक खपत के लिये है।

(2) न्यूनतम प्रभार पर छूट देय नहीं होगी अर्थात् 10,000 लीटर प्रतिमाह पेयजल खपत के ऊपर देयक पर ही निर्धारित तिथि तक भुगतान होने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(3) विशेष श्रेणी में स्टार होटल, नर्सिंग होम, कोल्ड स्टोरज, आईस फैक्ट्री, बाटलिंग प्लांट, गैराज सर्विस, स्टेशन, आवासीय विद्यालय तथा समय-समय पर अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे।

(4) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को संस्थागत संयोजन के स्थान पर घरेलू श्रेणी की श्रेणी में रखा जायेगा।

(5) ऐसे स्थान जहां गुरुत्व लोहैड एवं हाईहैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो, वहां उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जाएगा।

(6) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

6. जलमूल्य दरें (मीटरयुक्त घरेलू संयोजन हेतु) ₹ प्रति किलो लीटर (प्रतिमाह)–

क्र० सं०	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरुत्व	लोहैड	हाईहैड
1.	घरेलू दरें, मीटर युक्त (दर ₹ प्रति कि०ली०)			
	(क) नगर क्षेत्र	4.00	5.50	6.25
	(ख) ग्रामीण क्षेत्र	3.10	4.70	6.25

नोट–(1) निर्धारित तिथि तक बिल भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट वर्ष की चालू मांग पर देय होगी।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

7. (अ) घरेलू श्रेणी के सीवर संयोजनों वाले भवनों के लिये निर्धारित सीवर संयोजन शुल्क (चार्ज) प्रतिमाह प्रति संयोजन—

क्र० सं०	भवन का वार्षिक मूल्यांकन	पुनरीक्षित दर
1.	₹ 360.00 तक	12.00
2.	₹ 361.00 से 2,000.00 तक	18.00
3.	₹ 2,001 से 3500.00 तक	27.00
4.	₹ 3,501.00 से 6,000.00 तक	30.00
5.	₹ 6,001.00 से 8,000.00 तक	35.00
6.	₹ 8,001.00 से 10,000.00	40.00
7.	₹ 10,001.00 से 12,000.00 तक	45.00
8.	₹ 12,001.00 से 14,000.00 तक	50.00
9.	₹ 14,001.00 से ऊपर	60.00

नोट—(1) उपरोक्त दरें एक संयोजन के लिये हैं, दो या अधिक सीवर संयोजनों पर प्रतिमाह उपरोक्तानुसार अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

7. (ब) अघरेलू श्रेणी में वर्गीकृत विभिन्न श्रेणी के सीवर उपभोक्ताओं के लिये प्रतिसीट प्रतिमाह सीवर शीट चार्ज—

क्र० सं०	विवरण	पुनरीक्षित दर
1.	अघरेलू श्रेणी प्रतिशीट प्रतिमाह	27.00

नोट—उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

8. विकास शुल्क (₹ में)—

घरेलू/अघरेलू जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था पर पूंजित व्यय के लिये विकास शुल्क (प्लॉट एरिया पर) ₹ में निम्नानुसार होगा :—

परिक्षेत्र	विकास शुल्क (जलापूर्ति व्यवस्था)					
	गुरुत्व		लोहैड		हाईहैड	
	दरें प्रतिवर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार	दरें प्रति वर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार	दरें प्रतिवर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार
नगरीय	11.00	1100.00	15.00	1500.00	22.00	2200.00
ग्रामीण	4.00	400.00	7.25	725.00	11.00	1100.00
	विकास शुल्क (सीवर व्यवस्था)					
	गुरुत्व		लोहैड		हाईहैड	
	दरें प्रतिवर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार	दरें प्रति वर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार	दरें प्रतिवर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार
नगरीय	11.00	1100.00	15.00	1500.00	22.00	2200.00
ग्रामीण	4.00	400.00	7.25	725.00	11.00	1100.00

नोट—(1) न्यूनतम प्रभार 100 वर्गमीटर प्लॉट एरिया के लिये निर्धारित है किन्तु जल/सीवर संयोजन के आवेदन पर निम्न आय वर्ग वाले जिनका प्लॉट एरिया 100 वर्गमीटर से कम है, ऐसे आवेदकों से वास्तविक प्लॉट एरिया पर न्यूनतम प्रभार के स्थान पर प्रतिवर्गमीटर हेतु निर्धारित दर से विकास शुल्क लिया जायेगा।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

9. मीटर किराये की दरें प्रतिमाह (₹ में)—

क्रमांक	मीटर साईज (एम0एम0)	पुनरीक्षित दर
1.	15	7.50
2.	20	9.00
3.	25	12.00
4.	32	13.00
5.	40	15.00
6.	50	22.00
7.	80	30.00
8.	100	45.00
9.	150 और उससे अधिक	60.00

नोट—उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

10. औद्योगिक, व्यावसायिक, भवन निर्माण आदि हेतु न्यूनतम दरें न्यूनतम प्रभार (अधरेलू) ₹ प्रतिमाह—

क्र० सं०	मीटर साईज (एम0 एम0)	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक			अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान			अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान			म्यूनिसिपल बहुउद्देशीय			छावनी परिषद्		
		गुरुत्व	लोहैड	हाई हैड	गुरुत्व	लोहैड	हाई हैड	गुरुत्व	लोहैड	हाई हैड	गुरुत्व	लोहैड	हाई हैड	गुरुत्व	लोहैड	हाई हैड
1.	20	1047	1196	1346	1047	1196	1346	523	598	673	523	598	673	523	598	673
2.	25	2243	2542	2691	2243	2542	2691	1121	1271	1346	1121	1271	1346	1121	1271	1346
3.	50	4037	4485	4934	4037	4485	4934	4037	4485	4934	4037	4485	4934	4037	4485	4934
4.	80	4934	5980	7027	4934	5980	7027	4934	5980	7027	4934	5980	7027	4934	5980	7027
5.	100	6429	8522	10764	6429	8522	10764	6429	8522	10764	6429	8522	10764	6429	8522	10764
6.	150	9419	11213	13010	9419	11213	13010	9419	11213	13010	9419	11213	13010	9419	11213	13010

टिप्पणी: (1) भवन निर्माण/परिवर्तन/परिवर्द्धन के लिये—

- (क) ₹ 45.00 प्रतिवर्ग मीटर प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल पर अथवा जहां नक्शा नहीं पारित हो, वहां भू-खण्ड क्षेत्रफल के 70 प्रतिशत क्षेत्रफल पर एक मुश्त।
- (ख) निर्माण कार्य हेतु जल संयोजन की तिथि के डेढ़ वर्ष के पश्चात् जल उपयोग के प्रयोजन के अनुसार न्यूनतम प्रभार की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा। डेढ़ वर्ष में निर्माण कार्य पूरा न होने पर सम्पत्ति के प्रयोजन के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रभार दर से जलमूल्य लिया जायेगा।
- (ग) निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही अग्रिम जलमूल्य का समायोजन किया जायेगा परन्तु निर्धारित दरों पर यदि उपयुक्त मात्रा का मूल्य कम होगा तो शेष धनराशि वापस नहीं की जायेगी। इस धनराशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।

- (2) विशेष श्रेणी में स्टार होटल, नर्सिंग होम, कोल्ड स्टोरेज, आईस फैक्ट्री, बाटलिंग प्लॉन्ट, गैराज सर्विस स्टेशन, आवासीय विद्यालय तथा समय-समय पर अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे।
- (3) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को संस्थागत संयोजन के स्थान पर घरेलू श्रेणी की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (4) निर्माण हेतु 25 एम0एम0 से ऊपर के जल संयोजन नहीं दिये जायेंगे।
- (5) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

11. विलम्ब शुल्क—

उत्तराखण्ड जल संस्थान के देयकों का समयान्तर्गत भुगतान करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से "सरचार्ज" की व्यवस्था के स्थान पर अब "विलम्ब शुल्क" लिया जायेगा :-

- (1) न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमन्य नहीं होगी अर्थात् 10 हजार लीटर प्रतिमाह पेयजल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- (2) देयक का भुगतान नहीं करने की स्थिति में विलम्ब अवधि के लिये 5.00 प्रतिशत मासिक दर से "विलम्ब शुल्क" लिया जायेगा।

12. सार्वजनिक जल स्तम्भ शुल्क (पब्लिक स्टैंड पोस्ट चार्ज)–

- (1) प्रति परिवार प्रतिमाह ₹ 10.00।
- (2) परिवार का अर्थ एक चूल्हे पर बने खाने से है।
- (3) निर्धारित समय अवधि के अन्दर बीजक का भुगतान करने पर ₹ 0.50 (पचास पैसे मात्र) प्रति परिवार प्रतिमाह छूट देय होगी।

13. विविध शुल्क—

क्र० सं०	विवरण	पुनरीक्षित दर
1.	जल संयोजन प्रार्थना-पत्र शुल्क	25.00
2.	जल संयोजन विच्छेदन शुल्क	500.00
3.	जल संयोजन पुनर्संयोजन शुल्क	500.00
4.	सीवर संयोजन शुल्क (प्रति संयोजन)	25.00
5.	सार्वजनिक मार्ग पर निर्मित होने वाले मेनहॉल बोरिंग शुल्क	250.00
6.	मेन हॉल बोरिंग शुल्क	100.00
7.	मीटर टेस्टिंग शुल्क	
	(अ) 15 एम0एम0 से 25 एम0एम0	50.00
	(ब) 50 एम0एम0 से 150 एम0एम0	100.00

नोट—(1) अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति, निराश्रित, सैनिक विधवायें, भूमिहीन श्रमिक, बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवार तथा संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी समस्त जमानतों, अग्रिम धन तथा विविध शुल्कों से मुक्त रहेंगे।

- (2) एक जल संयोजन के लिये जलमूल्य की दरों पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ, दिनांक 01.01.2013

(7)

से उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पेंशनरों को प्रचलित टैरिफ पर अनुमन्य होगा।

- (3) उपरोक्त दरों के अतिरिक्त जिन दरों को पुनरीक्षित या समाप्त नहीं किया गया है, वह पूर्व प्रभावी टैरिफ की व्यवस्थानुसार यथावत प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ प्रभावी रहेंगी।
- (4) राजपत्र दिनांक 31-12-2005, भाग 1-क में प्रकाशित व्यवस्था यथावत लागू रहेंगी।
- (5) सभी श्रेणी की दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि ठीक एक वर्ष पश्चात् प्रभावी होगी अर्थात् आगामी वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को होगी।

डी० डी० डिमरी,
मुख्य महाप्रबन्धक।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 02-02-2013, भाग 1-क में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 1 पेय जल/131-20-02-2013-100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।